



दूसरी SECOND

अनुदानों की पूरक मांगें SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

केन्द्रीय सरकार के व्यय के लिए
FOR EXPENDITURE OF THE CENTRAL GOVERNMENT

(रेलवे को छोड़कर)
(Excluding Railways)

2014-2015

(संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) के अनुसार संसद में प्रस्तुत। राष्ट्रपति की सिफारिश, जो मांगें पेश करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1)(क) और (2) के साथ पठित अनुच्छेद 113 के खण्ड (3) के अन्तर्गत आवश्यक है, प्राप्त कर ली गई है)
(Laid before Parliament in pursuance of sub-clause (a) of clause (1) of Article 115 of the Constitution. The recommendation of the President, required under clause (3) of Article 113 read with clauses (1)(a) and (2) of Article 115 of the Constitution for making the Demands has been obtained)

मार्च March, 2015

परिचायक टिप्पणी

विषय : पूरक अनुदान मांगों का दूसरा तथा अंतिम बैच 2014-15.

वर्ष 2014-15 की पूरक अनुदान मांगों का दूसरा तथा अंतिम बैच में 72 अनुदान मांगे तथा 4 विनियोग हैं। ₹36,952.86 करोड़ के सकल अतिरिक्त व्यय को अधिकृत करने के लिए संसद का अनुमोदन मांगा गया है। इसमें से, निवल नकद सहित प्रस्तावों से संबंधित कुल खर्च ₹19,229.61 करोड़ है और मंत्रालयों/विभागों की बचत या बढ़ी हुई प्राप्तियों/उगाहियों के समतुल्य कुल अतिरिक्त व्यय ₹17,722.04 करोड़ बनता है। इसके अतिरिक्त, नई सेवा या नई सेवा लिखत वाले मामलों में बचत पुनर्विनियोजन के लिए व्यय की प्रत्येक मद हेतु एक लाख रुपए सहित, 121 लाख रुपए का सांकेतिक प्रावधान मांगा जा रहा है।

2. संशोधित अनुमान (आयोजना एवं आयोजना-भिन्न) 2014-15 में ₹19,229.61 करोड़ के निवल नकद व्यय वाले प्रस्ताव से कुल अनुमोदित व्यय में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि इसके अधिकांश भाग को पहले ही 2014-15 के संशोधित अनुमान में शामिल कर लिया गया है और शेष के लिए अन्य अनुदानों में समतुल्य समग्र बचत होगी।

3. निवल नकद खर्च वाले अतिरिक्त व्यय की मदें निम्नानुसार हैं :-

INTRODUCTORY NOTE

Subject : Second and Final Batch of Supplementary Demands for Grants, 2014-2015.

The Second and Final Batch of Supplementary Demands for Grants for 2014-2015 includes 72 Grants and 4 Appropriations. Approval of the Parliament is sought to authorise gross additional expenditure of ₹ 36,952.86 crore. Of this, the proposals involving net cash outgo aggregate to ₹ 19,229.61 crore and gross additional expenditure, matched by savings of the Ministries/Departments or by enhanced receipts/recoveries aggregates to ₹ 17,722.04 crore. Besides, token provision of ₹ 121 lakh is being sought, one lakh for each item of expenditure, for enabling reappropriation of savings in cases involving New Service or New Instrument of Service.

2. Proposal involving net cash outgo of ₹ 19,229.61 crore will not result in any significant variation in total estimated expenditure in Revised Estimates (Plan and Non-Plan) 2014-2015, as major portion of this has already been included in Revised Estimates for 2014-2015 and for the remaining there would be equivalent overall savings in other Grants.

3. The items of additional expenditure involving net cash outgo are as follows:

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	आयोजना Grant No. & title and description of items	आयोजना-भिन्न Plan	जोड़ Non Plan	Total
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION			
17 खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	17 Department of Food And Public Distribution			
(i) भारतीय खाद्य निगम व अन्यो को देय सब्सिडी खाद्यान्नों के लेन-देन के संबंध में (₹3000.00 करोड़) और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत भारतीय खाद्य निगम व अन्यो को देय सब्सिडी (₹2000.00 करोड़) (ii) राज्य सरकार को खाद्यान्नों की विकेंद्रित खरीद पर सब्सिडी (₹1300.00 करोड़) और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्य सरकार को खाद्यान्नों की विकेंद्रित खरीद पर सब्सिडी (₹1375.81 करोड़)। (iii) स्कीम के तहत चीनी उपक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु ब्याज। आर्थिक सहायता के भुगतान के लिए (₹603.77 करोड़) और (iv) "इंसेंटिव ऑन मार्केटिंग एण्ड प्रमोशन सर्विसिस ऑफ रॉ सुगर प्रोडक्शन" स्कीम के तहत शुगर मिल्स को (₹200 करोड़) का प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए।	For (i) subsidy to Food Corporation of India and others on food grains transaction (₹ 3000 crore) and under National Food Security Act (₹ 2000 crore), (ii) subsidy to State Governments on decentralized procurement of food grains (₹ 1300 crore) and under National Food Security Act (₹ 1375.81 crore), (iii) payment of interest subvention (₹ 603.77 crore) under Scheme for Extending Financial Assistance to Sugar Undertakings and (iv) providing incentive to Sugar Mills (₹ 200 crore) under Incentive on Marketing and Promotion Services of Raw Sugar Production.	-	7,389.61	7,389.61
वित्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE			
40 पेंशन	40 Pensions			
(क) सेवानिवृत्ति पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों के लिए (₹0.50 करोड़), राज्यों (₹30 करोड़) और संघ शासित क्षेत्रों (₹2.00 करोड़) के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में पेंशनरी प्रभार छुट्टी नकदीकरण (₹1.00 करोड़) और परिभाषित योगदान पेंशन स्कीम, (₹1.50 करोड़) के व्यय को पूरा करने के लिए उपर्युक्त व्यय में नकद होगा।	(a) For meeting expenditure of superannuation Pension and Retirement Benefits (₹ 0.50 crore), pensionary charges in respect of High Court Judges of States (₹ 30 crore) and of UTs (₹ 2 crore), Leave Encashment (₹ 1 crore) and Defined Contribution Pension Scheme (₹ 1.50 crore).	-	35.00	35.00

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ख) सेवा-निवृत्ति पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों के व्यय को पूरा करने के लिए (₹398.18 करोड़), नई परिभाषित पेंशन स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारी की मृत्यु/विकलांगता होने पर अतिरिक्त राहत (₹0.50 करोड़), परिवार पेंशन (₹143.55 करोड़), नई परिभाषित पेंशन स्कीम साधारण परिवार पेंशन के तहत सरकारी कर्मचारी की मृत्यु/विकलांगता होने पर अतिरिक्त राहत (₹7.00 करोड़), नई परिभाषित पेंशन स्कीम और अधिक साधारण परिवार पेंशन (₹2.00 करोड़), छुट्टी नकदीकरण (एआइएस) (₹10.00 करोड़) और एसपीएमसीआईएल पेंशन नीधि को देय सरकारी योगदान (₹125.77 करोड़)।	(b) For meeting expenditure of Superannuation Pension and Retirement benefits (₹ 398.18 crore), Additional Relief on death/disability of Government servant covered by the New Defined Pension Scheme (₹ 0.50 crore), Family Pension (₹ 143.55 crore), Additional Relief on death/disability of Govt. Servant covered by the New Defined Pension Scheme Ordinary Family Pension (₹ 7 crore), Additional Relief on death/disability of Govt. Servant covered by the New Defined Pension Scheme and Extra Ordinary Family Pension (₹ 2 crore), Leave Encashment (AIS) (₹ 10 crore) and Government contribution payable to SPMCIL Pension Fund (₹ 125.77 crore).	-	687.00	687.00
42 राजस्व विभाग	42 Department of Revenue			
(क) उत्तर प्रदेश के व्यापार विभाग को विक्रय कर पर ब्याज भुगतान के लिए अतिरिक्त व्यय (₹4.62 करोड़) तथा प्रशासनिक व्यय (₹2.67 करोड़) को पूरा करना।	(a) For meeting additional expenditure for payment of interest on purchase tax to the Trade Tax Department of Uttar Pradesh (₹ 4.62 core) and Administrative expenses (₹ 2.67 crore).	-	4.73	4.73
(ख) राज्य सरकार को केन्द्रीय बिक्री कर क्षतिपूर्ति (सीएसटी) के लिए (₹10757.41 करोड़) और वैट से संबंधित व्यय (₹4 करोड़) की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के लिए।	(b) For providing additional funds towards Central Sales Tax (CST) compensation to the State Governments (₹ 10757.41 crore) and VAT related expenditure (₹ 4 crore).	-	10,761.41	10,761.41
(ग) संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को केन्द्रीय बिक्री कर (सीएसटी) क्षतिपूर्ति के लिए अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने हेतु।	(c) For providing additional funds towards Central Sales Tax (CST) compensation to Union Territory Administration.	-	241.56	241.56
भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES			
51. भारी उद्योग विभाग	51 Department of Heavy Industry			
एनईआर (हिंदुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड की एक इकाई (₹185 करोड़) के लिए कचार पेपरमिल को सामान्य अनुदान सहायता उपलब्ध कराने के लिए।	For providing Grants-in-aid General to Cachar Paper Mill for NER [a unit of Hindustan Paper Corporation Ltd (₹ 185 crore)].	41.38	-	41.38
गृह मंत्रालय	MINISTRY OF HOME AFFAIRS			
54 मंत्रिमण्डल	54 Cabinet			
(क) अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (i) मंत्रिमण्डल मंत्रियों का विदेश यात्रा व्यय (₹48.96 करोड़) (ii) उत्तरी रेलवे को सामान्य अनुदान सहायता (₹1.59 करोड़) और (iii) मंत्रिमण्डल सचिवालय द्वारा व्यावसायिक सेवाएं (₹0.42 करोड़)।	(a) For meeting additional expenditure under (i) Foreign Travel Expenditure of Cabinet Ministers (₹ 48.96 crore) (ii) Grants-in-aid General (₹ 1.59 crore) to Northern Railway and (iii) professional Services by Cabinet Secretariat (₹ 0.42 crore).	-	24.47	24.47
(ख) राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा सत्कार पर होने वाले व्यय को पूरा करना।	(b) For meeting expenditure by President's Secretariat on Hospitality.	-	0.54	0.54

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
विधि एवं न्याय मंत्रालय	MINISTRY OF LAW AND JUSTICE			
63. चुनाव आयोग वेतन पर अतिरिक्त व्यय को पूरा करना	63 Election Commission For meeting additional expenditure on Salaries	-	1.00	1.00
65 विनियोग - भारत का उच्चतम न्यायालय माननीय न्यायधीशों और कर्मिकों तथा कार्यालय व्यय के साथ-साथ घरेलू यात्रा व्यय, चिकित्सा उपचार तथा वेतन पर अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	65 Appropriation - Supreme Court of India For meeting additional expenditure on Salaries, Medical Treatment and Domestic Travel Expenses of the Hon'ble Judges and the Officials and also under Office Expenses.	-	15.64	15.64
केन्द्रीय सतर्कता आयोग	CENTRAL VIGILANCE COMMISSION			
74 केन्द्रीय सतर्कता आयोग निम्न की अतिरिक्त मांग पूरी करने के लिए (i) चिकित्सा व्यय (₹0.25 करोड़) (ii) अधिवक्ता, परामर्शदाता और डाटा एंट्री आपरेटरों के लंबित बिलों को पूरा करने के लिए अपेक्षित व्यावसायिक सेवाएं (₹0.25 करोड़) और (iii) कार्यालयी व्यय (₹0.50 करोड़)।	74 Central Vigilance Commission For meeting additional demand for (i) medical expenditure (₹ 0.25 crore) (ii) professional services required to meet the pending bills for advocates, consultants and Data Entry Operators (₹ 0.25 crore) and (iii) Office expenses (₹ 0.50 crore).	-	1.00	1.00
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग तथा उपराष्ट्रपति सचिवालय	THE PRESIDENT, PARLIAMENT, UNION PUBLIC SERVICES COMMISSION AND THE SECRETARIAT OF THE VICE PRESIDENT			
78 विनियोग स्टाफ परिवार तथा राष्ट्रपति के भत्ते-अधिष्ठपना से संबंधित व्यय को पूरा करना।	78 Appropriation - Staff, Household and Allowances of the President For meeting establishment related expenditure.	-	3.75	3.75
80 राज्य सभा वेतन तथा भत्तों के भुगतान पर होने वाले अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	80 Rajya Sabha For meeting the additional expenditure towards payment of Salary and Allowances.	-	1.60	1.60
81 संघ लोक सेवा आयोग वेतन, परीक्षा, भर्ती परीक्षा और यूपीएससी द्वारा आयोजित चयन संबंधी अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	81 Union Public Service Commission For meeting the additional expenditure on Salaries, Examinations, Recruitment Test and Selections conducted by UPSC	-	18.00	18.00
आदिवासी मंत्रालय	MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS			
97 आदिवासी मंत्रालय (क) सचिवालय-सामाजिक सेवाओं के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। (ख) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर होने वाले अतिरिक्त अधिष्ठापन व्यय को पूरा करना।	97 Ministry of Tribal Affairs (a) For meeting additional expenditure of Secretariat-Social Services (b) For meeting additional establishment expenditure towards Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities	-	1.48	1.48
		-	1.44	1.44
कुल नकद व्यय	Total Cash Outgo	41.38	19,188.23	19,229.61

4. पूरक अनुदान मांगों के इस बैच में तकनीकी पूरक अनुदान/विनियोक ₹17,722.04 करा के प्रस्ताव शामिल हैं, जिन्हें अतिरिक्त प्राप्तियों/वसूलियों अथवा मंत्रालयों/विभागों की सामान बचत से पूरा किया जाता है। ये मदें निम्नानुसार हैं:

4. This Batch of Supplementary Demands for Grants includes proposals for technical supplementary grants/appropriations for ₹ 17,722.04 crore which are matched by additional receipts/recoveries or corresponding savings of the Ministries/Departments. The items are as follows:

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
नागर विमानन मंत्रालय	MINISTRY OF CIVIL AVIATION			
9 नागर विमानन मंत्रालय	9 Ministry of Civil Aviation			
(क) भारत के हवाई अड्डा प्राधिकरण को पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान उपलब्ध कराना।	(a) For providing Grants for Creation of Capital Assets to Airport Authority of India.	14.10	-	14.10
(ख) ये उपलब्ध कराने के लिए : (i) एयर पोर्ट्स एकोनॉमिक रेगुलेटरी ऑथरिटी (एईआरए) (₹2 करोड़); (ii) हज चार्टर को अतिरिक्त सब्सिडी (₹33.84 करोड़) और (iii) नागर विमानन महानिदेशक के कार्यालय के वेतन हेतु (₹4.32 करोड़)।	(b) For providing (i) Grants-in-aid General to Airports Economic Regulatory Authority (AERA) (₹ 2 crore); (ii) additional subsidy to Haj Charters (₹ 33.84 crore) and (iii) salary for the office of Director General of Civil Aviation (₹ 4.32 crore)	-	40.16	40.16
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY			
12 औद्योगिक नीति तथा संवर्द्धन विभाग	12 Department of Industrial Policy and Promotion			
पूर्वोत्तर औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु (₹36.90 करोड़)।	For meeting additional expenditure (₹ 36.90 crore) under 'North East Industrial and Investment Promotion Policy'.	12.59	-	12.59
संचार एवं सूचना मंत्रालय	MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY			
13 डाक विभाग	13 Department of Posts			
(क) आइजोल (मिजोरम) के केन्द्र सरकार के एचआरए के भुगतान हेतु न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना।	(a) For meeting additional requirement arising out of Court Judgement for meeting payment of HRA to Central Govt. employees at Aizwal (Mizoram).	-	0.21	0.21
(ख) वेतन (₹141.13 करोड़) मजदूरी (₹12 करोड़), पेंशन (135 करोड़) कार्यालय व्यय (₹43 करोड़) व्यावसायिक सेवाएं (₹142.35 करोड़) सामान्य सहायता अनुदान (₹0.02 करोड़) और अन्य अधिष्ठापना से संबंधित व्यय (₹18.01 करोड़)।	(b) For meeting additional requirement towards salaries (₹ 141.13 crore), wages (₹ 12 crore), pensions (₹ 135 crore), Office Expenses (₹ 43 crore), Professional Services (₹ 142.35 crore), Grants-in-aid General (₹ 0.02 crore) and other establishment related expenditure (₹ 18.01 crore).	-	344.66	344.66
उपभोक्ता, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION			
17 खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	17 Department of Food And Public Distribution			
खाद्यान की विकेन्द्रीकृत प्राप्ति पर राज्य सरकार को सब्सिडी हेतु (₹1300 करोड़)।	For subsidy to State Government on decentralized procurement of food grains (₹ 1300 crore).	-	996.48	996.48
रक्षा मंत्रालय	MINISTRY OF DEFENCE			
20 रक्षा मंत्रालय	20 Ministry of Defence			
(क) वेतन, लघु निर्माण कार्य, आपूर्ति एवं सामग्री पीओएल, व्यावसायिक सेवाएं, मशीनरी एवं उपकरण आदि के अन्तर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	(a) For meeting additional expenditure under 'Salaries', 'Minor Works', 'Supplies and Materials', 'POL', 'Professional Services', 'Machinery & Equipment', etc.	-	134.74	134.74
(ख) कैट/न्यायालय के आदेशों के कारण बढ़े हुए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	(b) For meeting additional expenditure arising out of CAT/Court Orders.	-	0.48	0.48

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ग) अधिकारियों/स्टाफ की भर्ती के कारण रक्षा लेखा विभाग के 'वेतन भत्तों' के सांविधिक देयताओं के भुगतान हेतु कैंटनमेंट बोर्ड को 'सामान्य सहायता अनुदान' के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	(c) For meeting additional expenditure towards 'Grants-in-aid General' to Cantonment Boards for payment of statutory liabilities of Pay & Allowances and 'Salaries' of Defence Accounts Department due to induction of officers/staff.	-	135.98	135.98
(घ) जम्मू व कश्मीर लाइट इनफैंट्री की जरूरत हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(d) For meeting additional expenditure towards requirement of Jammu & Kashmir Light Infantry.	-	0.10	0.10
(ङ) जम्मू व कश्मीर लाइट इनफैंट्री से संबंधित अतिरिक्त स्थापना व्यय को पूरा करने हेतु।	(e) For meeting additional expenditure towards establishment related expenditure of Jammu & Kashmir Light Infantry.	-	43.31	43.31
(च) मंडपम ने रिहायशी कामप्लेक्स और कोस्ट गार्ड स्टेशन के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए केरल उच्च न्यायालय के आदेशों के कारण भुगतान संबंधी अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।	(f) For meeting additional expenditure towards payment arising out of orders of High Court of Kerala for land acquisition for construction of Coast Guard Station and residential complex at Mandapam.	-	6.73	6.73
21 रक्षा पेंशन न्यायालय आदेशों के कारण अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	21 Defence Pensions For meeting additional expenditure arising out of Court Orders.	-	9.30	9.30
22 रक्षा सेवाएं सेना (क) न्यायालय के आदेशों के कारण भुगतान संबंधी अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	22 Defence Services - Army (a) For meeting additional expenditure towards payment arising out of Court Orders.	-	336.00	336.00
(ख) माउण्टेयनिंग संस्थानों को वेतन तथा भत्ते (₹1674 करोड़), परिवहन (₹735.47 करोड़) पूर्व सेनानी अंशदायी स्वास्थ्य स्कीम (₹1050 करोड़), निरीक्षण (₹10 करोड़), भण्डारण (₹800 करोड़), निर्माण कार्य (₹1055 करोड़) और सहायता अनुदान (₹16 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	(b) For meeting additional expenditure towards Pay & Allowances (₹ 1674 crore), Transportation (₹ 735.47 crore), Ex-Servicemen Contributory Health Scheme (₹ 1050 crore), Inspection (₹ 10 crore), Stores (₹ 800 crore), Works (₹ 1055 crore) and Grants-in-aid (₹ 16 crore) to Mountaineering Institutes.	-	5,340.47	5,340.47
23 रक्षा सेवाएं - नौसेना (क) न्यायालय के आदेशों के कारण भुगतान संबंधी अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	23 Defence Services - Navy (a) For meeting additional expenditure towards payment arising out of Court Orders.	-	9.63	9.63
(ख) वेतन तथा भत्ते (₹75 करोड़), निर्माण कार्य (₹215.91 करोड़) और संयुक्त स्टाफ (₹59.46 करोड़) पर अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	(b) For meeting additional expenditure towards pay & allowances (₹ 75 crore), works (₹ 215.91 crore) and Joint Staff (₹ 59.46 crore).	-	350.37	350.37
24 रक्षा सेवाएं - वायु सेना (क) न्यायालय के आदेशों के कारण भुगतान संबंधी अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	24 Defence Services - Air Force (a) For meeting additional expenditure towards payment arising out of Court Orders.	-	53.59	53.59
(ख) वेतन तथा भत्ते (₹480.10 करोड़), भण्डारण (₹1070.33 करोड़) और निर्माण कार्य (₹375 करोड़) पर होने वाले अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	(b) For meeting additional expenditure towards pay & allowances (₹ 480.10 crore), stores (₹ 1070.33 crore) and works (₹ 375 crore).	-	1,925.43	1,925.43
26 रक्षा सेवाएं - अनुसंधान एवं विकास स्टोर (₹149.01 करोड़) और निर्माण कार्य (₹171.02 करोड़) शीर्षों के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करना	26 Defence Services - Research and Development For meeting additional expenditure under the heads stores (₹ 149.01 crore) and works (₹ 171.02 crore).	-	320.03	320.03

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
वित्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE			
33 आर्थिक कार्य विभाग	33 Department of Economic Affairs			
अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को अंशदान के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	For meeting additional expenditure towards contribution to International Development Association.	-	433.29	433.29
34 वित्तीय सेवाएं विभाग	34 Department of Financial Services			
(क) किसानों को अल्पावधिक ऋण के लिए ब्याज आर्थिक सहायता हेतु अतिरिक्त प्रावधान।	(a) For additional provision towards interest subvention for short term credit to farmers.	-	3,476.71	3,476.71
(ख) स्ट्रैस्ड, एसैट्स, स्टेविलाइजेशन फण्ड (एसएसएफ) को जारी प्रतिभूतियों के विमोचन हेतु (₹250 करोड़) के व्यय को पूरा करना।	(b) For meeting expenditure of ₹ 250 crore towards redemption of securities issued to Stressed Assets Stabilization Fund (SASF)	-	82.41	82.41
41 भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग	41 Indian Audit and Accounts Department			
अतिरिक्त स्थापना एवं वेतन संबंधी व्यय को पूरा करना।	For meeting additional establishment and salary related expenditure.	-	5.83	5.83
42 राजस्व विभाग	42 Department of Revenue			
पूंजी पर ब्याज (₹6.71 करोड़) और गाजीपुर अल्काला-लायड वर्कर्स (₹20.47 करोड़) की अफीम अन्तर्गण की लागत के भुगतान संबंधी अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	For meeting additional expenditure towards interest on capital (₹ 6.71 crore) and payment of cost of Opium transferred to Ghazipur Alkaloid Works (₹ 20.47 crore).	-	25.32	25.32
भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES			
51 भारी उद्योग विभाग	51 Department of Heavy Industry			
एनइआर के कचार पेपर मिल (हिंदुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड की एक इकाई) को सामान्य सहायता अनुदान उपलब्ध कराना।	For providing Grants-in-aid General to Cachar Paper Mill for NER (a unit of Hindustan Paper Corporation Ltd).	15.92	-	15.92
गृह मंत्रालय	MINISTRY OF HOME AFFAIRS			
55 पुलिस	55 Police			
निम्न का अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (i) केंद्रीय सेवा पुलिस बल को राशन की लागत (₹975.45 करोड़) (ii) राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के लघु कार्य (₹3 करोड़) (iii) भारत बंगलादेश सीमाकार्यो निर्माण कार्य (₹10 करोड़) (iv) भारत-पाकिस्तान सीमा निर्माण कार्य के लघु कार्य (₹10 करोड़) और (v) दिल्ली पुलिस (₹50 करोड़)।	For meeting additional expenditure towards (i) Cost of Ration (₹ 975.45 crore) of Central Armed Police Forces (ii) Minor Works of National Police Academy (₹ 3 crore) (iii) Minor Works of Indo Bangladesh Border Works (₹ 10 crore), (iv) Minor Works of Indo Pak Border Works (₹10 crore) and (v) Delhi Police (₹ 50 crore)	-	1,011.87	1011.87
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING			
61 सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	61 Ministry of Information and Broadcasting			
सीरीफोर्ट काम्पलेक्स के उन्नयन के अतिरिक्त, व्यय को पूरा करने के लिए (0.40 करोड़), फिल्म प्रभाग की बिल्डिंग अवसंरचना (0.50 करोड़) तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मनीटरिंग सेन्टर (4.80 करोड़)।	For meeting additional expenditure for upgradation of Siri Fort Complex (₹ 0.40 crore), building infrastructure of Films Division (₹ 0.50 crore) and Electronic Media Monitoring Centre (₹ 4.80 crore).	3.21	-	3.21
खान मंत्रालय	MINISTRY OF MINES			
67 खान मंत्रालय	67 Ministry of Mines			
न्यायालय के आदेश के अनुसार जिलालाजिकल सर्वे आफ इण्डिया की क्षतिपूर्ति के लिए अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।	For meeting the additional requirement towards compensation to Geological Survey of India as per the Court Order.	-	0.08	0.08

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय	MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS			
73 कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय	73 Ministry of Personnel, Public Grievances And Pensions			
(क) कर्मचारी चयन आयोग की व्यावसायिक सेवाओं के लिए भुगतान (₹18.50 करोड़)।	(a) For payment for professional Services of Staff Selection Commission (₹ 18.50 crore)	-	2.74	2.74
(ख) सीबीआई शाखाओं/कार्यालयों के आधुनिकीकरण हेतु।	(b) For Modernization of CBI branches / offices	-	2.00	2.00
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS			
75 पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	75 Ministry of Petroleum and Natural Gas			
रणनीतिक तेल रिसर्व के लिए इण्डियन स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व लि. (आईएसपीआरएल) को भुगतान हेतु।	For payment to Indian Strategic Petroleum Reserve Ltd. (ISPRL) for Strategic Oil Reserve.	2,399.00	-	2,399.00
विद्युत मंत्रालय	MINISTRY OF POWER			
77. विद्युत मंत्रालय	77 Ministry of Power			
ऋण को इक्विटी में परिवर्तित करने के कारण टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारणों को अतिरिक्त ब्याज भुगतान के मुकाबले बकाया ऋण के निपटान हेतु आवश्यक लेखा समायोजन हेतु।	For carrying out necessary accounting adjustment for settlement of outstanding loan against excess interest paid by Tehri Hydro Development Corporation (THDC) due to conversion of loan into equity.	-	91.85	91.85
अंतरिक्ष विभाग	DEPARTMENT OF SPACE			
92. अंतरिक्ष विभाग	92 Department of Space			
ऐंट्रिक्स कारपोरेशन लि. द्वारा जारी बोनस शेयरों के रूप में अतिरिक्त इक्विटी निवेश।	Additional equity investment in the form of Bonus Shares issued by Antrix Corporation Limited.	-	3.00	3.00
पर्यटन मंत्रालय	MINISTRY OF TOURISM			
96 पर्यटन मंत्रालय	96 Ministry of Tourism			
(i) पर्यटन मंत्रालय, नई दिल्ली के लिए बहुस्तरीय पार्किंग कम कार्यालय के निर्माण हेतु (₹10 करोड़) तथा (ii) अजंता एलोरा संरक्षण एवं पर्यटन विकास परियोजना को भुगतान (₹0.80 करोड़)।	For (i) construction of multi level parking-cum-office for Ministry of Tourism at New Delhi (₹ 10 crore) and (ii) payment towards Ajanta Ellora Conservation and Tourism Development Project (₹ 0.80 crore).	10.80	-	10.80
आदिवासी कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS			
97 आदिवासी कार्य मंत्रालय	97 Ministry of Tribal Affairs			
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण की स्कीम के अन्तर्गत अतिरिक्त स्थापना व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting additional establishment expenditure under the scheme Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities.	-	0.14	0.14
संघ राज्य क्षेत्र (विधानमंडल रहित)	UNION TERRITORIES (WITHOUT LEGISLATURE)			
99 चंडीगढ़	99 Chandigarh			
(क) पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ में माननीय न्यायाधीशों के स्थापना व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting establishment expenditure to Hon'ble judges in the Punjab and Haryana High Court, Chandigarh.	-	2.51	2.51
(ख) मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्युनल द्वारा घोषित अवार्ड के भुगतान हेतु व्यय को पूरा करना।	(b) For meeting expenditure for payment of award announced by the Motor Accident Claims Tribunal.	-	1.00	1.00

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
शहरी विकास मंत्रालय	MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT			
103. शहरी विकास मंत्रालय	103 Department of Urban Development			
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आयोजना बोर्ड को अंशदान।	For Contribution to the National Capital Region Planning Board.	80.00	-	80.00
कुल तकनीकी	Total Technical	2,535.62	15,186.42	17,722.04

5. नीचे दी गई मदों के संबंध में प्रत्येक के लिए प्रस्तावित ₹1 लाख पूरक अनुदान, जिसके समक्ष दर्शाया गया व्यय संबंधित अनुदान को, मामले के अनुसार, राजस्व अथवा पूंजी भाग में बचतों के पुनर्विनियोग से पूरा किया जाएगा।

5. Supplementary grants of ₹ 1 lakh each are also proposed to be taken in respect of items listed below, the expenditure indicated against which will be met by reappropriation of savings within the Revenue or Capital Section, as the case may be, of the relevant grant.

अनुदानों हेतु सांकेतिक पूरक मांगें

Token Supplementary Demands for grants

कृषि मंत्रालय

MINISTRY OF AGRICULTURE

1 कृषि एवं सहकारिता विभाग

1 Department of Agriculture and Cooperation

(क) (i) पादप किस्मों और किसान अधिकार संरक्षण के तहत सामान्य सहायता-अनुदान (₹1.30 करोड़) और वेतन सहायता-अनुदान (₹0.20 करोड़) जारी करना (ii) बीज और रोपण सामग्री उप-मिशन के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजनार्थ (₹2.00 करोड़) और इसके घटक जनजाति क्षेत्र उप-आयोजना (₹4.00 करोड़) का अनुदान जारी करना (iii) राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम के कार्यान्वयन को अंशदान (₹133.79 करोड़) (iv) फार्म वाटर मैनेजमेंट के तहत सामान्य सहायता-अनुदान (₹1.00 करोड़) (v) बागवानी एकीकृत विकास मिशन (केन्द्रीय क्षेत्र के तहत (₹37.46 करोड़) ओर इसके घटकों, अनुसूचित जाति उप-योजना, (₹12.04 करोड़) और जनजाति क्षेत्र उप-योजना (₹6.00 करोड़) की सामान्य सहायता अनुदान (vi) मौसम आधारित उपज बीमा स्कीम-अनुसूचित जाति उप-आयोजना के तहत अंशदान (₹30.83 करोड़)।

(a) For providing (i) Grants-in-aid General (₹ 1.30 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹ 0.20 crore) under Protection of Plant Varieties and Farmers Right (ii) Grants for Creation of Capital Assets (₹ 2 crore) under Sub-Mission on Seeds and Planting Material and its component Tribal Area Sub-Plan (₹ 4 crore) (iii) contribution for implementation of National Agriculture Insurance Scheme (₹ 133.79 crore) (iv) Grants-in-aid General under On Farm Water management (₹ 1 crore) (v) Grants-in-aid General under Mission for Integrated Development of Horticulture (Central Sector) (₹ 37.46 crore) and its components, Scheduled Caste Sub Plan (₹ 12.04 crore) and Tribal Area Sub Plan (₹ 6 crore) and (vi) contribution under Weather Based Crop Insurance Scheme-Scheduled Caste Sub Plan (₹ 30.83 crore).

228.62 - 228.62

(ख) एकीकृत कृषि विपणन स्कीम (₹224.10 करोड़) और इसके घटक अनुसूचित जाति उप-आयोजना (₹58.00 करोड़) के तहत सामान्य सहायता अनुदान देना।

(b) For providing Grants-in-aid General (₹ 224.10 crore) under Integrated Scheme on Agriculture Marketing and its component Scheduled Caste Sub-Plan (₹ 58 crore)

282.10 - 282.10

(ग) (i) राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता परियोजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान जारी करना (₹5.00 करोड़) (ii) एकीकृत बागवानी विकास मिशन (केन्द्रीय क्षेत्र) के तहत सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (₹4.50 करोड़) आदिवासी क्षेत्र उपयोजना (₹6 करोड़) (iii) एकीकृत बागवानी विकास मिशन (केन्द्रीय

(c) For (1) providing Grants-in-aid General under (i) National Project on Management of Soil Health and Fertility (₹ 5 crore) (ii) Mission for Integrated Development of Horticulture (Central Sector) (₹ 4.50 crore) and Tribal Area Sub-Plan

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
प्रायोजित प्रणाली) के तहत सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (₹42.58 करोड़) और आदिवासी क्षेत्र उपयोजना (₹104.74) (iv) एकीकृत कृषि विपणन स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान जारी करना (₹0.33 करोड़) और आदिवासी क्षेत्र उपयोजना (₹1 करोड़) (v) बीज और रोपण अनुसूचित जाति उपयोजना (₹1 करोड़) और जन जाति क्षेत्र उपयोजना (1 करोड़), और (vi) प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना-माइक्रो सिंचाई (₹5 करोड़) (2) अंशदान: (i) राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम, अनुसूचित जाति उपयोजना का कार्यान्वयन (₹59 करोड़) और (ii) संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम अनुसूचित जाति उपयोजना (₹28.75 करोड़)।	(₹ 6 crore) (iii) Mission for Integrated Development of Horticulture (Centrally Sponsored Scheme) (₹ 42.58 crore) and Tribal Area Sub-Plan (₹ 104.74) (iv) Integrated Scheme on Agriculture Marketing (₹ 0.33 crore) and Tribal Area Sub Plan (₹ 1 crore) (v) Sub-Mission on Seeds and Planting, Scheduled Caste Sub Plan (₹ 1 crore) and Tribal Area Sub Plan (₹ 1 crore) and (vi) Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana-Micro Irrigation (₹ 5 crore) (2) contribution under (i) implementation of National Agricultural Insurance Scheme, Scheduled Caste Sub Plan (₹ 59 crore) and (ii) Modified National Agricultural Insurance Scheme, Scheduled Caste Sub Plan (₹ 28.75 crore).	258.90	-	258.90
(घ) प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना माइक्रो सिंचाई के अन्तर्गत सहायता अनुदान उपलब्ध कराना।	(d) For providing Grants-in-aid General under Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana-Micro Irrigation.	25.00	-	25.00
(ङ) कृषि यांत्रिकी संबंधी उपमिशन के अन्तर्गत मशीनरी तथा उपकरण हेतु आवश्यकता को पूरा करना।	(e) For meeting the requirement for Machinery and Equipment under Sub-Mission on Agriculture Mechanization.	0.20	-	0.20
2. कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा मंत्रालय	2 Department of Agricultural Research and Education			
(क) (i) कृषि में मूलभूत, कार्यनीतिक, और सीमान्त उपयोग अनुसंधान राष्ट्रीय नीति के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (₹7.31 करोड़), कृषि विश्वविद्यालय, राजस्थान (₹4.00 करोड़), बागवानी विश्वविद्यालय, हरियाणा (₹4.00 करोड़), डीम्ड विश्वविद्यालय की तरह भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, असम को (₹0.08 करोड़) और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, झारखंड डीम्ड विश्वविद्यालय (₹0.08 करोड़) को सामान्य सहायता अनुदान जारी करने के लिए (ii) राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी और भारतीय कृषि विश्वविद्यालय एसोसिएशन के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹1.57 करोड़) (2) कृषि विश्वविद्यालय, राजस्थान (₹1.00 करोड़), बागवानी विश्वविद्यालय, हरियाणा (₹1.00 करोड़), भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान असम, डीम्ड विश्वविद्यालय की तरह (₹0.02 करोड़) और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान झारखंड, डीम्ड विश्वविद्यालय, (₹0.02 करोड़) के लिए पूंजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु (3) भारतीय (i) कृषि अनुसंधान परिषद को अनुदान (₹5.42 करोड़) राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी और (ii) भारतीय कृषि विश्वविद्यालय एसोसिएशन को वेतनों के लिए सहायता अनुदान (₹0.44 करोड़)।	(a) For providing (1) Grants-in-aid General to (i) Indian Council of Agricultural Research under National Fund for Basic, Strategic and Frontier Application Research in Agriculture (₹ 7.31 crore), Agriculture University, Rajasthan (₹ 4 crore), Horticulture University, Haryana (₹ 4 crore), Indian Agricultural Research Institute , Assam (₹ 0.08 crore) and Jharkhand (₹ 0.08 crore), (ii) National Academy of Agricultural Sciences and Indian Agricultural Universities Association (₹ 1.57 crore); (2) Grants for creation of Capital Assets to Indian Council of Agricultural Research for Agriculture University, Rajasthan (₹ 1 crore), Horticulture University, Haryana (₹ 1 crore), Indian Agricultural Research Institute deemed University, Assam (₹ 0.02 crore) and Jharkhand (₹ 0.02 crore); and (3) Grants-in-aid Salaries to (i) Indian Council of Agricultural Research under Agricultural Education Institutes (₹ 5.42 crore)			

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन Non Plan	जोड़ Total
	and (ii) National Academy of Agricultural Sciences and Indian Agricultural Universities Association (₹ 0.44 crore)	24.94	-	24.94
(ख) (i) कृषि संस्थानों का प्रसार स्कीम के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सामान्य सहायता अनुदान (₹0.51 करोड़) और कृषि इंजीनियरिंग संस्थानों के लिए (₹0.22 करोड़)। (ii) बागवानी संस्थाओं स्कीम के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन के तहत अनुदान (₹0.16 करोड़), कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी संस्थानों के लिए (₹0.02 करोड़), कृषि इंजीनियरिंग संस्थानों के लिए (₹0.01 करोड़), पशु विज्ञान संस्थानों (₹0.33 करोड़) और मत्स्यपालन संस्थानों के लिए (₹0.02 करोड़) (iii) कृषि शिक्षा संस्थानों (₹0.38 करोड़), अन्य प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संस्थान (₹0.45 करोड़), पशु विज्ञान संस्थान (₹8.21 करोड़) और मत्स्यपालन संस्थान (₹3.50 करोड़) स्कीम के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को वेतनों के लिए सहायता अनुदान।	(b) For providing (i) Grants-in-aid General to Indian Council of Agricultural Research under Agricultural Extension Institutes (₹ 0.51 crore) and Agricultural Engineering Institutes (₹ 0.22 crore); (ii) Grants for Creation of Capital Assets to Indian Council of Agricultural Research under Horticulture Institutes (₹ 0.16 crore), Agricultural Economics and Statistics Institutes (₹ 0.02 crore), Agricultural Engineering Institutes (₹ 0.01 crore), Animal Science Institute (₹ 0.33 crore) and Fisheries Institutes (₹ 0.02 crore); (iii) Grants-in-aid Salaries to Indian Council of Agricultural Research under Agricultural Education Institutes (₹ 0.38 crore), Other Natural Resource Management Institutes (₹ 0.45 crore), Animal Science Institutes (₹ 8.21 crore) and Fisheries Institutes (₹ 3.50 crore).	-	13.81	13.81
(ग) (i) कृषि में मूलभूत, कार्यनीतिक और सीमान्त उपयोग अनुसंधान राष्ट्रीय नीति के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सामान्य सहायता अनुदान (₹1.02 करोड़) (ii) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल को सामान्य सहायता अनुदान (₹2.64 करोड़)। केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, बड़ापानी को सामान्य सहायता अनुदान (₹0.14 करोड़)। कृषि में मूलभूत, कार्यनीतिक, और सीमान्त उपयोग अनुसंधान राष्ट्रीय नीति के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹0.08 करोड़) (iii) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय बड़ापानी को पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु (₹0.13 करोड़) (iv) कृषि इंजीनियरिंग संस्थान के अन्तर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को वेतन सहायता अनुदान (₹0.60 करोड़)।	(c) For providing (i) Grants-in-aid General (₹ 1.02 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 0.08 crore) to Indian Council of Agricultural Research under National Fund for Basic, Strategic and Frontier Application Research in Agriculture (ii) Grants-in-aid General to Central Agricultural University, Imphal (₹ 2.64 crore) and Barapani (₹ 0.14 crore) (iii) Grants for Creation of Capital Assets to Central Agricultural University, Barapani (₹ 0.13 crore); and (iv) Grants-in-aid Salaries to Indian Council of Agricultural Research under Agricultural Engineering Institutes (₹ 0.60 crore).	4.61	-	4.61
3. पशुपालन, डेयरींग और मत्स्यपालन विभाग	3 Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries			
(क) नेशनल बैंक आफ एग्रीकल्चर एण्ड रुरल डेवपलपमेंट (नाबाई) की "डेयरी उद्यमशीलता विकास" के अंतर्गत अतिरिक्त निधियां प्रदान करने के लिए।	(a) For providing additional funds to National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) under the scheme Dairy Entrepreneurship Development.	19.64	-	19.64
(ख) "लाइवस्टॉक सेंसस" स्कीम के अन्तर्गत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना।	(b) For additional requirement under the scheme of Livestock Census	0.50	-	0.50
(ग) संस्थान की चारदिवारी के निर्माण हेतु "सेन्ट्रल कैटल ब्रीडिंग फार्म" के अन्तर्गत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना।	(c) For meeting additional requirement under the scheme of Central Cattle Breeding Farm.	1.76	-	1.76

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
परमाणु ऊर्जा विभाग	DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY			
4 परमाणु ऊर्जा	4 Atomic Energy			
(क) भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (₹2.74 करोड़) न्यूक्लियर रिसाइकल बोर्ड (₹89.02 करोड़) न्यूक्लियर ईंधन काम्प्लैक्स (₹167.83 करोड़)।	(a) For meeting additional expenditure of Bhabha Atomic Research Centre (₹ 2.74 crore), Nuclear Recycle Board (₹ 89.02 crore) and Nuclear Fuel Complex (₹ 167.83 crore).	-	259.59	259.59
(ख) विभिन्न स्कीमों के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजनार्थ अनुदान का अतिरिक्त व्यय।	(b) For additional expenditure towards Grants for Creation of Capital Assets under various schemes.	37.59	-	37.59
(ग) निम्न के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (1) परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (₹3.47 करोड़), भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (₹126.02 करोड़), उन्नत प्रौद्योगिकी राजा रमन्ना केंद्र (₹11.02 करोड़), चर एनजीए साइक्लोट्रॉन केंद्र (₹3.98 करोड़), और एएमडी (₹3.86 करोड़). 2. (i) टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान को वेतन सहायता अनुदान हेतु (₹22.49 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान (₹17.60 करोड़) (ii) टाटा मेमोरियल हस्पताल को वेतन सहायता अनुदान (₹7 करोड़) (iii) साहा परमाणु भौतिकी संस्थान के वेतन सहायता अनुदान (₹1.59 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान (₹3.13 करोड़) (iv) हरीश चंद्र अनुसंधान संस्थान को वेतन सहायता अनुदान (₹0.56 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान (₹0.58 करोड़) (v) पलास्मा अनुसंधान संस्थान को वेतन सहायता अनुदान (₹3.77 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान (₹4 करोड़) (vii) परमाणु ऊर्जा शिक्षा स्कूल के वेतन सहायता अनुदान (₹11.28 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान (₹1.80 करोड़)।	(c) For meeting additional expenditure towards (1) Atomic Energy Regulatory Board (₹ 3.47 crore), Bhabha Atomic Research Centre (₹ 126.02 crore), Raja Ramanna Centre for Advance Technology (₹ 11.02 crore), Variable Energy Cyclotron Centre (₹ 3.98 crore) and AMD (₹ 3.86 crore) (2) (i) Tata Institute of Fundamental Research towards Grants-in-aid Salaries (₹ 22.49 crore) and Grants-in-aid General (₹ 17.60 crore) (ii) Tata Memorial Hospital towards Grants-in-aid Salaries (₹ 7 crore) (iii) Saha Institute of Nuclear Physics towards Grants-in-aid Salaries (₹ 1.59 crore) and Grants-in-aid General (₹ 3.13 crore) (iv) Harish Chandra Research Institute towards Grants-in-aid Salaries (₹ 0.56 crore) and Grants-in-aid General (₹ 0.58 crore) (v) Institute of Plasma Research towards Grants-in-aid Salaries (₹ 3.77 crore) and Grants-in-aid General (₹ 4 crore) (vi) Atomic Energy Education School towards Grants-in-aid Salaries (₹ 11.28 crore) and Grants in-aid General (₹ 1.80 crore).	-	222.15	222.15
(घ) विभिन्न स्कीमों के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(d) For meeting capital expenditure of Atomic Energy.	15.51	-	15.51
(ङ) न्यूक्लियर रिसाइकल बोर्ड परियोजनाएं (₹5 करोड़) और गुरु जल बोर्ड (₹129.34 करोड़) की परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त व्यय।	(e) For additional expenditure towards projects of Nuclear Recycle Board (₹ 5 crore) and Heavy Water Board (₹ 129.34 crore).	-	134.34	134.34
(च) विभिन्न स्कीमों के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(f) For meeting additional expenditure under Atomic Energy Research.	127.47	-	127.47
कोयला मंत्रालय	MINISTRY OF COAL			
10 कोयला मंत्रालय	10 Ministry of Coal			
"नामोदिष्ट प्राधिकरण" के कार्य-संचालन संबंधी व्यय पूरी करने हेतु।	For meeting expenditure on the functioning of "Nominated Authority".	-	3.74	3.74

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन Non Plan	जोड़ Total
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY			
11. वाणिज्य मंत्रालय	11 Department of Commerce			
(क) इस अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (i) चाय बोर्ड को सामान्य अनुपालन सहायता के लिए (₹1.70 करोड़), वचनबद्ध देनदारियों और अनुदान सहायता वेतन के भुगतान के लिए (₹6.39 करोड़), कर्मचारियों को वेतन और पेंशन भोगियों को वार्षिक पेंशन देनदारी के भुगतान के लिए; (ii) कॉफी बोर्ड के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹21.60 करोड़), अन्य प्रशासनिक व्यय की लागत सहायता अनुदान वेतन (₹3.60 करोड़); (iii) रबड़ बोर्ड के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹10.50 करोड़) और (iv) मसाला बोर्ड के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹3.81 करोड़) और सहायता अनुदान वेतन (₹1.84 करोड़)।	(a) For meeting additional expenditure of (i) Tea Board towards Grants-in-aid General (₹ 1.70 crore) and Grants-in-aid Salary (₹ 6.39 crore) ; (ii) Coffee Board towards Grants-in-aid General (₹ 21.60 crore) and Grants-in-aid Salary (₹ 3.60 crore) ; (iii) Rubber Board towards Grants-in-aid General (₹ 10.50 crore) and Grants-in-aid Salary (₹ 10.50 crore) and (iv) Spices Board towards Grants-in-aid General (₹ 3.81 crore) and Grants-in-aid Salary (₹ 1.84 crore).	-	59.94	59.94
(ख) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान को पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹36.54 करोड़) और राष्ट्रीय निर्यात बीमा लेखा (एनआईए) को (₹100 करोड़) की अतिरिक्त व्यय हेतु अनुदान प्रदान करने के लिए।	(b) For providing Grants for Creation of Capital Assets to Indian Institute of Foreign Trade (₹ 36.54 crore) and additional expenditure towards National Export Insurance Account (₹ 100 crore).	136.54	-	136.54
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY			
12 औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग	12 Department of Industrial Policy and Promotion			
(क) निवेश प्रोन्नति स्कीम के तहत अतिरिक्त व्यय पूरी करने के लिए।	(a) For meeting additional expenditure under 'Scheme for Investment Promotion'.	10.00	-	10.00
(ख) पल्प और पेपर उद्योग विकास परिषद को वेतन सहायता अनुदान (₹2.80 करोड़) और राष्ट्रीय सीमेंट और बिल्डिंग निर्माण सामग्री (₹0.80 करोड़) प्रदान करने के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting an additional expenditure towards providing Grants-in-aid Salaries to Development Council for Pulp and Paper Industries (₹ 2.80 crore) and National Council for Cement and Building Material (₹ 0.80 crore).	-	3.60	3.60
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY			
14 दूर संचार विभाग	14 Department of Telecommunications			
(क) नई दिल्ली में सांसदों को घरों में (एफटीटीएच) फाइबर/फाइबर सुविधा प्रदान करने हेतु महानगर टेलीफोन निगम लि. को निधि प्रदान करना।	(a) For providing funds to Mahanagar Telephone Nigam Limited towards broadband/fiber to the home (FTTH) facilities to MPs in New Delhi.	6.00	-	6.00
(ख) महानगर टेलीफोन निगम लि. के द्वारा जारी बांडों पर बाण को अदायगी हेतु अतिरिक्त व्यय के लिए बैठक।	(b) For meeting additional expenditure towards payment of interest on bonds issued by Mahanagar Telephone Nigam Limited.	-	72.42	72.42
(ग) भारतीय टेलीफोन उद्योग लि. के वेतन की अदायगी के लिए ऋण प्रदान करना।	(c) For providing loans to Indian Telephone Industries Limited for payment of salaries.	-	204.00	204.00
15 इलेक्ट्रॉनिक तथा आसूचना तकनीक विभाग	15 Department of Electronics and Information Technology			
"एनआईआईएलआईटी" कार्यक्रम/योजना के तहत सहायता अनुदान वेतन हेतु अतिरिक्त वेतन के लिए बैठक।	For meeting additional expenditure towards Grants-in-aid Salaries under the Scheme/Programme of "NIELIT".	-	3.56	3.56

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
खाद्य एवं लोक वितरण, उपभोक्ता - मामले मंत्रालय	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION			
17 खाद्य एवं लोक वितरण विभाग	17 Department of Food and Public Distribution			
लोक वितरण व्यवस्था तथा क्षमता निर्माण, गुणता नियंत्रण, परामर्श दाता सेवाएं तथा अनुसंधान को मजबूत बनाना।	For strengthening of Public Distribution System & Capacity Building, Quality Control, Consultancies and Research.	0.06	-	0.06
संस्कृति मंत्रालय	MINISTRY OF CULTURE			
19. संस्कृति मंत्रालय	19 Ministry of Culture			
(क) (i) संगीत नाटक अकादमी (₹1.50 करोड़) तथा (ii) कलाक्षेत्र, चैन्नई (₹0.30 करोड़) के लिए सामान्य सहायता अनुदान।	(a) For Grants-in-aid General to (i) Sangeet Natak Akademi (₹ 1.50 crore) and (ii) Kalakshetra, Chennai (₹ 0.30 crore).	1.80	-	1.80
(ख) (i) नेहरू मेमोरियल म्यूजियम (₹2 करोड़); ललित कला अकादमी (₹3 करोड़) तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल (₹0.32 करोड़) के लिए सामान्य सहायता अनुदान तथा (ii) एशियन सोसायटी, कोलकाता के लिए वेतन सहायता अनुदान (₹2.50 करोड़)।	(b) For (i) Grants-in-aid General to Nehru Memorial Museum (₹ 2 crore); Lalit Kala Akademi (₹ 3 crore) and Indira Gandhi Rashtriya Manav Sangrahalaya, Bhopal (₹ 0.32 crore) and (ii) Grants-in-aid Salaries (₹ 2.50 crore) to the Asiatic Society, Kolkata.	-	7.82	7.82
रक्षा मंत्रालय	MINISTRY OF DEFENCE			
25 रक्षा आयुध निर्माणी	25 Defence Ordnance Factories			
विजयंता सीनियर स्कूल, हेवी वेहिकल फैक्टरी, आवडी के लिए अतिरिक्त सहायता अनुदान प्रदान करना।	For providing additional Grants-in-aid to Vijayanta Senior School, Heavy Vehicle Factory, Avadi.	-	0.35	0.35
27 रक्षा मंत्रालय	27 Ministry of Defence			
(क) न्यायिक आदेशों के परिणामस्वरूप संयुक्त कर्मचारियों द्वारा किए गए अतिरिक्त व्यय के भुगतान हेतु बैठक।	(a) For meeting additional expenditure by Joint Staff towards payment arising out of Court Orders.	-	5.44	5.44
(ख) वायु सेना (कार्य) (₹23.54 करोड़) तथा सेना (थल) (₹183 करोड़) के द्वारा अतिरिक्त व्यय के लिए बैठक।	(b) For meeting additional expenditure by Army (Land) (₹ 183 crore) and Air Force(Works) (₹ 23.54 crore).	-	206.54	206.54
पर्यावरण तथा वन मंत्रालय	MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS			
31 पर्यावरण तथा वन मंत्रालय	31 Ministry of Environment and Forests			
(i) राष्ट्रीय टाइगर संरक्षण प्राधिकरण (प्रोजेक्ट टाइगर) के लिए सहायता अनुदान (₹1.50 करोड़) तथा (ii) वन प्रबंधन की भारतीय संस्था के लिए सहायता अनुदान वेतन हेतु (₹3.65 करोड़) को पूरा करने हेतु।	For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General (₹ 1.50 crore) to National Tiger Conservation Authority (Project tiger) and (ii) Grants-in-aid salaries (₹ 3.65 crore) to Indian Institute of Forest Management.	5.15	-	5.15
विदेश मामले मंत्रालय	MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS			
32 विदेश मामले मंत्रालय	32 Ministry of External Affairs			
(i) अंतरराष्ट्रीय कानून, भारतीय सोसायटी (₹0.15 करोड़) के लिए सामान्य सहायता अनुदान (ii) वैश्विक मामले, भारतीय परिषद (₹1.54 करोड़) के लिए वेतन सहायता अनुदान तथा "विशेष राजनयिक व्यय" (₹120 करोड़) के तहत अतिरिक्त निधि प्रदान करना।	For (i) Grants-in-aid General to Indian Society of International Law (₹ 0.15 crore) (ii) Grants-in-aid Salaries to India Council of World Affairs (₹ 1.54 crore) and providing additional funds under 'Special Diplomatic Expenditure' (₹ 120 crore).	-	121.69	121.69

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
वित्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE			
33 आर्थिक कार्य विभाग	33 Department of Economic Affairs			
(क) कृषि संबंधी विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय निधि (आईएफएडी) अंशदान के अतिरिक्त व्यय के लिए बैठक।	(a) For meeting additional expenditure towards contribution to International Fund for Agricultural Development (IFAD).	-	1.35	1.35
(ख) रेलवे को संचालन रणनीतिक लाइनों में होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति के लिए सहायिकी हेतु अतिरिक्त निधि प्रदान करना।	(b) For providing additional funds for subsidy to Railways towards reimbursement of losses to Railways for operation of strategic lines.	-	16.90	16.90
(ग) (i) विज्ञापन तथा प्रचार (₹1 करोड़) तथा (ii) फाइनेशल एक्शन टाक्स फोर्स (₹0.07 करोड़) के लिए सदस्यता अंशदान, एड्स, टी.बी. तथा मलेरिया (₹0.26 करोड़) के लिए वैश्विक निधि का अंशदान तथा टीकाकरण एवम प्रतिरक्षीकरण (₹0.22 करोड़) के लिए वाशिवक मिश्रों का योगदान।	(c) For meeting additional expenditure towards (i) Advertisement and Publicity (₹ 1 crore) and (ii) membership contribution to Financial Action Task Force (₹ 0.07 crore), contribution to Global funds for AIDS, TB and Malaria (₹ 0.26 crore) and contribution to Global Alliance for Vaccination and Immunization (₹ 0.22 crore).	-	1.55	1.55
(घ) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के रेजीडेन्ट रिप्रेजेन्टेटिव पर आने वाले (₹0.14 करोड़) के अतिरिक्त खर्च और ग्लोबल इन्विरोनमेन्ट फेसिलिटी ट्रस्ट फण्ड के (₹4.81 करोड़) का अंशदान करने के लिए।	(d) For meeting additional expenditure for Resident Representative of United Nations Development Programme (₹ 0.14 crore) and contribution to Global Environment Facility Trust Fund (₹ 4.81 crore).	-	4.95	4.95
34 वित्तीय सेवाओं का विभाग	34 Department of Financial Services			
(क) पेंशन विधि नियमक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के लिए सामान्य सहायता अनुदान हेतु ₹5.50 करोड़ और वेतन सहायता अनुदान के लिए ₹1.50 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान का रखा जाना।	(a) For additional provision towards Grants-in-aid General (₹ 5.50 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹ 1.50 crore) for Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA).	-	7.00	7.00
(ख) आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई) के तहत छात्रवृत्ति निधि के पुनर्भरण के लिए अतिरिक्त प्रावधान।	(b) For additional provision towards replenishment of Scholarship Fund under Aam Aadmi Bima Yojana (AABY)	-	25.00	25.00
(ग) क्रेडिट गारंटी फंड फोर फैक्ट्रिंग का अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(c) For meeting additional expenditure for Credit Guarantee Fund for Factoring.	200.00	-	200.00
(घ) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड (आईआईएफसीआईएल) के प्राथमिकता प्राप्त शेयरों की खरीदारी के लिए, निधि प्रदान करने के लिए।	(d) For providing funds towards purchasing preference shares of Industrial Finance Corporation of India Limited (IIFCI Ltd.).	60.00	-	60.00
37 सरकारी सेवकों को ऋण आदि	37 Loans to Government Servants, etc.			
कंप्यूटरों की खरीद के लिए अग्रिमों के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।	For meeting additional expenditure towards Advances for purchase of Computers.	-	5.00	5.00
42 राजस्व विभाग	42 Department of Revenue			
प्रवर्तन निदेशालय का स्थापना संबंधी व्यय पूरा करने हेतु।	For meeting establishment related expenditure of Enforcement Directorate	-	3.48	3.48
43 प्रत्यक्ष कर	43 Direct Taxes			
पठानकोट में कार्यालयी बिल्डिंग के निर्माण हेतु भूमि की खरीद (₹1.74 करोड़) और आयकर कार्यालयों के लिए जम्मू में रिहायशी क्वार्टरों के	For purchase of land for construction of office building at Pathankot (₹ 1.74 crore) and construction of residential quarters at			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
निर्माण (₹2.29 करोड़) और प्रोवोरिम, गोवा में रिहायशी क्वार्टरों के निर्माण (₹10.00 करोड़) के लिए।	Jammu (₹ 2.29 crore) and residential quarter at Provorum, Goa (₹ 10 crore) for IncomeTax Offices.	-	14.03	14.03
44 अप्रत्यक्ष कर	44 Indirect Taxes			
(i) क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, राष्ट्रीय सीमा उत्पाद शुल्क, एवं नारकोटिक्स अकादमी, चैन्नई के निर्माण के लिए तमिलनाडु आवास बोर्ड (टेएनएचबी), चैन्नई से भूमि खरीद के लिए (₹55.00 करोड़) (ii) राष्ट्रीय सीमा, उत्पाद शुल्क एवं नारकोटिक्स शुल्क, अकादमी बिल्डिंग और चारदिवारी, हिन्दुपुर, आंध्र प्रदेश में निर्माण के लिए भूमि खरीद के लिए (11 करोड़ रुपए) (iii) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग, चर्चगेट मुम्बई द्वारा अपने स्वामित्व वाली पुरानी बिल्डिंग की एक बार मरम्मत और नवीनीकरण के लिए (₹1.00 करोड़)।	For (i) purchase of land (₹ 55 crore) for construction of Regional Training Institute, National Academy of Customs Excise and Narcotics at Chennai , (ii) acquisition of land (₹ 11 crore) for construction of National Academy of Customs, Excise and Narcotics building at Andhra Pradesh and (iii) one time major repairs and renovation of old buildings owned by the Central Excise Department at Church Gate, Mumbai (₹ 1 crore).	-	67.00	67.00
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES			
46 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	46 Ministry of Food Processing Industries			
(क) गुणवत्ता आश्वासन स्कीम के तहत व्यावसायिक शुल्कों के भुगतान, कोडेक्स मानकों, अनुसंधान और विकास अन्य संवर्धन गतिविधियों के लिए।	(a) For payment of professional fees under the scheme quality Assurance, codex standards, R&D other promotional Activities.	0.28	-	0.28
(ख) आईआईसीपीटी को अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए।	(b) For providing additional Grants-in-aid General to IICPT	-	2.01	2.01
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE			
47 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	47 Department of Health and Family Welfare			
(क) (i) मेडिकल शिक्षा और अनुसंधान स्नातकोत्तर संस्थान, चंडीगढ़ को पूंजीगत आस्तियों के सृजनार्थ अतिरिक्त अनुदान।	(a) For additional Grants for creation of Capital Assets to Post Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh.	10.00	-	10.00
(ख) (i) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण के अधीन अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹40.38 करोड़) और (ii) रूटीन इम्प्यूनाइजेशन कार्यक्रम (जीसी) (₹0.43 करोड़)।	(b) For additional Grants-in-aid General under (i) Strengthening National Programme Management of the NRHM (₹ 40.38 crore) and (ii) Routine Immunisation Programme (GC) (₹ 0.43 crore).	40.81	-	40.81
(ग) (i) अवसंरचना रख रखाव केन्द्र (₹1.43 करोड़) राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम (2.00 करोड़), वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य देख-रेख (₹0.25 करोड़), एससीएसपी के अधीन अवसंरचना रख रखाव (₹1.37 करोड़), एससीएसपी के अंतर्गत समेकित रोग निगरानी परियोजना (₹0.56 करोड़), टीएसपी के अन्तर्गत नेशनल अर्बन हेल्प मिशन (₹0.47 करोड़) टीएसपी के अधीन राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम जीसी (₹0.10 करोड़), टीएसपी के अधीन समेकित रोग निगरानी परियोजना (₹0.44 करोड़), टीएसपी के अधीन स्वास्थ्य देख-रेख (₹0.05 करोड़), टीएसपी के अधीन राष्ट्रीय मुख संबंधी देख-रेख स्वास्थ्य कार्यक्रम (₹0.14 करोड़) के संबंध में अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने	(c) For additional (i) Grants-in-aid General under Infrastructure Maintenance - Sub Centres (₹ 1.43 crore); National Blindness Control Programme (₹ 2 crore); Health care for Elderly (₹ 0.25 crore); Infrastructure Maintenance under SCSP (₹ 1.37 crore); Integrated Disease Surveillance Project under SCSP (₹ 0.56 crore); National Urban Health Mission under TSP (₹ 0.47 crore); National Leprosy Control Programme - GC under TSP (₹ 0.10 crore); Integrated Disease Surveillance Project under TSP (₹ 0.44 crore); Health care for Elderly under TSP			

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
के लिए सामान्य सहायता अनुदान (ii) टीएसपी के अधीन वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹0.06 करोड़)।	(₹ 0.05 crore); National Oral Health Programme under TSP (₹ 0.14 crore) and (ii) Grants for creation of capital assets under the scheme Health care for Elderly under TSP (₹ 0.06 crore).	6.87	-	6.87
(घ) स्कीम-चिकित्सा पुनर्वास के तहत सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु।	(d) For providing Grants-in-aid General under the scheme-Medical Rehabilitation.	8.00	-	8.00
(ङ) बीसीजी वैक्सीन प्रयोगशाला गिंडी, चैन्नई के लिए लियोफिलाइजर मशीन की खरीद की अतिरिक्त लागत पूरी करने के लिए।	(e) For meeting additional cost towards procurement of Lyophilizer Machine for BCG Vaccine Laboratory, Guindy, Chennai .	7.17	-	7.17
48 आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा तथा होम्योपैथी विभाग (आयुष)	48 Department of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH)			
(क) (i) माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान, राज्य में चुनाव कराने हेतु सीसीआईएम चुनावों के आयोजना हेतु अनुदान (₹0.28 करोड़)। (ii) निम्न स्कीमों के तहत वेतन सहायता अनुदान (क) स्कीम के तहत राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर को स्टाफ को वेतन और पेंशनरी लाभों के लिए (₹3.24 करोड़) की अतिरिक्त जरूरत पूरी करने के लिए (2) केन्द्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद स्कीम के तहत वेतन और पेंशनरी लाभों के लिए (₹17.00 करोड़) की अतिरिक्त जरूरत पूरी करने के लिए (3) केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद स्कीम के तहत वेतन और पेंशनरी लाभों के लिए (₹1.82 करोड़) की अतिरिक्त जरूरत पूरी करने के लिए। (4) केन्द्रीय यूनानी औषधि परिषद स्कीम के तहत स्टाफ को वेतन और पेंशनरी लाभों के लिए (₹9.70 करोड़) की अतिरिक्त जरूरत पूरी करने के लिए।	(a) For (i) Grants-in-aid General under the scheme, Grants for conducting CCIM Elections for holding election in the States as directed by Hon'ble Court (₹ 0.28 crore) and (ii) providing Grants-in-aid Salaries for meeting additional requirements of salary and pensionary benefits to the staff of 1. National Institute of Ayurveda, Jaipur, (₹ 3.24 crore) 2. Central Council for Research in Ayurvedic Sciences (₹ 17 crore) 3. Central Council for Research in Homoeopathy (₹ 1.82 crore) and 4. Central Council for Research in Unani Medicine (₹ 9.70 crore).	-	32.04	32.04
(ख) राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) स्कीम के तहत नव निर्मित स्कीम के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजनार्थ सामान्य सहायता अनुदान (₹7.50 करोड़)। (ii) राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) स्कीम के तहत नव निर्मित स्कीम के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजनार्थ सामान्य सहायता अनुदान (₹9.18 करोड़)।	(b) For providing (i) Grants-in-aid General (₹ 7.50 crore) (ii) Grants for Creation of Capital Assets (₹ 9.18 crore) under National AYUSH Mission towards augmentation under the provisions of North Eastern Areas.	16.68	-	16.68
(ग) (i) राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹32.63 करोड़) और (ii) और पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹12.69 करोड़), (iii) सामान्य सहायता अनुदान (₹1.03 करोड़) तथा (iv) राष्ट्रीय आयुष मिशन के एससी एसपी घटक के अन्तर्गत पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु (₹1.03 करोड़)।	(c) For providing (i) Grants-in-aid General (₹ 32.63 crore); (ii) Grants for Creation of Capital Assets (₹ 12.69 crore) under National AYUSH Mission (iii) Grants-in-aid General (₹ 1.03 crore) and (iv) Grants for Creation of Capital Assets (₹ 1.03 crore) under the SCSP component towards National AYUSH Mission.	47.38	-	47.38
(घ) नव निर्मित स्कीम अर्थात राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹1.25 करोड़) (ii) नव निर्मित स्कीम अर्थात राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹1.21 करोड़ रुपए)।	(d) For providing Grants-in-aid to UT Governments (i) Grants-in-aid General (₹ 1.25 crore) and (ii) Grants for Creation of Capital Assets (₹ 1.21 crore) under National AYUSH Mission.	2.46	-	2.46

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
भारी उद्योग एवं सरकारी उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES			
51 भारी उद्योग विभाग	51 Department of Heavy Industry			
सांविधिक देयों के भुगतान के लिए एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड के लिए गैर-आयोजना ऋण।	Non-plan loan to HMT Machine Tools Ltd. for payment of statutory dues.	-	26.34	26.34
गृह मंत्रालय	MINISTRY OF HOME AFFAIRS			
53 गृह मंत्रालय	53 Ministry of Home Affairs			
(i) राष्ट्रीय मानवधिकार आयोग की अतिरिक्त जरूरत पूरी करने (₹2.70 करोड़ रुपए), (ii) अन्य गैर कानूनी कार्यकलाप (रोकथाम) अधिकरण के बकाया दावों के भुगतान हेतु (₹0.59 करोड़), (iii) कार्य-संरक्षणकर्ताओं के आवास पर निर्माण संबंधी सुरक्षा हेतु अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना (₹2.00 करोड़ रुपए)।	For (i) meeting additional requirement towards Grants-in-aid General under National Human Rights Commission (₹ 2.70 crore) (ii) payment of outstanding claims of other Unlawful Activities (Prevention) Tribunal (₹ 0.59 crore) and (iii) meeting additional requirement for security related works at the residence of Protectees (₹ 2 crore).	-	5.29	5.29
55 पुलिस	55 Police			
निम्न का अतिरिक्त खर्च पूरा करने हेतु (i) विशेष सुरक्षा समूह के लिए रिहायशी बिल्डिंग (₹1.95 करोड़); (ii) अनुसंधान (₹276 करोड़) और (iii) असम राईफल्स (₹20 करोड़)।	For meeting additional expenditure towards (i) Residential Building for Special Protection Group (₹1.95 crore); (ii) Research (₹ 276 crore) and (iii) Assam Rifles (₹ 20 crores)	-	297.95	297.95
56 गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	56 Other Expenditure of the Ministry of Home Affairs			
संघ शासित क्षेत्रों के नव नियुक्त वित्तीय आयोगों के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतन के भुगतान के लिए अग्रिम में स्वीकृत भारत की आकास्मिक निधि का रिकूपमेंट।	Recoupment of Contingency Fund of India Advance sanctioned for payment of salaries to Chairperson and other Members of newly appointed Financial Commission of UTs.	-	0.09	0.09
आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	MINISTRY OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION			
58 आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	58 Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation			
(क) सभी के लिए घर नए मिशन के लिए प्रावधान में बढ़ोतरी (i) अन्य प्रशासनिक व्यय (₹0.49 करोड़) (ii) विज्ञापन एवं प्रचार (₹1.00 करोड़) तथा (iii) सामान्य सहायता अनुदान (₹8.50 करोड़)।	(a) For augmenting provision for New Mission for Housing for All towards (i) Other Administrative Expenses (₹ 0.49 crore), (ii) Advertisement and Publicity (₹ 1 crore) and (iii) Grants in-aid General (₹ 8.50 crore).	9.99	-	9.99
(ख) आवास तथा शहरी विकास कारपोरेशन को भुगतान करना।	(b) For payment to Housing and Urban Development Corporation.	-	4.98	4.98
(ग) जवाहर लाल नेहरू नेशनल अर्बन रेन्युअल मिशन व्यावसायिक सेवाएं (₹11.58 करोड़) सामान्य सहायता अनुदान (₹17.98 करोड़) तथा राजीव आवास योजना (व्यावसायिक सेवाएं (₹6.00 करोड़)।	(c) For augmenting provision towards Professional Services (₹ 11.58 crore) and Grants-in-aid General (₹ 17.98 crore) under Jawahar Lal Nehru National Urban Renewal Mission and Professional Services (₹ 6 crore) under Rajiv Awas Yojana .	35.56	-	35.56
मानव संसाधन विकास मंत्रालय	MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT			
59 विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग	59 Department of School Education and Literacy			
(क) न्यायालय के आदेश के अनुसार सोसायटियों	(a) For providing (i) Grants-in-aid General			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन Non Plan	जोड़ Total
को भुगतान करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹1.42 करोड़) (ii) मदरसों/अल्पसंख्यकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए स्कीम-एसपीक्यूईएम) वकीलों को भुगतान हेतु अन्य प्रभार और यात्रा भत्ता/मंहगाई भत्ता आदि (₹0.30 करोड़)।	(₹ 1.42 crore) towards payment to societies as per Court's decree and (ii) payment to advocates TA/DA etc. (₹ 0.30 crore) under the scheme for providing Education to Madrassas Minorities.	1.72	-	1.72
(ख) केंद्रीय विद्यालय संगठन के नए भर्ती अध्यापकों की अतिरिक्त जरूरत पूरी करने के लिए।	(b) For meeting additional requirement for newly recruited teachers of Kendriya Vidyalaya Sangathan.	-	63.35	63.35
60 उच्चतर शिक्षा विभाग	60 Department of Higher Education			
(क) (i) पुस्तकों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय बुक ट्रस्ट/संस्थानों की अनुदान स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹9.00 करोड़) और (ii) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की अनुदान स्कीम के तहत पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹175.00 करोड़)।	(a) For providing (i) Grants-in-aid General (₹ 9 crore) to National Book Trust/Institutions for Book Promotion and (ii) Grants for Creation of Capital Assets to Central Universities (₹ 175 crore).	184.00	-	184.00
(ख) (i) पेंशन और पेंशन लाभों के भुगतान के अतिरिक्त जरूरत को पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान केन्द्रीय विश्वविद्यालय को अनुदान (₹168.36 करोड़) और (ii) मानवीय और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पहल (₹1.17 करोड़) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्कीम के तहत वेतन सहायता अनुदान के अतिरिक्त जरूरत को पूरा करने के लिए (₹40.59 करोड़)।	(b) (i) Grants-in-aid General for meeting additional requirement for payment of pension and pensionary benefits to Central Universities (₹ 168.36 crore) and National Initiative for Excellence in humanities and social sciences (₹ 1.17 crore) and (ii) Grants-in-aid Salaries to University Grants Commission (₹ 40.59 crore).	-	210.12	210.12
(ग) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹90.00 करोड़) (ii) प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, बाम्बे, कोलकाता, कानपुर, चैन्नई और कोलकाता स्कीम तहत सामान्य सहायता अनुदान (0.52 करोड़ रुपए) 2(i) भारतीय विज्ञान शिक्षा संस्थान (आईआईएससी) और भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान शिक्षा संस्थानों (आईआईएसईआर) स्कीम के तहत, वेतन सहायता अनुदान (₹18.00 करोड़)। (ii) भारतीय प्रबंधन संस्थानों के तहत वेतन सहायता अनुदान (₹20.00 करोड़)। (iii) राष्ट्रीय तकनीकी संस्थानों (एनआईटी) की स्कीम के तहत पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹100.00 करोड़) (ii) प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, बाम्बे, कोलकाता, कानपुर, चैन्नई और कोलकाता स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹0.20 करोड़) और (iii) सीमान्त प्रशिक्षण और अनुसंधान स्कीम के तहत पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹17.58 करोड़)।	(c) For 1. Grants-in-aid General under the schemes (i) All India Council for Technical Education (₹ 90 crore) and (ii) Board of Apprenticeship Training (₹ 0.52 crore), 2. Grants-in-aid Salaries under the schemes (i) support to Indian Institute of Science (IISc) and Indian Institute (s) of Science Education & Research (IISER) Education (₹ 18 crore) and (ii) Indian Institute of Management (₹ 20 crore), 3. Grants for creation of Capital Assets under the schemes (i) National Institute of Technology (NITs) (₹ 100 crore) and (ii) Board of Apprenticeship Training (₹ 0.20 crore) and (iii) Training & Research in Frontier Areas (₹ 17.58 crore).	246.30	-	246.30
(घ) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) स्कीम के तहत, पेंशन और पेंशनरी लाभों के भुगतान की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान।	(d) For meeting additional requirement of Indian Institutes of Technology (IITs) towards Grants-in-aid General for payment of pensionary benefits .	-	53.83	53.83
(ङ) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान स्कीम के तहत पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹100.00 करोड़)। (ii) एसएलआईटी, एनईआरआईएसटी, एनआईएफएफटी रंची, सीआईटी कोकराझार जैसे संस्थानों को सहायता स्कीम के तहत पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु (20.00 करोड़) (iii) भारतीय प्रबंधन संस्थान स्कीम के तहत पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु (10.00 करोड़)।	(e) For providing Grants for Creation of Capital Assets under the Schemes (i) Grants to Central Universities (₹ 100 crore), (ii) Assistance to other Institutes including SLIET, NERIST Ranchi, CIT Kokrajhar (₹ 20 crore) and (iii) Indian Institutes of Management (₹ 10 crore).	130.00	-	130.00

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
सूचना और प्रसारण मंत्रालय	MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING			
61 सूचना और प्रसारण मंत्रालय	61 Ministry of Information and Broadcasting			
(क) भारत और विदेश में फिल्मोत्सव और फिल्म बाजारों के माध्यम से भारतीय सिनेमा प्रोन्नति स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान का अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(a) For meeting additional expenditure towards Grants-in-aid General under the scheme Promotion of Indian Cinema through Film Festival and Film Markets in India and abroad.	1.50	-	1.50
(ख) चिल्ड्रन फिल्म सोसएटी आफ इंडिया को वेतनों के अतिरिक्त सहायता अनुदानों के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (₹0.04 करोड़), सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट (₹0.83 करोड़)। भारतीय जनसंचार संस्थान (₹0.80 करोड़) और भारतीय प्रेस परिषद (₹0.18 करोड़)।	(b) For meeting additional expenditure towards Grants-in-aid Salaries to Children's Film Society of India (₹ 0.04 crore), Satyajit Ray Film and Television Institutes (₹ 0.83 crore), Indian Institute of Mass Communication (₹ 0.80 crore) and Press Council of India (₹ 0.18 crore).	-	1.85	1.85
(ग) प्रसार भारती को सामान्य सहायता अनुदान (₹1.98 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹110 करोड़) का अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(c) For meeting additional expenditure towards Grants-in-aid General (₹ 1.98 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹ 110 crore) to Prasar Bharati.	-	111.98	111.98
श्रम और रोजगार मंत्रालय	MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT			
62 श्रम और रोजगार मंत्रालय	62 Ministry of Labour and Employment			
संघ शासित सरकार को कौशल विकास मिशन के लिए सामान्य सहायता अनुदान के रूप में निधियां प्रदान करने के लिए।	For release of funds to UT Government for Skill Development Mission as Grants-in aid General.	18.00	-	18.00
सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES			
66 सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम मंत्रालय	66 Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises			
(क) अवसरचर्चा विकास और क्षमता निर्माण स्कीम के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजनार्थ अनुदान प्रदान करना।	(a) For providing Grants for Creation of Capital Assets for NER under the scheme Infrastructure Development and Capacity Building	2.00	-	2.00
(ख) खादी अनुदान (₹90 करोड़) के अन्तर्गत सामान्य सहायता अनुदान की अतिरिक्त जरूरत को पूरा करना और एनएसआईसी द्वारा रेटिंग यूनित हेतु परफॉर्मंस एण्ड क्रेडिट रेटिंग स्कीम (₹20 करोड़) प्रमोशनल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन्स एंड प्रोग्रैम (₹0.50 करोड़) तथा अवसरचर्चा विकास एवं क्षमता निर्माण (₹20.88 करोड़)।	(b) For providing Grants-in-aid General under the schemes Khadi Grant (₹ 90 crore), Performance and Credit Rating Scheme (₹ 20 crore), Promotional Services Institutions and Programme (₹ 0.50 crore) and Infrastructure Development and Capacity Building (₹ 20.88 crore).	131.38	-	131.38
खान मंत्रालय	MINISTRY OF MINES			
67 खान मंत्रालय	67 Ministry of Mines			
(क) खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड के लिए संवर्धन कार्य के तहत सामान्य सहायता अनुदान की अतिरिक्त जरूरत पूरी करने के लिए।	(a) For meeting additional requirement towards Grants-in-aid General under promotional work for Mineral Exploration Corporation Ltd.	1.00	-	1.00
(ख) राष्ट्रीय चट्टान यांत्रिकी संस्थान (₹4.32 करोड़) जेएनएआरडीडीसी (₹2.05 करोड़) को वेतन सहायता अनुदान के तौर पर	(b) For additional requirement as Grants-in-aid salaries to the National Institute of Rock Mechanics (₹ 4.32 crore),			

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भन्न Non Plan	जोड़ Total
अतिरिक्त आवश्यकता और आन्ध्र प्रदेश सरकार को सुरक्षा सेवा संविदा बिलों, खनिज देयों के संबंध में भारत स्वर्ण खनन लिमिटेड, बंगलौर को सामान्य सहायता अनुदान (₹2.86 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है। उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।	Jawaharlal Nehru Aluminium Research Development and Design Centres (₹ 2.05 crore) and the Grants-in-aid General to the Bharat Gold Mines Limited (₹ 2.86 crore) towards expenditure relating security services contract bills, mineral dues to Andhra Pradesh Government.	-	9.23	9.23
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS			
68 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	68 Ministry of Minority Affairs			
निम्न के लिए (i) योग्यता-सह-साधन छात्रवृत्ति स्कीम (₹50 करोड़) और हमारी धरोहर स्कीम के तहत (ii) सामान्य सहायता अनुदान (₹4.04 करोड़) व्यावसायिक सेवाओं (₹0.01 करोड़) और पंजीगत आस्तियों के सृजनार्थ अनुदान (₹0.45 करोड़) का अतिरिक्त व्यय पूरा करना।	For (i) meeting the additional expenditure under the scheme of Merit-cum-Means Scholarship (₹ 50 crore) and (ii) Grants-in-aid General (₹ 4.04 crore), Professional Services (₹ 0.01 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 0.45 crore) under Hamari Dharohar Scheme.	54.50	-	54.50
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS			
75 पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	75 Ministry of Petroleum and Natural Gas			
उत्तरपूर्वी क्षेत्र को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए तेल कम्पनियों को सब्सिडी देने हेतु।	For providing subsidy to Oil Companies for supply of Natural Gas to NE Region.	-	24.00	24.00
योजना मंत्रालय	MINISTRY OF PLANNING			
76 योजना मंत्रालय	76 Ministry of Planning			
(क) निम्नलिखित के अंतर्गत होने वाले अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (i) असमानता को दूर करने के लिए यूएनडीपी एसिस्टेन्स फार ह्यूमन डेवलपमेंट को सामान्य सहायता (₹2.42 करोड़); और (ii) विकेन्द्रीकृत नियोजन के लिए यूएनडीपी एसिस्टेड प्रोजेक्ट स्ट्रेथेनिंग कैपसिटीज को सामान्य सहायता अनुदान (₹0.43 करोड़)।	(a) For meeting the additional requirement under (i) Grants-in-aid General to UNDP Assistance for Human Development towards bridging inequalities (₹ 2.42 crore) and (ii) Grants-in-aid General to UNDP assisted Project-Strengthening Capacities for decentralized Planning (₹ 0.43 crore).	2.85	-	2.85
(ख) राष्ट्रीय श्रम आर्थिक एवं कुशलता विकास संस्थान को अतिरिक्त सहायता अनुदान वेतन दिये जाने के लिए।	(b) For providing additional Grants-in-aid Salaries to National Labour Economics and Skill Development Institute.	-	2.00	2.00
विद्युत मंत्रालय	MINISTRY OF POWER			
77 विद्युत मंत्रालय	77 Ministry of Power			
राष्ट्रीय जल विद्युत निगम (एनएचपीसी) सलाल हाइड्रो स्टेज-I परियोजना के संबंध में पूंजीगत व्यय ऋण में बदलने के कारण पास्ट पीरियड एकाउंटिंग एडजस्टमेंट (पीपीए) के लिए।	For carrying out past period accounting adjustment (PPA) on account of conversion of Capital Expenditure into loan in respect of National Hydro Electric Power Corporation (NHPC) - Salal Hydro Stage-I Project.	310.60	-	310.60
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS			
83 सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	83 Ministry of Road Transport and Highways			
लक्ष्य में बढ़ोतरी होने और सीमा सड़क विकास	For meeting additional expenditure (₹ 5			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
बोर्ड (बीआरडीबी) के द्वारा भूटान के अंदर की ओर सड़क निर्माण कार्य को मंजूरी दिये जाने के कारण अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (₹5 करोड़)।	crore) due to increase in target and sanction of works of roads inside Bhutan by Border Roads Development Board (BRDB).	-	5.00	5.00
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY			
86. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय	86 Ministry of Science and Technology			
निम्नलिखित के लिए सामान्य सहायता अनुदान दिये जाने हेतु (i) प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम (₹7 करोड़) और (ii) दिशा प्रोग्राम फार वीमेन इन साइन्स (₹4.75 करोड़)।	For providing Grants-in-aid General towards (i) Technology Development Programme (₹ 7 crore) and (ii) Disha Programme for Women in Science (₹ 4.75 crore)	11.75	-	11.75
87 विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग	87 Department of Scientific and Industrial Research			
(क) निम्नलिखित के लिए दिये जाने के लिए (i) प्रशासन के अंतर्गत सीएसआईआर को सामान्य सहायता अनुदान (₹0.30 करोड़) और (ii) राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के अंतर्गत सीएसआईआर को सामान्य सहायता अनुदान (₹61.75 करोड़)।	(a) For providing (i) Grants-in-Salaries to CSIR under Administration (₹ 0.30 crore) and (ii) Grants-in-aid General to CSIR under National Laboratories (₹ 61.75 crore).	62.05	-	62.05
(ख) “प्रशासन” (₹144.67 करोड़) तथा राष्ट्रीय प्रयोगशाला (₹26.88 करोड़) सामान्य अनुदान सहायता और “प्रशासन” (₹4.50 करोड़) तथा राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं (₹17 करोड़) के अन्तर्गत सीएसआईआर के लिए वेतन सहायता अनुदान।	(b) For providing (i) Grants-in-aid General for CSIR under Administration (₹ 144.67 crore) and National Laboratories (₹ 26.88 crore) and (ii) Grants-in-aid Salaries for CSIR under Administration (₹ 4.50 crore) and National Laboratories (₹ 17 crore).	-	193.05	193.05
88 जैव प्रौद्योगिकी विभाग	88 Department of Biotechnology			
(क) सामान्य सहायता अनुदान (i) बायोइन्फार्मेटिक्स (₹0.77 करोड़) (ii) अनुसंधान और विकास-कृषि बायोइन्फार्मेटिक्स (₹10 करोड़) (iii) अनुसंधान और विकास-बायोरिसोर्स विकास और उपयोग (₹0.50 करोड़) (iv) अनुसंधान और विकास- मेडीकल बायोटेक्नालाजी (₹10 करोड़)।	(a) For providing Grants-in-aid General towards (i) Bioinformatics (₹ 0.77 crore), (ii) Research & Development - Agricultural Biotechnology (₹ 10 crore), (iii) Research & Development - Bioresource Development & Utilisation (₹ 0.50 crore), (iv) Research & Development- Medical Biotechnology (₹ 10 crore).	21.27	-	21.27
(ख) (i) मानव संसाधन विकास के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹8.81 करोड़) (ii) मानव संसाधन विकास कार्यक्रम के तहत पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹2 करोड़) (iii) बायोइन्फार्मेटिक्स के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹3 करोड़) (iv) अनुसंधान और विकास-मेडीकल बायोटेक्नालाजी के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹16 करोड़) (v) अन्तरराष्ट्रीय सहकारिता को सहयोग के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹4 करोड़) और (vi) अन्तरराष्ट्रीय सहकारिता हेतु अनुदान (₹5 करोड़)।	(b) For providing (i) Grants-in-aid General towards Human Resources Development (₹ 8.81 crore) (ii) Grants for Creation of Capital Assets under the programme Human Resource Development (₹ 2 crore) (iii) Grants-in-aid General towards Bioinformatics (₹ 3 crore) (iv) Grants-in-aid General towards Research & Development- Medical Biotechnology (₹ 16 crore) (v) Grants-in-aid General towards assistance for international Cooperation (₹ 4 crore) and (vi) Grants towards International Cooperation (₹ 5 crore).	38.81	-	38.81
पोत परिवहन मंत्रालय	MINISTRY OF SHIPPING			
89 पोत परिवहन मंत्रालय	89 Ministry of Shipping			
(क) हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स लि. द्वारा	(a) For making payment of Income Tax			

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
आय कर देयता का भुगतान।	liability by Hooghly Dock & Port Engineers Ltd.	-	48.00	48.00
(ख) आन-बोर्ड शिप ट्रेनिंग पूरी होने पर इंडियन मर्चेंट कैडेट/ट्रेनी को सहायता अनुदान उपलब्ध कराना।	(b) For providing Grants-in-aid to Indian Merchant Cadet/trainees for completion of their on-board ship training.	10.00	-	10.00
(ग) सेंट्रल इनलैण्ड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन के कार्मिकों के लिए समुन्नत स्वैच्छिक सेवानिवृत्त स्कीम का कार्यान्वयन।	(c) For implementation of improved Voluntary Retirement Scheme for employees of Central Inland Water Transport Corporation.	-	44.00	44.00
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT			
90 सामाजिक न्याय एवं अधिकारितास विभाग	90 Department of Social Justice and Empowerment			
(क) अन्य पिछड़े वर्गों के लड़के और लड़कियों के छात्रावास (₹11.88 करोड़) और अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए छात्रावास (₹4.00 करोड़) स्कीम के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन सहायता अनुदान, और (ii) केन्द्र शासित राज्य चण्डीगढ़ में अनुसूचित जाति के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति स्कीम (₹2.50 करोड़) के लिए सामान्य सहायता अनुदान का प्रदान करने हेतु।	(a) For providing (i) Grants for Creation of Capital Assets towards Boys and Girls Hostel for Other Backward Classes (₹ 11.88 crore) and Girls Hostel for Scheduled Castes (₹ 4 crore) and (ii) Grants-in-aid General to Union Territory Chandigarh for Post Matric Scholarship Scheme for Scheduled Castes (₹ 2.50 crore).	18.38	-	18.38
(ख) (i) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को वेतन सहायता अनुदान (₹0.10 करोड़) (ii) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को सामान्य सहायता अनुदान (₹0.45 करोड़) (iii) विमुक्त जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना हेतु अतिरिक्त निधि मुहैया कराने के लिए (₹0.10 करोड़)	(b) For providing (i) Grants-in-aid Salaries to National Commission for Backward Classes (₹ 0.10 crore) (ii) Grants-in-aid General to National Commission for Backward classes (₹ 0.45 crore) (iii) additional funds for setting up of National Commission for Denotified Tribes (₹ 0.10 crore).	-	0.65	0.65
(ग) सामाजिक सुरक्षा राष्ट्रीय संस्थान को सहायता अनुदान वेतन जारी करना।	(c) For releasing Grants-in-aid Salaries to National Institutes of Social Defence .	0.18	-	0.18
91 निशक्तता कार्य विभाग	91 Department of Disability Affairs			
(क) अक्षम व्यक्ति राष्ट्रीय संस्थान को सहायता अनुदान वेतन प्रदान करने के लिए।	(a) For providing Grants-in-aid Salaries to National Institutes for Disabled Persons.	2.50	-	2.50
(क) अक्षम व्यक्ति राष्ट्रीय संस्थानों को सहायता अनुदान वेतन (₹4 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान (₹0.35 करोड़) प्रदान करने के लिए।	(b) For providing Grants-in-aid Salaries (₹ 4 crore) and Grants-in-aid General (₹ 0.35 crore) to National Institutes for Disabled Persons	-	4.35	4.35
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION			
93. सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	93 Ministry of Statistics and Programme Implementation			
भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता को सहायता अनुदान वेतन में अतिरिक्त व्यय की पूर्ति करने के लिए।	For meeting the additional expenditure towards Grants-in-aid Salary to Indian Statistical Institute, Kolkata	-	9.91	9.91
इस्पात मंत्रालय	MINISTRY OF STEEL			
94 इस्पात ताललय	94 Ministry of Steel			
“नवप्रवर्तन लोहा/इस्पात बनाने की प्रक्रिया/तकनीक का विकास” में अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति के लिए।	For meeting the additional requirement in R&D scheme “Development of innovative iron/Steel making Process/Technology.	4.50	-	4.50

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
कपड़ा मंत्रालय	MINISTRY OF TEXTILES			
95 कपड़ा मंत्रालय	95 Ministry of Textiles			
अवसंरचना और तकनीक विकास परियोजनाओं के तहत प्रतिबद्ध देयताओं की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए पूंजी परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए अनुदान।	Grants for Creation of Capital Assets for meeting additional requirement towards committed liabilities under Infrastructure and Technology Development Projects.	5.00	-	5.00
पर्यटन मंत्रालय	MINISTRY OF TOURISM			
96 पर्यटन मंत्रालय	96 Ministry of Tourism			
गंतव्यों और सर्किटों के आधारभूत ढांचे के विकास के तहत चालू परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त निधि प्रदान करने के लिए।	For providing additional funds for ongoing projects under Infrastructure Development for Destination and Circuits.	129.00	-	129.00
आदिवासी मंत्रालय	MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS			
97 आदिवासी मंत्रालय	97 Ministry of Tribal Affairs			
स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए (i) कोचिंग तथा सम्बद्ध स्कीम और निदर्शनात्मक सेवा के लिए पुरस्कार सहित अनुसूचित जातियों के लिए एनजीओ को अनुदान सहायता (₹9.50 करोड़) (ii) अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा के अंब्रेला स्कीम (₹12 करोड़)।	For providing Grants-in-aid General under the scheme (i) Grants-in-aid to NGO for STs including Coaching and Allied Scheme and Award for Exemplary Service (₹ 9.50 crore) and (ii) Umbrella Scheme for Education of ST Children (₹ 12 crore).	21.50	-	21.50
केन्द्र शासित प्रदेश (विधानमंडल रहित)	UNION TERRITORIES (WITHOUT LEGISLATURE)			
98 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	98 Andaman and Nicobar Islands			
(क) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मेडिकल शिक्षा और अनुसंधान सोसाइटी (एएनआईएमईआरएस) को सहायता अनुदान के लिए व्यय की पूर्ति के लिए।	(a) For meeting the expenditure towards Grants-in-aid to Andaman and Nicobar Island Medical Education and Research Society (ANIMERS)	9.50	-	9.50
(ख) जिला परिषद के संबंध में (₹0.90 करोड़) और पंचायत समिति (₹0.85 करोड़) वेतन सहायता अनुदान के व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting the expenditure towards Grants-in-aid Salary in respect of Zila Parishad (₹ 0.90 crore) and Panchayat Samity (₹ 0.85 crore).	1.75	-	1.75
(ग) भारतीय पोत परिवहन निगम के बकाया राशि के भुगतान हेतु।	(c) For making payment of outstanding dues to Shipping Corporation of India.	-	76.29	76.29
(घ) एटीआर के अलावा निर्माण कार्य हेतु (₹5.85 करोड़), ग्रामीण सड़कों के सुधार हेतु (₹2.00 करोड़) और टीएएसपी के तहत सड़कों के निर्माण (₹1.90 करोड़) के लिए अतिरिक्त राशि की जरूरत।	(d) For providing additional amount for construction of work other than ATR (₹ 5.85 crore), improvement of rural roads (₹ 2 crore) and construction of roads under TASP (₹ 1.90 crore).	9.75	-	9.75
(ङ) ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग में चालू निर्माण कार्यों को अतिरिक्त राशि प्रदान करने के लिए।	(e) For providing additional amount for ongoing construction works in rural water supply section.	8.54	-	8.54
(च) पुलिस के चल रहे निर्माण कार्यों के लिए अतिरिक्त राशि प्रदान करना।	(f) For providing additional amount for ongoing construction works of police station.	2.99	-	2.99
(छ) स्टेडियम के चालू निर्माण कार्य के लिए अतिरिक्त राशि प्रदान करने के लिए	(g) For providing additional amount for ongoing construction works of Stadium.	0.20	-	0.20
99 चंडीगढ़	99 Chandigarh			
माननीय जिला न्यायालय/उच्च न्यायालय के निर्णय के कारण भूस्वामियों को बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए व्यय की पूर्ति करने के लिए।	For meeting expenditure for making payment of enhanced compensation to land owners on account of the decision of the Hon'ble District Court/High Court.	-	100.00	100.00
101 दमन और दीव	101 Daman and Diu			
(क) स्टेशनरी और मुद्रण से संबंधित चालू कार्यों को पूरा करने हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए।	(a) For meeting additional expenditure to complete the ongoing works related to Stationery and Printing.	0.07	-	0.07

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ख) लोक निर्माण कार्यों से संबंधित चालू कार्यों को पूरा करने हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए।	(b) For meeting the additional expenditure to complete the ongoing works related to Public Works.	17.26	-	17.26
(ग) जल आपूर्ति और स्वच्छता से संबंधित चल रहे निर्माण-कार्य को पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(c) For meeting the additional expenditure to complete the ongoing works related to Water Supply and Sanitation.	26.00	-	26.00
(घ) फसल कृषिकर्म से संबंधित चल रहे कार्य को पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(d) For meeting the additional expenditure to complete the ongoing work relating to Crop Husbandry.	0.62	-	0.62
102. लक्षद्वीप	102 Lakshadweep			
(क) पंचायती राज संस्थान के अंतर्गत कार्य कर रहे स्वास्थ्य सेवा विभाग के कर्मचारियों को वेतन एवं भत्ता देने हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting additional expenditure for pay and allowances to staff of Department of Health Services working under Panchayat Raj Institution.	-	2.57	2.57
(ख) पंचायती राज संस्थान के अंतर्गत विद्युत विभाग के कर्मचारियों को वेतन एवं भत्ता देने हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting additional expenditure for pay and allowances to staff of Department of Electricity working under Panchayat Raj Institution.	-	0.27	0.27
शहरी विकास मंत्रालय	MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT			
103. शहरी विकास विभाग	103 Department of Urban Development			
आन्ध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 94(3) के अनुपालन में आंध्र प्रदेश में शहरी अवसंरचना हेतु एक बारगी विशेष सहायता।	One time special assistance for Urban infrastructure to Andhra Pradesh in compliance of Section 94(3) of A.P. Reorganization Act 2014.	1,000.00	-	1000.00
जल संसाधन मंत्रालय	MINISTRY OF WATER RESOURCES			
106 जल संसाधन मंत्रालय	106 Ministry of Water Resources			
(क) 'रिवर बेसिन मैनेजमेंट' के तहत जल संसाधन विकास निरीक्षण स्कीम्स के लिए सहायता-अनुदान की व्यवस्था करने के लिए।	(a) For providing Grants-in-aid General for 'Investigation of Water Resources Development Schemes' under 'River Basin Management'	2.00	-	2.00
(ख) संस्थापना संबंधित खर्चों को पूरा करने हेतु राष्ट्रीय आद्रता विज्ञान संस्थान को सामान्य सहायता-अनुदान देने की व्यवस्था करने के लिए।	(b) For providing Grants-in-aid General to National Institute of Hydrology for meeting establishment related expenses	-	0.42	0.42
(ग) जल परियोजनाओं हेतु दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान की व्यवस्था करने के लिए।	(c) For providing Grants for Creation of Capital Assets to National Capital Territory of Delhi for Water Projects	230.00	-	230.00
कुल टोकन	Total Token	0.69	0.52	1.21
6. भारत की आकस्मिकता निधि से आवश्यकताओं को तुरन्त पूरा करने के लिए ₹8,90,00,000 की कुल राशि के दो अग्रिम मंजूर किए गए। इन्हें अनुदान की अनुपूरक मांग के मंजूर होने के बाद दोबारा निधि में वापस डाल दिया जाएगा।	6. Two advances aggregating ₹ 8,90,00,000 were sanctioned from the Contingency Fund of India for meeting immediate requirements. These will be recouped to the Fund after the Supplementary Demands for Grants are sanctioned.			
कुल योग	GRAND TOTAL	2,577.69	34,375.17	36,952.86
निवल नकदी व्यय	Net Cash Outgo	41.38	19,188.23	19,229.61
तकनीकी अनुपूरक	Technical Supplementary	2,535.62	15,186.42	17,722.04
टोकन अनुपूरक	Token Supplementary	0.69	0.52	1.21

विषय सूची
CONTENTS

मांग संख्या और शीर्षक			No. and Title of Demand		राजस्व	पूंजी	जोड़	पृष्ठ	
					Revenue	Capital	Total	Page	
कृषि मंत्रालय			MINISTRY OF AGRICULTURE						
1	कृषि और सहकारिता विभाग	स्वीकृत:	1	Department of Agriculture and Cooperation	Voted:	0.04	0.01	0.05	1-2
2	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग	स्वीकृत:	2	Department of Agricultural Research and Education	Voted:	0.03	...	0.03	3-4
3	पशु पालन और डेयरी कार्य तथा मात्स्यिकी विभाग	स्वीकृत:	3	Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries	Voted:	0.02	0.01	0.03	5
परमाणु ऊर्जा विभाग			DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY						
4	परमाणु ऊर्जा	स्वीकृत:	4	Atomic Energy	Voted:	0.03	0.03	0.06	6-10
नागर विमानन मंत्रालय			MINISTRY OF CIVIL AVIATION						
9	नागर विमानन मंत्रालय	स्वीकृत:	9	Ministry of Civil Aviation	Voted:	54.26	...	54.26	11
कोयला मंत्रालय			MINISTRY OF COAL						
10	कोयला मंत्रालय	स्वीकृत:	10	Ministry of Coal	Voted:	0.01	...	0.01	12
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय			MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY						
11	वाणिज्य विभाग	स्वीकृत:	11	Department of Commerce	Voted:	0.02	...	0.02	13
12	औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग	स्वीकृत:	12	Department of Industrial Policy and Promotion	Voted:	12.61	...	12.61	14
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय			MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY						
13	डाक विभाग	भारित:	13	Department of Posts	Charged:	0.21	...	0.21	15
		स्वीकृत:			Voted:	344.66	...	344.66	
14	दूरसंचार विभाग	स्वीकृत:	14	Department of Telecommunications	Voted:	0.02	0.01	0.03	16
15	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	स्वीकृत:	15	Department of Electronics and Information Technology	Voted:	0.01	...	0.01	17
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय			MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION						
17	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	स्वीकृत:	17	Department of Food and Public Distribution	Voted:	8386.10	...	8386.10	18-19
संस्कृति मंत्रालय			MINISTRY OF CULTURE						
19	संस्कृति मंत्रालय	स्वीकृत:	19	Ministry of Culture	Voted:	0.02	...	0.02	20
रक्षा मंत्रालय			MINISTRY OF DEFENCE						
20	रक्षा मंत्रालय	भारित:	20	Ministry of Defence	Charged:	0.58	6.73	7.31	21-22
		स्वीकृत:			Voted:	314.03	...	314.03	
21	रक्षा पेंशन	भारित:	21	Defence Pensions	Charged:	9.30	...	9.30	23
22	रक्षा सेवा - थल सेना	भारित:	22	Defence Services-Army	Charged:	336.00	...	336.00	24
		स्वीकृत:			Voted:	5340.47	...	5340.47	
23	रक्षा सेवा - नौ सेना	भारित:	23	Defence Services-Navy	Charged:	9.63	...	9.63	25
		स्वीकृत:			Voted:	350.37	...	350.37	
24	रक्षा सेवा - वायु सेना	भारित:	24	Defence Services-Air Force	Charged:	53.59	...	53.59	26
		स्वीकृत:			Voted:	1925.43	...	1925.43	
25	रक्षा आयुध फैक्ट्रियां	स्वीकृत:	25	Defence Ordnance Factories	Voted:	0.01	...	0.01	27
26	रक्षा सेवाएं - अनुसंधान एवं विकास	स्वीकृत:	26	Defence Services – Research and Development	Voted:	320.03	...	320.03	28
27	रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	भारित:	27	Capital Outlay on Defence Services	Charged:	...	0.01	0.01	29
		स्वीकृत:			Voted:	...	0.01	0.01	
पर्यावरण और वन मंत्रालय			MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS						
31	पर्यावरण और वन मंत्रालय	स्वीकृत:	31	Ministry of Environment and Forests	Voted:	0.01	...	0.01	30

मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		राजस्व Revenue		पूँजी Capital		जोड़ Total	पृष्ठ Page
								(करोड़ रुपये Rupees in Crore)	
विदेश मंत्रालय		MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS							
32	विदेश मंत्रालय	स्वीकृत:	32 Ministry of External Affairs	Voted:	0.01	...	0.01	31	
वित्त मंत्रालय		MINISTRY OF FINANCE							
33	आर्थिक कार्य विभाग	स्वीकृत:	33 Department of Economic Affairs	Voted:	433.33	...	433.33	32-33	
34	वित्तीय सेवायें विभाग	स्वीकृत:	34 Department of Financial Services	Voted:	3559.15	0.01	3559.16	34-35	
37	सरकारी कर्मचारियों को ऋण, आदि	स्वीकृत:	37 Loans to Government Servants, etc.	Voted:	...	0.01	0.01	36	
40	पेंशन	भारित:	40 Pensions	Charged:	35.00	...	35.00	37	
		स्वीकृत:		Voted:	687.00	...	687.00		
41	भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग	भारित:	41 Indian Audit and Accounts Department	Charged:	5.83	...	5.83	38	
42	राजस्व विभाग	स्वीकृत:	42 Department of Revenue	Voted:	11033.03	...	11033.03	39	
43	प्रत्यक्ष कर	स्वीकृत:	43 Direct Taxes	Voted:	...	0.01	0.01	40	
44	अप्रत्यक्ष कर	स्वीकृत:	44 Indirect Taxes	Voted:	...	0.01	0.01	41	
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय		MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES							
46	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	स्वीकृत:	46 Ministry of Food Processing Industries	Voted:	0.02	...	0.02	42	
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय		MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE							
47	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	स्वीकृत:	47 Department of Health and Family Welfare	Voted:	0.04	0.01	0.05	43-44	
48	आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा तथा होम्योपैथी विभाग (आयुष)	स्वीकृत:	48 Department of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH)	Voted:	0.04	...	0.04	45-46	
भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय		MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES							
51	भारी उद्योग विभाग	स्वीकृत:	51 Department of Heavy Industry	Voted:	57.30	0.01	57.31	47	
गृह मंत्रालय		MINISTRY OF HOME AFFAIRS							
53	गृह मंत्रालय	स्वीकृत:	53 Ministry of Home Affairs	Voted:	0.01	...	0.01	48	
54	मंत्रिमंडल	स्वीकृत:	54 Cabinet	Voted:	25.01	...	25.01	49	
55	पुलिस	स्वीकृत:	55 Police	Voted:	1011.87	0.01	1011.88	50	
56	गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	स्वीकृत:	56 Other Expenditure of the Ministry of Home Affairs	Voted:	0.01	...	0.01	51	
आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय		MINISTRY OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION							
58	आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	स्वीकृत:	58 Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation	Voted:	0.03	...	0.03	52	
मानव संसाधन विकास मंत्रालय		MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT							
59	विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग	स्वीकृत:	59 Department of School Education and Literacy	Voted:	0.02	...	0.02	53	
60	उच्चतर शिक्षा विभाग	स्वीकृत:	60 Department of Higher Education	Voted:	0.05	...	0.05	54-55	
सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय		MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING							
61	सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय	स्वीकृत:	61 Ministry of Information and Broadcasting	Voted:	0.03	3.21	3.24	56	
श्रम और रोजगार मंत्रालय		MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT							
62	श्रम और रोजगार मंत्रालय	स्वीकृत:	62 Ministry of Labour and Employment	Voted:	0.01	...	0.01	57	

मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		राजस्व Revenue		(करोड़ रुपये Rupees in Crore) पूँजी Capital		जोड़ Total	पृष्ठ Page
विधि और न्याय मंत्रालय		MINISTRY OF LAW AND JUSTICE							
63	निर्वाचन आयोग	स्वीकृत:	63 Election Commission	Voted:	1.00	...	1.00	58	
65	भारत का उच्चतम न्यायालय, विनियोग	भारित:	65 Appropriation-Supreme Court of India	Charged:	15.64	...	15.64	59	
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय		MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES							
66	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	स्वीकृत:	66 Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises	Voted:	0.02	...	0.02	60	
खान मंत्रालय		MINISTRY OF MINES							
67	खान मंत्रालय	भारित:	67 Ministry of Mines	Charged:	0.08	...	0.08	61	
		स्वीकृत:		Voted:	0.02	...	0.02		
अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय		MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS							
68	अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	स्वीकृत:	68 Ministry of Minority Affairs	Voted:	0.01	...	0.01	62	
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय		MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS							
73	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	स्वीकृत:	73 Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions	Voted:	4.74	...	4.74	63	
74	केंद्रीय सतर्कता आयोग, विनियोग	भारित:	74 Appropriation-Central Vigilance Commission	Charged:	1.00	...	1.00	64	
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय		MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS							
75	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	स्वीकृत:	75 Ministry of Petroleum and Natural Gas	Voted:	0.01	2399.00	2399.01	65	
योजना मंत्रालय		MINISTRY OF PLANNING							
76	योजना मंत्रालय	स्वीकृत:	76 Ministry of Planning	Voted:	0.02	...	0.02	66	
विद्युत मंत्रालय		MINISTRY OF POWER							
77	विद्युत मंत्रालय	स्वीकृत:	77 Ministry of Power	Voted:	91.85	0.01	91.86	67	
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उपराष्ट्रपति का सचिवालय		THE PRESIDENT, PARLIAMENT, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION AND THE SECRETARIAT OF THE VICE PRESIDENT							
78	राष्ट्रपति के कर्मचारीवृंद, आवास और भत्ते, विनियोग	भारित:	78 Appropriation-Staff, Household and Allowances of the President	Charged:	3.75	...	3.75	68	
80	राज्य सभा	स्वीकृत:	80 Rajya Sabha	Voted:	1.60	...	1.60	69	
81	संघ लोक सेवा आयोग, विनियोग	भारित:	81 Appropriation-Union Public Service Commission	Charged:	18.00	...	18.00	70	
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय		MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS							
83	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	स्वीकृत:	83 Ministry of Road Transport and Highways	Voted:	0.01	...	0.01	71	
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय		MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY							
86	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	स्वीकृत:	86 Department of Science and Technology	Voted:	0.01	...	0.01	72	
87	वैज्ञानिक और औद्योगिक विभाग	स्वीकृत:	87 Department of Scientific and Industrial Research	Voted:	0.02	...	0.02	73	
88	जैव प्रौद्योगिकी विभाग	स्वीकृत:	88 Department of Biotechnology	Voted:	0.02	...	0.02	74	
नौवहन मंत्रालय		MINISTRY OF SHIPPING							
89	नौवहन मंत्रालय	स्वीकृत:	89 Ministry of Shipping	Voted:	0.03	...	0.03	75	

मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		राजस्व Revenue	(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
					पूँजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय		MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT					
90	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	स्वीकृत: 90	Department of Social Justice and Empowerment	Voted: 0.03	...	0.03	76
91	निशक्ता कार्य विभाग	स्वीकृत: 91	Department of Disability Affairs	Voted: 0.02	...	0.02	77
अंतरिक्ष विभाग		DEPARTMENT OF SPACE					
92	अंतरिक्ष विभाग	स्वीकृत: 92	Department of Space	Voted: ...	3.00	3.00	78
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय		MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION					
93	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	स्वीकृत: 93	Ministry of Statistics and Programme Implementation	Voted: 0.01	...	0.01	79
इस्पात मंत्रालय		MINISTRY OF STEEL					
94	इस्पात मंत्रालय	स्वीकृत: 94	Ministry of Steel	Voted: 0.01	...	0.01	80
कपड़ा मंत्रालय		MINISTRY OF TEXTILES					
95	कपड़ा मंत्रालय	स्वीकृत: 95	Ministry of Textiles	Voted: 0.01	...	0.01	81
पर्यटन मंत्रालय		MINISTRY OF TOURISM					
96	पर्यटन मंत्रालय	स्वीकृत: 96	Ministry of Tourism	Voted: 0.01	10.80	10.81	82
जनजातीय कार्य मंत्रालय		MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS					
97	जनजातीय कार्य मंत्रालय	स्वीकृत: 97	Ministry of Tribal Affairs	Voted: 3.07	...	3.07	83
संघ राज्य क्षेत्र (विधान मंडल रहित)		UNION TERRITORIES (WITHOUT LEGISLATURE)					
98	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	स्वीकृत: 98	Andaman and Nicobar Islands	Voted: 0.03	0.04	0.07	84-85
99	चंडीगढ़	भारित: 99	Chandigarh	Charged: 3.51	...	3.51	86
		स्वीकृत:		Voted: ...	0.01	0.01	
101	दमन और दीव	स्वीकृत: 101	Daman and Diu	Voted: ...	0.04	0.04	87
102	लक्षद्वीप	स्वीकृत: 102	Lakshadweep	Voted: 0.02	...	0.02	88
शहरी विकास मंत्रालय		MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT					
103	शहरी विकास विभाग	स्वीकृत: 103	Department of Urban Development	Voted: 80.01	...	80.01	89
जल संसाधन मंत्रालय		MINISTRY OF WATER RESOURCES					
106	जल संसाधन मंत्रालय	स्वीकृत: 106	Ministry of Water Resources	Voted: 0.03	...	0.03	90
कुल जोड़		GRAND TOTAL		34529.87	2422.99	36952.86	
		भारित		Charged 492.12	6.74	498.86	
		स्वीकृत		Voted 34037.75	2416.25	36454.00	
अनुबंध		ANNEXURE					92-95

मांग संख्या DEMAND NO. 1

कृषि और सहकारिता विभाग

DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 1 और वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 1 देखिये)

(See page 1 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015 and page 1 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2014-2015)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	22603.06	49.19	22652.25
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.04	0.01	0.05
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	22603.11	49.20	22652.31
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2401 - कृषि कार्य	स्वीकृत: 2401 -Crop Husbandry	Voted: 0.01 (का)	...	0.01
2435 - अन्य कृषि कार्यक्रम	स्वीकृत: 2435 -Other Agricultural Programmes	Voted: 0.01 (खb)	...	0.01
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted: 0.01 (गc)	...	0.01
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत: 3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted: 0.01 (घd)	...	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत: Total (Revenue Section)	Voted: 0.04	...	0.04
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4401 - फसल कार्य पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4401 - Capital Outlay on Crop Husbandry	Voted: 0.01 (डe)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 0.05	...	0.05

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) पादप किस्मों और किसान अधिकार संरक्षण के तहत सामान्य सहायता-अनुदान (₹ 1.30 करोड़) और वेतन सहायता-अनुदान (₹ 0.20 करोड़) जारी करना।
- (ii) बीज और रोपण सामग्री उप-मिशन के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजनार्थ (₹ 2.00 करोड़) और इसके घटक जनजाति क्षेत्र उप-आयोजना (₹ 4.00 करोड़) का अनुदान जारी करना।
- (iii) राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम के कार्यान्वयन हेतु योगदान (₹ 133.79 करोड़)।
- (iv) फार्म वाटर मैनेजमेंट के तहत सामान्य सहायता-अनुदान (₹ 1.00 करोड़)।
- (v) बागवानी एकीकृत विकास मिशन (केंद्रीय क्षेत्र के तहत ₹ 37.46 करोड़) और इसके घटकों, अनुसूचित जाति उप-योजना, (₹ 12.04 करोड़) और जनजाति क्षेत्र उप-योजना (₹ 6.00 करोड़) की सामान्य सहायता अनुदान।

The supplementary grants are required for:

- (a) (i) release of Grants in aid General (₹ 1.30 crore) and Grants in aid Salaries (₹ 0.20 crore) under Protection of Plant Varieties and Farmers Right.
- (ii) release of Grants for creation of Capital Assets (₹ 2.00 crore) under Sub-Mission on Seeds and Planting Material and its component Tribal Area Sub-Plan (₹ 4.00 crore).
- (iii) contribution for implementation of National Agriculture Insurance Scheme (₹ 133.79 crore).
- (iv) release of Grants-in-Aid General under On Farm Water Management (₹ 1.00 crore).
- (v) release of Grants-in-Aid General under Mission for Integrated Development of Horticulture (Central Sector) (₹ 37.46 crore) and its components, Scheduled Caste Sub Plan (₹ 12.04 crore) and Tribal Area Sub Plan (₹ 6.00 crore).

अनुदानों की पूरक मांगें, 2014-2015 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(vi) मौसम आधारित उपज बीमा स्कीम-अनुसूचित जाति उप-आयोजना के तहत अंशदान (₹ 30.83 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।	(vi) contribution under Weather Based Crop Insurance Scheme -Scheduled Caste Sub Plan(₹ 30.83 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख) एकीकृत कृषि विपणन स्कीम (₹ 224.10 करोड़) और इसके घटक अनुसूचित जाति उप-आयोजना (₹ 58.00 करोड़) के तहत सामान्य सहायता अनुदान देना। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।	(b) release of Grants-in-aid General under Integrated Scheme On Agriculture Marketing(₹ 224.10 crore) and its component Scheduled Caste Sub-Plan (₹ 58.00 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग) (i) राष्ट्रीय मुद्रा स्वास्थ्य और उर्वरता परियोजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान जारी करना (₹ 5.00 करोड़)।	(c) (i) release of Grants-in-aid General under National Project on Management of Soil Health and Fertility (₹ 5.00 crore).
(ii) एकीकृत बागवानी विकास मिशन (केन्द्रीय क्षेत्र) के तहत सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (₹ 4.50 करोड़)।	(ii) release of Grants-in-aid General under Mission For Integrated Development of Horticulture(Central Sector) (₹ 4.50 crore).
(iii) एकीकृत बागवानी विकास मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित प्रणाली) के तहत सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (₹ 42.58 करोड़)।	(iii) release of Grants-in-aid General under Mission For Integrated Development of Horticulture (Centrally Sponsored Scheme)(₹ 42.58 crore).
(iv) एकीकृत कृषि विपणन स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान जारी करना(₹ 0.33 करोड़)।	(iv) release of Grants-in-aid General under Integrated Scheme On Agriculture Marketing (₹ 0.33 crore).
(v) बीज और रोपण, अनुसूचित जाति योजना (₹ 1.00 करोड़) और जनजाति क्षेत्र उप योजना (₹ 1.00 करोड़) के तहत सामान्य सहायता अनुदान देना।	(v) release of Grants-in-aid General under Sub-Mission On Seeds and Planting, Scheduled Caste Sub Plan(₹ 1.00 crore) and Tribal Area Sub Plan(₹ 1.00 crore).
(vi) राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम, अनुसूचित जाति उप आयोजना के कार्यान्वयन को अंशदान (₹ 59.00 करोड़)।	(vi) contribution under Implementation of National Agricultural Insurance Scheme, Scheduled Caste Sub Plan (₹ 59.00 crore).
(vii) संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम, अनुसूचित जाति उप आयोजना के कार्यान्वयन को अंशदान (₹ 28.75 करोड़)।	(vii) contribution under Modified National Agricultural Insurance Scheme, Scheduled Caste Sub Plan (₹ 28.75 crore).
(viii) एकीकृत बागवानी विकास मिशन (केन्द्रीय क्षेत्र) जनजातीय क्षेत्र उप-आयोजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान देना (₹ 6.00 करोड़)।	(viii) release of Grants-in-aid General under Mission For Integrated Development of Horticulture (Central Sector),Tribal Area Sub-Plan(₹ 6.00 crore).
(ix) एकीकृत बागवानी विकास मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम), जनजातीय क्षेत्र उप-आयोजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान देना (₹ 104.74 करोड़)।	(ix) release of Grants-in-aid General under Mission For Integrated Development of Horticulture(Centrally Sponsored Scheme), Tribal Area Sub-Plan(₹ 104.74 crore).
(x) एकीकृत कृषि विपणन स्कीम जनजातीय क्षेत्र उप आयोजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान देना(₹ 1.00 करोड़)।	(x) release of Grants-in-aid General under Integrated Scheme on Agricultural Marketing, Tribal Area Sub Plan(₹ 1.00 crore).
(xi) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (₹ 5.00 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।	(xi) providing Grants-in-aid General under Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana - Micro Irrigation(₹ 5.00 Crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(घ) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (₹ 25.00 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।	(d) providing Grants-in-aid General under Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana-Micro Irrigation (₹ 25.00 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ङ) कृषि मशीनीकरण उप मिशन के तहत मशीनरी और उपस्करों की जरूरत पूरी करना (₹ 0.20 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।	(e) meeting the requirement for Machinery and Equipment under Sub-Mission on Agriculture Mechanization(₹ 0.20 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 2

कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग

DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND EDUCATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 2 और वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 2 देखिये)

(See page 2 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015 and page 2 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2014-2015)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 6144.39	...	6144.39
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 0.02	...	0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत:	Voted: 0.03	...	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	6144.44	...	6144.44
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2415 - कृषि अनुसंधान और शिक्षा	स्वीकृत: 2415 -Agricultural Research and Education	Voted: 0.01 (का)	0.01 (खb)	0.02
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted: 0.01 (गc)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 0.02	0.01	0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

- | | |
|---|--|
| <p>(क) (i) कृषि में मूलभूत, कार्यनीतिक, और सीमान्त उपयोग अनुसंधान राष्ट्रीय नीति के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (₹ 7.31 करोड़), कृषि विश्वविद्यालय, राजस्थान (₹ 4.00 करोड़), बागवानी विश्वविद्यालय, हरियाणा (₹ 4.00 करोड़), डीमंड विश्वविद्यालय की तरह भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, असम को (₹ 0.08 करोड़) और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, झारखंड डीमंड विश्वविद्यालय (₹ 0.08 करोड़) को सामान्य सहायता अनुदान जारी करने के लिए।</p> <p>(ii) राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी और भारतीय कृषि विश्वविद्यालय एसोसिएशन के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1.57 करोड़)।</p> <p>(iii) कृषि विश्वविद्यालय, राजस्थान (₹ 1.00 करोड़), बागवानी विश्वविद्यालय, हरियाणा (₹ 1.00 करोड़), भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान असम, डीमंड विश्वविद्यालय की तरह (₹ 0.02 करोड़) और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान झारखंड, डीमंड विश्वविद्यालय, (₹ 0.02 करोड़) के लिए पूंजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को अनुदान।</p> | <p>(a) (i) release of Grants-in-aid General to Indian Council of Agricultural Research under National Fund for Basic, Strategic and Frontier Application Research in Agriculture (₹ 7.31 crore), Agriculture University, Rajasthan (₹ 4.00 crore), Horticulture University, Haryana (₹ 4.00 crore), Indian Agricultural Research Institute type deemed University, Assam (₹ 0.08 crore) and Indian Agricultural Research Institute type deemed University, Jharkhand (₹ 0.08 crore).</p> <p>(ii) release of Grants-in-aid General for "Grant-in-Aid to National Academy of Agricultural Sciences and Indian Agricultural Universities Association" (₹ 1.57 crore).</p> <p>(iii) release of Grants for creation of Capital Assets to Indian Council of Agricultural Research for Agriculture University, Rajasthan (₹ 1.00 crore), Horticulture University, Haryana (₹ 1.00 crore), Indian Agricultural Research Institute type deemed University, Assam, (₹ 0.02 crore) and Indian Agricultural Research Institute type deemed University, Jharkhand (₹ 0.02 crore).</p> |
|---|--|

अनुदानों की पूरक मांगें, 2014-2015 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(iv) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को कृषि शिक्षा संस्थानों के तहत वेतनों के लिए सहायता अनुदान (₹ 5.42 करोड़)।	(iv) release of Grants-in-aid Salaries to Indian Council of Agricultural Research under Agricultural Education Institutes (₹ 5.42 crore).
(v) राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी और भारतीय कृषि विश्वविद्यालय एसोसिएशन को वेतनों के लिए सहायता अनुदान (₹ 0.44 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।	(v) release of Grants-in-aid Salaries to "Grant-in-Aid to National Academy of Agricultural Sciences and Indian Agricultural Universities Association" (₹ 0.44 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख) (i) कृषि संस्थानों का प्रसार स्कीम के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.51 करोड़) और कृषि इंजीनियरिंग संस्थानों के लिए (₹ 0.22 करोड़)।	(b) (i) release of Grants-in-aid-General to Indian Council of Agricultural Research under the scheme Agricultural Extension Institutes (₹ 0.51 crore) and Agricultural Engineering Institutes (₹ 0.22 crore).
(ii) बागवानी संस्थाओं स्कीम के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन के तहत अनुदान (₹ 0.16 करोड़), कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी संस्थानों के लिए (₹ 0.02 करोड़), कृषि इंजीनियरिंग संस्थानों के लिए (₹ 0.01 करोड़), पशु विज्ञान संस्थानों (₹ 0.33 करोड़) और मत्स्यपालन संस्थानों के लिए (₹ 0.02 करोड़)।	(ii) release of Grants for creation of Capital Assets to Indian Council of Agricultural Research under the scheme Horticulture Institutes (₹ 0.16 crore), Agricultural Economics and Statistics Institutes (₹ 0.02 crore), Agricultural Engineering Institutes (₹ 0.01 crore), Animal Science Institutes (₹ 0.33 crore) and Fisheries Institutes (₹ 0.02 crore).
(iii) कृषि शिक्षा संस्थानों (₹ 0.38 करोड़), अन्य प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संस्थान (₹ 0.45 करोड़), पशु विज्ञान संस्थान (₹ 8.21 करोड़) और मत्स्यपालन संस्थान (₹ 3.50 करोड़) स्कीम के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को वेतनों के लिए सहायता अनुदान।	(iii) release of Grants-in-aid Salaries to Indian Council of Agricultural Research under the scheme Agricultural Education Institutes (₹ 0.38 crore), Other Natural Resource Management Institutes (₹ 0.45 crore), Animal Science Institutes (₹ 8.21 crore) and Fisheries Institutes (₹ 3.50 crore).
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग) (i) कृषि में मूलभूत, कार्यनीतिक और सीमान्त उपयोग अनुसंधान राष्ट्रीय नीति के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1.02 करोड़)।	(c) (i) release of Grants-in-aid General to Indian Council of Agricultural Research under the scheme National fund for Basic, Strategic and frontier Application Research in Agriculture (₹ 1.02 crore).
(ii) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 2.64 करोड़)।	(ii) release of Grants-in-aid General to Central Agricultural University, Imphal (₹ 2.64 crore).
(iii) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, बड़ापानी को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.14 करोड़)।	(iii) release of Grants-in-aid General to Central Agricultural University, Barapani (₹ 0.14 crore).
(iv) कृषि में मूलभूत, कार्यनीतिक, और सीमान्त उपयोग अनुसंधान राष्ट्रीय नीति के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 0.08 करोड़)।	(iv) release of Grants for creation of Capital Assets to Indian Council of Agricultural Research under National Fund for Basic, Strategic and Frontier Application Research in Agriculture (₹ 0.08 crore).
(v) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय बड़ापानी को पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु (₹ 0.13 करोड़)।	(v) release of Grants for creation of Capital Assets to Central Agricultural University, Barapani (₹ 0.13 crore).
(vi) कृषि इंजीनियरिंग संस्थानों के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को वेतनों के लिए सहायता अनुदान (₹ 0.60 करोड़)।	(vi) release of Grants-in-aid Salaries to Indian Council of Agricultural Research under Agricultural Engineering Institutes (₹ 0.60 crore).
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

पशु पालन और डेयरी कार्य तथा मात्स्यिकी विभाग

DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING AND FISHERIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 3 और वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 3 देखिये)

(See page 3 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015 and page 3 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2014-2015)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	2726.13	20.18	2746.31
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.02	0.01	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	2726.16	20.19	2746.35
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2404 - डेयरी विकास	स्वीकृत: 2404 -Dairy Development	Voted: 0.01 (का)	...	0.01
3602 - संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	स्वीकृत: 3602 -Grants-in-aid to Union Territory Governments	Voted: 0.01 (खब)	...	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत: Total (Revenue Section)	Voted: 0.02	...	0.02
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4403 - पशुपालन पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4403 - Capital Outlay on Animal Husbandry	Voted: 0.01 (गक)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 0.03	...	0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) नेशनल बैंक आफ एग्रीकल्चर एन्ड रूरल डेवपलपमेंट (नाबार्ड) की "डेयरी उद्यमशीलता विकास" के अंतर्गत अतिरिक्त निधियां जारी करना (₹ 19.64 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ख) "लाइवस्टॉक सेंसस" स्कीम के अन्तर्गत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना ₹ 0.50 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ग) संस्थान की चारदिवारी के निर्माण हेतु "सेन्ट्रल कैटल ब्रीडिंग फार्म" के अन्तर्गत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना (₹ 1.76 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grants are required for:

- (a) releasing additional funds to National Bank of Agriculture and Rural Development(NABARD) under the scheme "Dairy Entrepreneurship Development" (₹ 19.64 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) meeting additional requirement under the scheme of "Livestock Census"(₹ 0.50 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) meeting additional requirement under the scheme of "Central Cattle Breeding Farm" for construction of boundary wall of the institute (₹ 1.76 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 4

परमाणु ऊर्जा

ATOMIC ENERGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 4 और वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 4 देखिये)

(See page 4 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015 and page 4 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2014-2015)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
भारित:	Charged:	1.00	11.00	12.00
स्वीकृत:	Voted:	6829.02	4408.42	11237.44
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	...	0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.03	0.03	0.06
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	6830.05	4419.46	11249.51
भारित:	Charged:	1.00	11.00	12.00
स्वीकृत:	Voted:	6829.05	4408.46	11237.51
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2852 - उद्योग	स्वीकृत: 2852 - Industries	Voted: ...	0.01 (का)	0.01
3401 - परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	स्वीकृत: 3401 - Atomic Energy Research	Voted: 0.01 (खब)	0.01 (गक)	0.02
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत: Total (Revenue Section)	Voted: 0.01	0.02	0.03
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4861 - परमाणु ऊर्जा उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4861 - Capital Outlay on Atomic Energy Industries	Voted: 0.01 (घद)	0.01 (डे)	0.02
5401 - परमाणु ऊर्जा अनुसंधान पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 5401 - Capital Outlay on Atomic Energy Research	Voted: 0.01 (चफ)	...	0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	स्वीकृत: Total (Capital Section)	Voted: 0.02	0.01	0.03
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 0.03	0.03	0.06

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (₹ 2.74 करोड़) और न्यूक्लियर रिसाइकल बोर्ड (₹ 89.02 करोड़) न्यूक्लियर ईंधन काम्प्लैक्स (₹ 167.83 करोड़) का अतिरिक्त व्यय पूरा करना। अनुदान के इसी भाग में बचते उपलब्ध होने के कारण सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

(ख) निम्न के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदानों के लिए अतिरिक्त व्यय गए हैं (1) परियोजनाओं के लिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (i) अनुसंधान सुविधाएं (₹ 0.95 करोड़) (ii) अंतराष्ट्रीय सैद्धांतिक विज्ञान केंद्र (₹ 1.78 करोड़); (2) इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स फॉर दी प्रोजेक्ट स्टडी ऑफ ग्रोथ (₹ 1.25 करोड़); (3) परियोजना के तहत टाटा स्मारक केन्द्र (i) आंध्र प्रदेश में कैंसर हस्पताल की स्थापना (₹ 15.25 करोड़) (ii) कैंसर अनुसंधान और परमाणु दवाई की विकसित सुविधाएं (₹ 2.75 करोड़) (4) इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाजमा रिसर्च फॉर दो प्रोजेक्ट ऑफ आगजलरी टेक्नोलॉजी फॉर

The supplementary grants are required for:

(a) Meeting additional expenditure of Bhabha Atomic Research Centre (₹ 2.74 crore) and Nuclear Recycle Board (₹ 89.02 crore), Nuclear Fuel Complex (₹ 167.83 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) Additional expenditure towards Grants for Creation of Capital Assets under (1) Tata Institute of Fundamental Research for the projects (i) Research Facilities (₹ 0.95 crore), (ii) International Centre for Theoretical Sciences (₹ 1.78 crore); (2) Institute of Physics for the project Study of Growth (₹ 1.25 crore); (3) Tata Memorial Centre under project (i) Establishment of Cancer Hospital in Andhra Pradesh (₹ 15.25 crore) (ii) Advanced

फ्यूजन: आरएफ, एनबी और संयंत्र प्रणाली (₹ 8 करोड़)(ii) फ्यूजन रिएक्टर सामग्री, ब्लेकेटस, शील्डस, डिवेर्टोर्स एंड फ्यूल साइकल (₹ 7 करोड़) (5) राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान, शिक्षा और उच्च ऊर्जा भौतिकी कार्यक्रम प्रयोगात्मक परियोजना के अनुसंधान के लिए (₹ 0.61 करोड़) के पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान। अनुदान के इसी भाग में बचते उपलब्ध होने के कारण सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

(ग) अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (1) परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (₹ 3.47 करोड़), बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र (₹ 126.02 करोड़), उन्नत प्रौद्योगिकी का राजा रमन्ना केंद्र (₹ 11.02 करोड़), चर एनर्जी साइक्लोट्रॉन केंद्र (₹ 3.98 करोड़), और एएमडी (₹ 3.86 करोड़). 2. (i) टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान को वेतन सहायता अनुदान हेतु (₹ 22.49 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान (₹ 17.60 करोड़) (ii) टाटा मेमोरियल हस्पताल को वेतन सहायता अनुदान (₹ 7 करोड़) (iii) साहा परमाणु भौतिकी संस्थान के वेतन सहायता अनुदान (₹ 1.59 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान (₹ 3.13 करोड़) (iv) हरीश चंद्र अनुसंधान संस्थान के वेतन सहायता अनुदान (₹ 0.56 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.58 करोड़) (v) पलास्मा अनुसंधान संस्थान के वेतन सहायता अनुदान (₹ 3.77 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान (₹ 4 करोड़) (vi) परमाणु ऊर्जा शिक्षा स्कूल के वेतन सहायता अनुदान (₹ 11.28 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1.80 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में बचते उपलब्ध होने के कारण सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

(घ) निम्न के तहत व्यय को पूरा करना (1) परमाणु चक्र बोर्ड को (i) गैर-भारतीय मूल ईंधन के परमाणु पुनरावृत्ति योजना के लिए डिजाइन और विकास के लिए (₹ 0.01 करोड़)(ii) कलापकम में परमाणु, रीसाइकल सुविधाएं के उन्नयन (एनआरएफ) के लिए (₹ 0.01 करोड़) (2) डीएई परियोजना को (i) आईआरईटीडीसी के तहत प्रक्रिया विकास गतिविधियों को (₹ 1.22 करोड़) और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, परमाणु रिसाइकल बोर्ड, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र, भारी जल बोर्ड, परमाणु ईंधन कामपलेक्स, रेडिएशन बोर्ड और निम्न परियोजनाओं के तहत आइसोटोप प्रयोगिकी (ii) एनएफसी, कोटा मुख्य कार्य (₹ 0.01 करोड़), (iii) जरकोनियम उत्पादन सुविधा में सुधार और आधुनिकीकरण (आरएमजेडपीएफ) मशीनरी और उपकरण (₹ 0.07 करोड़) (iv) मशीनरी और उपकरण का आधुनिकीकरण और वृद्धि को पिघलाने और बाहर निकालने की सुविधा (एमएएमईएफ) (₹ 0.62 करोड़), (v) जेट तंत्र असेंबलीस की विनिर्माण सुविधाओं का आधुनिकीकरण और विकास, इसके साथ ईंधन घटकों और टूल रूप (आरएमएफसीटीआर) प्रमुख कार्यों के लिए (₹ 0.29 करोड़), (vii) कचरा प्रबंधन मूलभूत सुविधाओं (एडब्ल्यूएमएफ) में वृद्धि मुख्य कार्य (₹ 0.46 करोड़), (viii) सुरक्षा की वृद्धि, अवसरचना सुविधाओं और बिजली संबंधी प्रणाली (एसआईईएस), मुख्य कार्यों के लिए (₹ 0.91 करोड़), (viii) मशीनरी और उपकरण संबंधी गुणवत्ता आश्वासन सुविधाएं का उन्नयन (क्यूएएफ) (₹ 5 करोड़) (ix) जोरकोलोये फेबरीकेशन और ईंधन फेबरीकेशन सुविधा मुख्य कार्यों (एमएजेड 4 एफ) का आधुनिकीकरण और वृद्धि के लिए (₹ 2.08 करोड़) (x) बीएआरसी आवास कालोनी पे टाईप-III-C (48 फ्लैटों की 3 इमारतें) मुख्य कार्यों (₹ 1.60 करोड़) (xi) कचरा प्रबंधन और पुनर्प्रसंस्करण संयंत्रों को अपनाना और इसकी प्रौद्योगिकीकरण का विकास मुख्य कार्यों (₹ 1.34) (xii) उच्च सक्रिय अपशिष्ट स्थानांतरण आरसीसी

Facilities for Cancer Research and Nuclear Medicine (₹ 2.75 crore). (4) Institute of Plasma Research for the project Development of Auxiliary Technology for Fusion: Magnet, RF, NB and Plant System (₹ 8 crore) (ii) Technologies for fusion Reactor Material, Blankets, Shields, Divertors & Fuel Cycle (₹ 7 crore) (5) Grants for Creation of Capital Assets under National Institute of Science, Education and Research for the project experimental high energy physics programme (₹ 0.61 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(c) Meeting additional expenditure towards (1) Atomic Energy Regulatory Board (₹ 3.47 crore), Bhabha Atomic Research Centre (₹ 126.02 crore), Raja Ramanna Centre for Advanced Technology (₹ 11.02 crore), Variable Energy Cyclotron Centre (₹ 3.98 crore) and AMD (₹ 3.86 crore). 2. (i) Tata Institute of Fundamental Research towards Grants-in-aid salaries (₹ 22.49 crore) and Grants-in-aid General (₹ 17.60 crore) (ii) Tata Memorial Hospital towards Grants-in-aids salaries (₹ 7 crore) (iii) Saha Institute of Nuclear Physics towards Grants-in-aid salaries (₹ 1.59 crore) and Grants-in-aid General (₹ 3.13 crore) (iv) Harish Chandra Research Institute towards Grants-in-aid salaries (₹ 0.56 crore) and Grants-in-aid General (₹ 0.58 crore) (v) Institute of Plasma Research towards Grants-in-aid salaries (₹ 3.77 crore) and Grants-in-aid General (₹ 4 crore) (vi) Atomic Energy Education School towards Grants-in-aid salaries (₹ 11.28 crore) and Grants-in-aid General (₹ 1.80 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(d) meeting expenditure under (1) Nuclear Recycle Board for (i) Design & Development of Nuclear Recycle Plan for Non-Indian origin fuel (₹ 0.01 crore) (ii) Upgradation of Nuclear Recycle Facilities (NRF) at Kalpakkam (₹ 0.01 crore) (2) DAE project for (i) Process Development Activities under IRETDC (₹ 1.22 crore) and also to Bhabha Atomic Research Centre, Nuclear Recycle Board, Indira Gandhi Centre for Atomic Research, Heavy Water Board, Nuclear Fuel Complex, Board of Radiation and Isotope Technology under following projects: (ii) NFC, Kota Major works (₹ 0.01 crore), (iii) Revamping and Modernisation of Zirconium production facility (RMZPF) Machinery & Equipment (₹ 0.07 crore), (iv) Modernisation and augmentation of melting and extrusion facilities (MAMEF) Machinery & Equipment (₹ 0.62 crore), (v) Modernisation and Augmentation of Manufacturing Facilities of Reactivity Mechanism Assemblies, Fuel Components and Tool Room (RMAFCTR) Major works (₹ 0.29 crore), (vi) Augmentation of Waste Management Facilities (AWMF) Major works (₹ 0.46 crore), (vii) Augmentation of security, infrastructural facilities and electrical systems (ASIES) Major works (₹ 0.91 crore), (viii) Upgradation of Quality Assurance Facilities (UQAF) Machinery & Equipment (₹ 5 crore), (ix) Modernisation and augmentation of Zircaloy Fabrication and Fuel Fabrication facility (MAZ4F) Major works (₹ 2.08 crore), (x) Construction of Type III-C (3 buildings of 48 flats) at BARC Housing Colony Major Works (₹ 1.60 crore), (xi) Development

खाइयों परिरक्षित मुख्य कार्य (₹ 0.75 करोड़), (xiii) एचडब्ल्यूपी कोटा मुख्य कार्य का सुधार और आधुनीकीकरण (₹ 0.45 करोड़) (xiv) परमाणु ग्रेड सोडियम परीक्षण सुविधा प्रौद्योगिकी विकास के लिए मुख्य कार्य (₹ 0.55 करोड़), (xv) प्रौद्योगिकी और नवाचार सुविधा मुख्य कार्य (₹ 0.14 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

- (ड) न्यूक्लियर रिसाइकल बोर्ड परियोजनाएं (₹ 5 करोड़) और गुरु जल बोर्ड (₹ 129.34 करोड़) की परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त व्यय। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।
- (च) डीएई कामप्लैक्स, कलापक्कम में सुरक्षा सेवाओं के बढावे के लिए इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के तहत अतिरिक्त व्यय के लिए (₹ 0.10 करोड़) और निम्नलिखित संस्थानों के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, राजा रम्मना उन्नयन प्रौद्योगिकी केंद्र, वेरियेबल एंनर्जी साइक्लोट्रॉन केंद्र, निर्माण सेवाएं और एस्टेट प्रबंधन निदेशालय, परमाणु खनिज पर्यवेक्षण और अनुसंधान निदेशालय के तहत निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए (1) अग्रिम कमप्युटिंग और ओप्टिमेशन मशीनरी और उपकरणों के लिए (₹ 0.45 करोड़), (2) अग्रिम अभिनवात्मक परमाणु भौतिक अनुसंधान मशीनरी और उपकरणों के लिए (₹ 0.65 करोड़), (3) न्यूक्लियर श्युरी मशीनरी और उपकरणों (₹ 0.01 करोड़), (4) साइक्लोट्रॉन प्रणाली मुख्य कार्य के विकास (₹ 0.01 करोड़), (5) विभिन्न उपयोग मशीनरी और उपकरणों के लिए इण्डस-2 लाइनों (₹ 0.32 करोड़), (6) विज्ञान मशीनरी और उपकरणों पर उच्च तापमान रीएक्टर विकास कार्यक्रम (₹ 0.64 करोड़), (7) भारतीय भागीदारी जुयल्स होटोविटज रीएक्टर सैंट कैडरशि फीस मशीनरी और उपकरण (₹ 8.91 करोड़), (8) न्यूक्लियर इन्सट्रुमेंटेशन एण्ड रेडिएशन डिटेक्टर्स मशीनरी एण्ड इक्विपमेंट्स (₹ 1 करोड़), (9) नाभकीय कृषि मशीनरी एवं उपकरण (₹ 0.01 करोड़), (10) एडीएस झाइवर मेजर वर्क्स के अग्रभाग के लिए लो इनर्जी हाई इन्टेसिटी प्रोटॉन एक्सीलेटर (एलईएचआईपीए) का विकास (₹ 0.5 करोड़), (11) स्पेशल मटेरियल्स डेवलपमेंट मशीनरी एण्ड इक्विपमेंट (₹ 1 करोड़), (12) नेशनल फेसिलिटीज आफ न्यूट्रॉन बीम एण्ड एस्ट्रोफिजिकल रिसर्च मशीनरी एण्ड इक्विपमेंट्स (₹ 3.7 करोड़), (13) नेशनल फेसिलिटीज आफ न्यूट्रॉन बीम एण्ड एस्ट्रोफिजिकल मेजर वर्क (₹ 0.02 करोड़), (14) सेफ्टी एसेसमेंट एण्ड टेक्नालाजी डेवलपमेंट फार एडवॉन्सड रिएक्टर्स मशीनरी एण्ड इक्विपमेंट्स (₹ 2.95 करोड़), (15) फ्यूल हैंडलिंग सिस्टम फार एचडब्ल्यू मशीनरी एण्ड इक्विपमेंट्स (₹ 0.2 करोड़), (16) डेवलपमेंट आफ एडवॉन्सड प्रोसेस एण्ड इक्विपमेंट्स फार रिसाइकिलिंग एफ्रीकेशन मशीनरी एण्ड इक्विपमेंट्स (₹ 1.5 करोड़), (17) डेवलपमेंट्स आफ एडवॉन्सड प्रोसेस एण्ड इक्विपमेंट्स फार वेस्ट मैनेजमेंट एप्लीकेशन मशीनरी एण्ड इक्विपमेंट्स (₹ 1.03 करोड़), (18) टेक्नालाजी डेवलपमेंट एण्ड डिमान्स्टेशन फार कम्पलीट रेन्ज एण्ड साइजेस आफ रेडिएशन शीगल विण्डो मशीनरी एण्ड इक्विपमेंट्स (₹ 0.89 करोड़), (19) डेवलपमेंट एण्ड डिप्लायमेंट आफ न्यू पैराडिम्स आफ सेक्योर कम्प्यूटिंग, कम्प्युनिकेशन एण्ड इंफार्मेशन सिस्टम मशीनरी एण्ड इक्विपमेंट्स (₹ 6.51 करोड़), (20) एडवॉन्सड टेक्नालाजीज फार कन्ट्रोल एण्ड इन्सट्रुमेंशन मशीनरी एण्ड इक्विपमेंट्स (₹ 0.75 करोड़), (21) इन्विरोनमेंटल स्टडीज एण्ड एडवॉन्सड टेक्नीक्स फार रेडिएशन डोसीमेट्री मशीनरी एण्ड इक्विपमेंट्स (₹ 1.62 करोड़), (22) मालेकुलर एण्ड सेल्यूलर रेडिएशन बायोलॉजी आफ माडल आर्गेनिज्म एण्ड ह्यूमन पापुलेशन नशीनरी एण्ड इक्विपमेंट्स (₹ 1.28 करोड़), (23) टेक्नालाजी डेवलपमेंट्स एण्ड

of Technology and adoption in waste management and reprocessing plants Major Works (₹ 1.34 crore), (xii) High-active Waste Transfer RCC Shielded Trenches Major Works (₹ 0.75 crore), (xiii) Revamping & Modernisation of HWP Kota Major Works (₹ 0.45 crore), (xiv) Nuclear Grade Sodium Test Facility for Technology Development Major Works (₹ 0.55 crore), (xv) Technology & Innovation facility Major Works (₹ 0.14 crore), Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (e) additional expenditure towards projects of Nuclear Recycle Board (₹ 5 crore) and Heavy Water Board (₹ 129.34 crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (f) additional expenditure under Indira Gandhi Centre for Atomic Research for Enhancement of Security Services at DAE Complex, Kalpakkam (₹ 0.10 crore) and also for meeting additional expenditure towards Bhabha Atomic Research Centre, Indira Gandhi Centre for Atomic Research, Raja Ramanna Centre for Advance Technology, Variable Energy Cyclotrone Centre, Directorate of Construction Services and Estate Management, Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research under following projects: (1) Advanced Computing and Automation Machinery & Equipments (₹ 0.45 crore), (2) Advanced Experimental Nuclear Physics Research Machinery & Equipments (₹ 0.65 crore), (3) Centre for Nuclear Theory Machinery & Equipments (₹ 0.01 crore), (4) Development of Cyclotron System Major Works (₹ 0.01 crore), (5) Development of Indus-2 Lines for various applications Machinery & Equipments (₹ 0.32 crore), (6) High Temperature Reactor Development Programme at Vizag Machinery & Equipments (₹ 0.64 crore), (7) Indian Participation in Jules Horowitz Reactor at Cadarache, France Machinery & Equipments (₹ 8.91 crore), (8) Nuclear Instrumentation & Radiation Detectors Machinery & Equipments (₹ 1 crore), (9) Nuclear Agriculture Machinery & Equipments (₹ 0.01 crore), (10) Development of Low Energy High Intensity Proton Accelerator (LEHIPA) for front-end of ADS driver Major Works (₹ 0.5 crore), (11) Special Materials Development Machinery & Equipments (₹ 1 crore), (12) National Facilities of Neutron Beam & Astrophysical Research Machinery & Equipments (₹ 3.7 crore), (13) National Facilities of Neutron Beam & Astrophysical Research Major Work (₹ 0.02 crore), (14) Safety Assessment and Technology Development for Advanced Reactors Machinery & Equipments (₹ 2.95 crore), (15) Fuel Handling System for AHWR Machinery & Equipments (₹ 0.2 crore), (16) Development of Advanced Processes and Equipments for Recycling Application Machinery & Equipments (₹ 1.5 crore), (17) Development of Advanced Processes & Equipments for Waste Management Applications Machinery & Equipments (₹ 1.03 crore), (18) Technology Development and Demonstration for Complete range and sizes of Radiation Shielding Window Machinery & Equipments (₹ 0.89 crore), (19) Development and Deployment of new paradigms of Secure Computing, Communication and Information Systems Machinery

एफ्रीकेशन आफ इसोटोप्स मशीनरी एण्ड इक्विपमेन्ट्स (₹ 0.90 करोड़), (24) एलआईएस टेक्नालाजीज मशीनरी एण्ड इक्विपमेन्ट्स (₹ 5.5 करोड़), (25) कम्पोनेन्ट्स एण्ड सिस्टम डेवलपमेन्ट्स फार लेसर्स, प्लाज्मास एण्ड इलेक्ट्रान बीम टेक्नालाजीज मशीनरी एण्ड इक्विपमेन्ट्स (₹ 1.5 करोड़), (26) सिनकोट्रान रेडिएशन बेस्ड फिजिक्स रिसर्च मशीनरी एण्ड इक्विपमेन्ट्स (₹ 45 करोड़), (27) फिजिक्स आफ मटेरियल्स मशीनरी एण्ड इक्विपमेन्ट्स (₹ 0.48 करोड़), (28) मटेरियल्स एण्ड टेक्नालाजी फार एडवान्स्ड रिएक्टर सिस्टम मशीनरी एण्ड इक्विपमेन्ट्स (₹ 3.89 करोड़), (29) एअर बॉर्न एण्ड ग्राउन्ड फिजिकल सर्कल रिमोट सेन्सिंग एण्ड जीआईएस स्टडीज फार एक्सप्लोरेशन आफ रेडियम मशीनरी एण्ड इक्विपमेन्ट्स (₹ 0.65 करोड़), (30) एस्ट्रोफिजिक्स एण्ड एक्सिलरेटर बेस्ड रिसर्च इन फिजिकल साइंसेज मशीनरी एण्ड इक्विपमेन्ट्स (₹ 1.15 करोड़), (31) फिजिक्स आफ डेवाइसेस एण्ड इन्जीनेरिंग डेवलपमेन्ट आफ इन्स्ट्रुमेन्टेशन मशीनरी एण्ड इक्विपमेन्ट्स (₹ 1.55 करोड़), (32) इन्जीनियरिंग डेवलपमेन्ट आफ टेस्टिंग आफ एफबीआर मशीनरी एण्ड इक्विपमेन्ट्स (₹ 0.4 करोड़), (33) आगमेन्टेशन आफ फेसिलिटीज आफ प्रोसेस, इक्विपमेन्ट्स एण्ड सिस्टम डेवलपमेन्ट फार फास्ट रिएक्टर फ्यूएल रिप्रोसेसिंग मेजर वर्क्स (₹ 0.43 करोड़), (34) आईजीसीएआर मुख्य कार्य में इल्क्ट्रिकल और संचार प्रणाली के विकास के लिए नवीकरण और अवसंरचना (₹ 0.45 करोड़), (35) आईजीसीएआर के अन्दर अवसंरचना का विकास एवं सुधार, डीआई संयंत्र साइट की पश्चिमी दिशा की तरफ और इंदौर क्षेत्र मुख्य कार्य (₹ 0.62 करोड़), (36) सोडियम प्रणाली मुख्य कार्य के लिए इंजीनियरिंग आर एण्ड डी (₹ 0.1 करोड़), (37) फंडामेंटल अउटस्टैंडिंग एण्ड एप्लिकेशन मशीनरी एण्ड इक्विपमेंट के लिए आईएम सुविधा फेरोप्युईउस/ननोफुईउस विकास (₹ 0.06 करोड़), (38) एफबीआर के लिए उन्नत मूल्यांकन एवं प्रौद्योगिकियों की कोटिंग तथा पुनर्प्रसंस्करण अनुप्रयोग मशीनरी एवं उपकरण (₹ 0.98 करोड़), (39) नपोन्मेष एसएफआर मशीनरी एवं उपकरणों का डिजाइन वैलिडेशन तथा सुरक्षा संबंधी प्रदर्शन (₹ 0.77 करोड़), (40) फास्ट रिएक्टर्स मशीनरी एण्ड उपकरण के लिए सिविल इंजीनियरिंग आर एण्ड डी (₹ 0.04 करोड़) (41) हाई एनर्जी एक्सीलेटर्स मशीनरी एण्ड इक्विपमेंट के लिए सुपर कंडक्टिव कैवैरिज तथा एसोसिएटेड तकनीक का विकास (₹ 2 करोड़), (42) विभिन्न उपप्रणालियों मशीनरी एवं उपकरण के इम्पर्सन डेवाइसेज तथा उन्नयन सेपेट इंडस-2 का निष्पादन (₹ 2.26 करोड़), (43) सामग्री इन्फ्रा-एंड फ्री इलेक्शन लेजर बेस्ड बीप लाइन्स एण्ड सामग्री प्रसंधान प्रमुख निर्माणकार्य में अनुप्रयोग (₹ 0.30 करोड़), (44) एक्सेलेटर कंपोनेट मशीनरी एण्ड इक्विपमेंट्स के लिए विनिर्माणन विस्तार तथा रसायन उपचार (सुविधाएं) (₹ 0.60 करोड़) तथा प्रमुख कार्य (₹ 0.25 करोड़), (45) उन्नत लेसर्स मशीनरी एण्ड इक्विपमेंट का विकास तथा अनुप्रयोग (₹ 1.40 करोड़), (46) हाइ पावर लेसर्स एण्ड लेसर प्लास्मा इंटरैक्शन इन हाई डेंसिटी एण्ड अल्ट्रा-हाई (₹ 75 करोड़), (47) ऑप्टिकल मैकेनिकल एण्ड इलेक्ट्रानिक सपोर्ट सिस्टम मशीनरी एण्ड इक्विपमेंट (₹ 0.50 करोड़), (48) कंप्यूटर संचार तथा सूचना प्रणाली मशीनरी एवं उपकरणों का विकास एवं प्रसार (₹ 4.07 करोड़) और प्रमुख कार्य (₹ 0.05 करोड़), (49) इण्डस सिंक्रोट्रॉन यूजर फैसिलिटी मशीनरी एण्ड इक्विपमेंट (₹ 2.02 करोड़), (50) लेसर सामग्री, फोटोनिक नैनो-सामग्री (₹ 1.20 करोड़) तथा लेसर सामग्री प्रसंस्करण मशीनरी एण्ड इक्विपमेंट्स का अनुसंधान एवं विकास (₹ 0.12 करोड़) (51) लेजर और लेजर आधारित उपकरणों मशीनरी और उपकरणों की बायोमेडिकल सामाजिक प्रयोगों (₹ 3.50 करोड़) और मुख्य कार्य (₹ 0.08 करोड़), (52) सीडआरएन एक्सीलेटर परियोजनाओं में अंतराष्ट्रीय सहयोग के लिए (₹ 0.10 करोड़), (53) अवसंरचना विकास फेज-VI मुख्य कार्य (₹ 2.60 करोड़), (54) तकनीकी अवसंरचना मशीनरी और उपकरणों (₹ 0.60 करोड़) और मुख्य कार्य (₹ 0.90 करोड़), (55) उच्च ऊर्जा प्रोटॉन लीनेक आधारित स्वीलशन न्यूट्रान स्रोत

& Equipments (₹ 6.51 crore), (20) Advanced Technologies for Control & Instrumentation Machinery & Equipments (₹ 0.75 crore), (21) Environmental studies and Advanced Techniques for Radiation Dosimetry Machinery & Equipments (₹ 1.62 crore), (22) Molecular and Cellular Radiation Biology of Model Organisms and Human Population Machinery & Equipments (₹ 1.28 crore), (23) Technology Development and Applications of Isotopes Machinery & Equipments (₹ 0.90 crore), (24) LIS Technologies Machinery & Equipments (₹ 5.5 crore), (25) Components & Systems Development for Lasers, Plasmas and Electron Beam Technologies Machinery & Equipments (₹ 1.5 crore), (25) Synchrotron Radiation Based Physics Research Machinery & Equipments (₹ 45 crore), (26) Physics of Materials Machinery & Equipments (₹ 0.48 crore), (27) Materials and Technology for Advanced Reactor Systems Machinery & Equipments (₹ 3.89 crore), (28) Airborne & Ground Geo physical Surveys, Remote Sensing & GIS Studies for Exploration of Uranium Machinery & Equipments (₹ 0.65 crore), (29) Astrophysics and Accelerator based Research in Physical Sciences Machinery & Equipments (₹ 1.15 crore), (30) Physics of Devices and Indigenous Development of Instrumentation Machinery & Equipments (₹ 1.55 crore), (31) engg. development and testing for FBR Machinery & Equipments (₹ 0.4 crore), (32) Augmentation of facilities for process, Equipments and system development for Fast Reactor Fuel Reprocessing Major Works (₹ 0.43 crore), (33) Refurbishment and infrastructure development of electrical and communication system at IGCAR Major Works (₹ 0.45 crore) (34) Development of Infrastructure and improvement to facilities within IGCAR, on the western side of DAE Plant site and Edaiyur area Major Works (₹ 0.62 crore), (35) Engineering R&D for sodium systems Major Works (₹ 0.1 crore), (36) Advanced facilities for ferrofluids/ nanofluids development for fundamental understanding and applications Machinery & Equipments (₹ 0.06 crore), (37) Advanced corrosion assessment and coating technologies for FBR and Reprocessing applications Machinery & Equipments (₹ 0.98 crore), (38) Design validation and safety demonstration of innovative SFR Machinery & Equipments (₹ 0.77 crore), (39) Civil engineering R&D for fast reactors Machinery & Equipments (₹ 0.04 crore) (40) Development of superconducting cavities and associated tech. for high energy accelerators Machinery and Equipments (₹ 2 crore), (41) Performance Enhancement of Indus-2 with Insertion Devices & Upgradation of various Sub-Systems Machinery & Equipments (₹ 2.26 crore), (42) Infra-Red Free Electron Laser Based Beam Lines & their Applications in Materials Research Major Work (₹ 0.30 crore), (43) Enhancement of Manufacturing & Chemical Treatment Facilities for Accelerator Components Machinery & Equipments (₹ 0.60 crore) and Major Work (₹ 0.25 crore), (44) Development & Applications of Advanced Lasers Machinery & Equipments (₹ 1.40 crore), (45) High Power Lasers & Laser-Plasma Interaction in High Density & Ultra-high Intensity Regimes (Major Work ₹ 0.75 crore), (46) Development of Optical, Mechanical &

अनुदानों की पूरक मांगें, 2014-2015 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

प्रमुख काम के लिए अनुसंधान और विकास गतिविधियां (₹ 0.75 करोड़), (56) डीसीएसईएम के तहत परमाणु ऊर्जा विभाग डीएई कालोनी में बाहरी इंजीनियरिंग सेवाओं का उन्नयन (₹ 3.50 करोड़), (57) हवाई और जमीन भूभौतिकीय क्षमताओं मशीनरी और उपकरणों की वृद्धि (₹ 0.90 करोड़), (58) एचआरडी सुविधाओं का सृजन (मुख्य कार्य ₹ 0.50 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

Electronic Support Systems Machinery & Equipments (₹ 0.50 crore), (47) Development and Deployment of Computer, Communication and Information Systems Machinery & Equipments (₹ 4.07 crore) and Major Work (₹ 0.05 crore), (48) Enhancement of Indus Synchrotron User Facility Machinery & Equipments (₹ 2.02 crore), (49) Research & Development of Laser Material, Photonic Nano-materials & Laser Materials Processing Machinery & Equipments (₹ 1.20 crore) and Major Work (₹ 0.12 crore) (50) Biomedical & Societal Applications of Lasers & Laser Based Instruments Machinery & Equipments (₹ 3.50 crore) and Major Work (₹ 0.08 crore), (51) International Collaboration in CERN Accelerator Projects Machinery & Equipments (₹ 0.10 crore), (52) Infrastructure Development Phase -VI Major Work (₹ 2.60 crore), (53) Technical Infrastructure Machinery & Equipments (₹ 0.60 crore) and Major Work (₹ 0.90 crore), (54) R&D Activities for High Energy Proton Linac Based Spallation Neutron Source Major Work (₹ 0.75 crore), (55) Upgradation of external Engineering services in DAE Colony under DCSEM Major Work (₹ 3.50 crore), (56) Augmentation of Airborne and ground geophysical capabilities Machinery & Equipments (₹ 0.90 crore), (57) Creation of HRD facilities Major Work (₹ 0.50 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 9

नागर विमानन मंत्रालय

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 9 और वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 7 देखिये)
(See page 9 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015 and page 7 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2014-2015)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	837.92	6540.10	7378.02
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	0.01	5.00	5.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	54.26	...	54.26
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	892.19	6545.10	7437.29
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3053 - नागर विमानन	स्वीकृत: 3053 -Civil Aviation	Voted: 14.10 (का)	40.16 (खb)	54.26

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण को पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए (₹ 14.10 करोड़)।
अनुदान के पूंजी भाग में बचतें अभ्यर्पित किए जाने के कारण उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त खर्च नहीं होगा।
- (ख) (i) विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (एईआरए) को सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए (₹ 2.00 करोड़)।
(ii) हज चार्टरों के लिए अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान करने हेतु (₹ 33.84 करोड़)।
(iii) नागर विमानन महानिदेशालय के कार्यालय के वेतन हेतु (₹ 4.32 करोड़)।
अनुदान के पूंजी भाग में बचतें अभ्यर्पित किए जाने के कारण उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त खर्च नहीं होगा।

The supplementary grant is required for:

- (a) providing Grants-in-aid for Creation of Capital Assets to Airport Authority of India (₹ 14.10 crore).
Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;
- (b) (i) providing Grants-in-aid General to Airports Economic Regulatory Authority (AERA)(₹ 2.00 crore).
(ii) providing additional subsidy for Haj Charters (₹ 33.84 crore).
(iii) providing salary for the office of Director General of Civil Aviation (₹ 4.32 crore)
Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

कोयला मंत्रालय

MINISTRY OF COAL

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 10 देखिये)

(See page 10 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	600.00	1647.00	2247.00	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	600.01	1647.00	2247.01	
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2803 - कोयला और लिग्नाइट	स्वीकृत: 2803 -Coal and Lignite	Voted:	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

कोयला खान (विशेष प्रावधान) द्वितीय अध्यादेश, 2014 के प्रावधानों के अन्तर्गत नियुक्त "नामित प्राधिकरण" की कार्यप्रणाली पर होने वाले व्यय को पूरा करना (₹ 3.74 करोड़)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grant is required for:

meeting expenditure (₹ 3.74 crore) on the functioning of "Nominated Authority" appointed under the provisions of Coal Mines (Special Provisions) Second Ordinance, 2014).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 11

वाणिज्य विभाग

DEPARTMENT OF COMMERCE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 11 और वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 8 देखिये)
(See page 11 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015 and page 8 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2014-2015)

				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
				(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:					
	भारित:	Charged:	0.50	...	0.50	
	स्वीकृत:	Voted:	5552.00	304.50	5856.50	
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:					
	स्वीकृत:	Voted:	...	160.00	160.00	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:					
	स्वीकृत:	Voted:	0.02	...	0.02	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		5552.52	464.50	6017.02	
	भारित:	Charged:	0.50	...	0.50	
	स्वीकृत:	Voted:	5552.02	464.50	6016.52	
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:						
				आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
2407 - पौधारोपण	स्वीकृत: 2407 -Plantations	Voted:	...	0.01	(का)	0.01
3453 - विदेशी व्यापार और निर्यात संवर्द्धन	स्वीकृत: 3453 -Foreign Trade and Export Promotion	Voted:	0.01 (खb)	...		0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted:	0.01	0.01		0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) इस अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (i) चाय बोर्ड को सामान्य अनुपालन सहायता के लिए (₹ 1.70 करोड़), वचनबद्ध देनदारियों और अनुदान सहायता वेतन के भुगतान के लिए (₹ 6.39 करोड़), कर्मचारियों को वेतन और पेंशन भोगियों को वार्षिक पेंशन देनदारी के भुगतान के लिए; (ii) कॉफी बोर्ड के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 21.60 करोड़), अन्य प्रशासनिक व्यय की लागत को पूरा करने और संवर्धनकारी कार्यों की लागत में सहायता देने हेतु तथा 1995 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के कारण पेंशन देनदारी के भुगतान के लिए सहायता अनुदान वेतन (₹ 3.60 करोड़); (iii) रबड़ बोर्ड के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 10.50 करोड़), मौजूदा लंबित देनदारियों के भुगतान के लिए और सेवानिवृत्त व्यक्तियों की बढ़ती संख्या के कारण पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान के लिए सहायता अनुदान वेतन (₹ 10.50 करोड़) और (iv) मसाला बोर्ड के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 3.81 करोड़) मौजूदा लंबित देनदारियों के भुगतान के लिए और कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन भोगियों की पेंशन के भुगतान के लिए सहायता अनुदान वेतन (₹ 1.84 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में बचते उपलब्ध होने के कारण सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

(ख) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान को पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 36.54 करोड़)। राष्ट्रीय निर्यात बीमा लेखा (एनआईए) को ₹ 100 करोड़ की अतिरिक्त राशि। अनुदान के इसी भाग में बचते उपलब्ध होने के कारण सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

The supplementary grants are required for:

(a) Meeting additional expenditure of (i) Tea Board towards Grants-in-aid General (₹ 1.70 crore) for payment of committed liabilities and Grants-in-aid Salary (₹ 6.39 crore) for payment of salary to the employees and annual pension liability of pensioners; (ii) Coffee Board towards Grants-in-aid General (₹ 21.60 crore) for meeting the cost of Other Administrative Expenditure and subsidizing the cost of promotional activities and Grants-in-aid Salary (₹ 3.60 crore) towards payment of pension liability due to voluntary retirement in 1996; (iii) Rubber Board towards Grants-in-aid General (₹ 10.50 crore) for payment of existing pending liabilities and Grants-in-aid Salary (₹ 10.50 crore) towards payment of pension and retirement benefits due to increased number of retirements and (iv) Spices Board towards Grants-in-aid General (₹ 3.81 crore) for payment of existing pending liabilities and Grants-in-aid Salary (₹ 1.84 crore) for payment of salary to the employees and pension to the pensioners. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) (i) Grants for Creation of Capital Assets (₹ 36.54 crore) to Indian Institute of Foreign Trade and (ii) to provide and additional amount of ₹ 100 crore to National Export Insurance Account (NEIA). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 12

औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 12 और वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 9 देखिये)
(See page 12 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015 and page 9 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2014-2015)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 1839.27	105.75	1945.02
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	भारित:	Charged: 0.25	...	0.25
	स्वीकृत:	Voted: 89.01	...	89.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत:	Voted: 12.61	...	12.61
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1941.14	105.75	2046.89
	भारित:	Charged: 0.25	...	0.25
	स्वीकृत:	Voted: 1940.89	105.75	2046.64

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted: 12.59 (क)a	...	12.59
2852 - उद्योग	स्वीकृत: 2852 -Industries	Voted: 0.01 (ख)b	0.01 (ग)c	0.02
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 12.60	0.01	12.61

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

- | | |
|--|---|
| <p>(क) 'पूर्वोत्तर औद्योगिक और निवेश संवर्धन नीति' के तहत ₹ 36.90 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता राजस्व भाग में उपलब्ध ₹ 24.31 करोड़ की बचतों के तहत और अनुदान के पूंजी पक्ष के तहत ₹ 12.59 करोड़ की अनुपातिक बचत, तकनीकी पूरक अपेक्षित है।</p> <p>(ख) 'निवेश संवर्धन की स्कीम' के तहत ₹ 10 करोड़ की अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।</p> <p>(ग) पल्प और कागज उद्योगों के विकास परिषद (₹ 2.80 करोड़) के सहायता अनुदान वेतन को प्रदान करने के लिए ₹ 3.60 करोड़ का अतिरिक्त व्यय को पूरा करना और सीमेंट और बिल्डिंग मैटीरियल राष्ट्रीय परिषद के लिए (₹ 0.80 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।</p> | <p>(a) meeting additional expenditure of ₹ 36.90 crore under 'North East Industrial and Investment Promotion Policy'. After taking into account the saving of ₹ 24.31 crore available in the Revenue Section and matching saving of ₹ 12.59 crore under Capital side of the grant, a technical supplementary is sought.</p> <p>(b) meeting an additional expenditure of ₹ 10 crore under 'Scheme for Investment Promotion'. As the savings are available within the same section of the grant, a token supplementary is sought.</p> <p>(c) meeting an additional expenditure of ₹ 3.60 crore towards providing Grants-in-aid Salaries to Development Council for Pulp and Paper Industries (₹ 2.80 crore) and National Council for Cement and Building Material (₹ 0.80 crore). As the savings are available within the same section of the grant, a token supplementary is sought.</p> |
|--|---|

मांग संख्या DEMAND NO. 13

डाक विभाग

DEPARTMENT OF POSTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 13 और वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 10 देखिये)
(See page 13 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015 and page 10 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2014-2015)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
भारित:	Charged:	0.20	...	0.20
स्वीकृत:	Voted:	18141.35	518.30	18659.65
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
भारित:	Charged:	3.43	2.26	5.69
स्वीकृत:	Voted:	...	0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
भारित:	Charged:	0.21	...	0.21
स्वीकृत:	Voted:	344.66	...	344.66
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	18489.85	520.57	19010.42
भारित:	Charged:	3.84	2.26	6.10
स्वीकृत:	Voted:	18486.01	518.31	19004.32
II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3201 - डाक सेवाएं	भारित: 3201 - Postal Services	Charged: ...	0.21 (क)a	0.21
	स्वीकृत:	Voted: ...	344.66 (ख)b	344.66
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	344.87	344.87
	भारित:	Charged: ...	0.21	0.21
	स्वीकृत:	Voted: ...	344.66	344.66

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप ऐजवाल(मिजोरम) के केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को आवास भत्ता का भुगतान किये जाने के लिए आने वाले अतिरिक्त खर्च को पूरा करने के लिए। क्योंकि इस खर्च को अनुदान के स्वीकृत भाग के तहत उपलब्ध बचतों से पूरा किया जाएगा, तकनीकी पूरक अपेक्षित है।
- (ख) वेतन (₹ 141.13 करोड़), 'पेंशन' (₹ 135 करोड़), 'कार्यालय व्यय' (₹ 43 करोड़), 'मजदूरी' (₹ 12 करोड़), 'व्यावसायिक सेवाएँ' (₹ 142.35 करोड़) सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.02 करोड़) और विभाग के अन्य स्थापना संबंधी खर्च (₹ 18.01 करोड़) के कारण पैदा होने वाली अतिरिक्त जरूरत को पूरा करने के लिए ₹ 491.51 करोड़। अनुदान के इसी भाग में ₹ 146.85 करोड़ की राशि बची होने के कारण शेष ₹ 344.66 करोड़ के लिए एक तकनीकी पूरक की मांग की गई है क्योंकि पूंजीगत भाग में इसी के समतुल्य राशि बची है जो कि वापस कर दी जायेगी।

The supplementary grant/appropriation is required for:

- (a) meeting additional requirement, arising out of Court Judgement for meeting payment of HRA to Central Government employees at Aizwal (Mizoram). As the expenditure will be met from the savings available under voted section of the grant, a technical supplementary is sought.
- (b) meeting additional requirement of ₹ 491.51 crore towards 'salaries' (₹ 141.13 crore), 'wages' (₹ 12 crore), 'pensions' (₹ 135 crore), 'Office Expenses' (₹ 43 crore), 'Professional Services' (₹ 142.35 crore), Grants-in-aid-General (₹ 0.02 crore) and other establishment related expenditure of the Department (₹ 18.01 crore). Taking into account the saving of ₹ 146.85 crore available in the same section of the grant, a technical supplementary for the balance amount of ₹ 344.66 crore is sought as equivalent savings are available in the Capital section of the grant which will be surrendered.

दूरसंचार विभाग

DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 14 और वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 12 देखिये)

(See page 14 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015 and page 12 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2014-2015)

				(करोड़ रुपये Rupees in Crore)	
		राजस्व	पूंजी	जोड़	
		Revenue	Capital	Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	14267.06	3798.00	18065.06	
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
भारित:	Charged:	254.65	...	254.65	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत:	Voted:	0.02	0.01	0.03	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	14521.73	3798.01	18319.74	
भारित:	Charged:	254.65	...	254.65	
स्वीकृत:	Voted:	14267.08	3798.01	18065.09	
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:					
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:					
		आयोजना	आयोजना-	जोड़	
		Plan	भिन्न Non-Plan	Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3275 - अन्य संचार सेवाएं	स्वीकृत: 3275 - Other Communication Services	Voted:	0.01 (का)	0.01 (खb)	0.02
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
6859 - दूरसंचार और वैद्युत उद्योगों के लिए ऋण	स्वीकृत: 6859 - Loans for Telecommunication and Electronic Industries	Voted:	...	0.01 (गc)	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted:	0.01	0.02	0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) महानगर टेलीफोन निगम लि. को नई दिल्ली में सांसदों के आवास पर ब्राड बैंड/फाइबर जैसी घरेलू सुविधाओं को लगाने के लिए ₹ 6 करोड़ की धन राशि प्रदान करना। चूंकि अनुदान के इस खण्ड में धनराशि बची हुई है अतः इसके लिए नाम मात्र की पूरक राशि की मांग की गई है।
- (ख) महानगर टेलीफोन निगम लि. द्वारा जारी किये गये बन्ध पत्रों पर उदभूत होने वाले ब्याज का भुगतान करने के लिए ₹ 72.42 करोड़ के आने वाले अतिरिक्त खर्च को पूरा करने के लिए। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान अपेक्षित है।
- (ग) इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लि. को अपने कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करने के लिए ₹ 204 करोड़ की राशि का ऋण प्रदान करना। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान अपेक्षित है।

The supplementary grants are required for:

- (a) providing funds to ₹ 6 crore to Mahanagar Telephone Nigam Limited towards broadband/fiber to the home facilities at the residences of Members of Parliament in New Delhi. As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.
- (b) meeting additional expenditure of ₹ 72.42 crore for payment of interest of bonds issued by Mahanagar Telephone Nigam Limited. As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.
- (c) providing loans amounting to ₹ 204 crore to Indian Telephone Industries Limited for payment of salaries to its employees. As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 15 और वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 13 देखिये)

(See page 15 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015 and page 13 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2014-2015)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:	Voted:	3734.10	195.00	3929.10
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		3734.12	195.00	3929.12
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2852 - उद्योग	स्वीकृत: 2852 -Industries	Voted:	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

"एनआईआईएलआईटी" योजना के कार्यक्रम के तहत वेतन सहायता अनुदान पर होने वाले अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (₹ 3.56 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grant is required for:

Meeting additional expenditure (₹ 3.56 crore) under the Scheme/Programme of "NIELIT" towards Grants-in-aid Salaries. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 17

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 17 और वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 15 देखिये)
(See page 17 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015 and page 15 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2014-2015)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	115606.09	10678.25	126284.34
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	0.01	0.01	0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	8386.10	...	8386.10
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	123992.20	10678.26	134670.46
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2408 - खाद्य भंडारण और भाण्डागारण	स्वीकृत: 2408 -Food Storage and Warehousing	Voted: ...	8386.09 (का)	8386.09
3456 - नागरिक आपूर्ति	स्वीकृत: 3456 -Civil Supplies	Voted: 0.01 (खb)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 0.01	8386.09	8386.10
टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।				
Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.				
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
2408 - खाद्य भंडारण और भाण्डागारण	2408 - Food Storage and Warehousing	...	(-) 803.77	(-) 803.77

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

(क)	(i)	भारतीय खाद्य निगम व अन्यो को देय सब्सिडी खाद्यान्नों के लेन-देन के संबंध में (₹ 3000.00 करोड़)।	(a)	(i)	subsidy payable to Food Corporation of India and others on food grains transaction (₹ 3000.00 crore).
	(ii)	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत भारतीय खाद्य निगम व अन्यो को देय सब्सिडी खाद्यान्नों के लेन-देन के संबंध में (₹ 2000.00 करोड़)।		(ii)	subsidy payable to Food Corporation of India and others on food grains transaction under National Food Security Act(₹ 2000.00 crore).
	(iii)	राज्य सरकार को खाद्यान्नों की विकेन्द्रित खरीद पर सब्सिडी (₹ 1300.00 करोड़)।		(iii)	subsidy to State Government on decentralized procurement of food grains (₹ 1300.00 crore).
	(iv)	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्य सरकार को खाद्यान्नों की विकेन्द्रित खरीद पर सब्सिडी (₹ 1375.81 करोड़)।		(iv)	subsidy to State Government on decentralized procurement of food grains under National Food Security Act(₹ 1375.81 crore).
	(v)	“स्कीम फार एक्सटेंडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टु शुगर आंडरटेकिंग्स, 2014 के तहत सभी सहभागी बैंकों को ब्याज आर्थिक सहायता के भुगतान के लिए (₹ 603.77 करोड़)।		(v)	payment of interest subvention (₹ 603.77 crore) to all participating Banks under the “Scheme for Extending Financial Assistance to Sugar Undertakings, 2014”.

(vi) "इंसेंटिव ऑन मार्केटिंग एण्ड प्रमोशन सर्विसिस ऑफ रॉ सुगर प्रोडक्शन" स्कीम के तहत शुगर मिल्स को प्रोत्साहन(₹ 200 करोड़) प्रदान करने के लिए, ताकि चीनी मिलें किसानों को गन्ने के मूल्यों का बकाया प्रदान कर सकें। अनुदान के पूंजी भाग में सरेण्डर के कारण उपलब्ध (₹192.71 करोड़) बचत को देखते हुए और अनुदान के उसी भाग में (₹93.49 करोड़)की बचत उपयोग में लाने के पश्चात तथा शुगर डेवलपमेंट फंड से (₹ 803.77 करोड़)की गई अनुपातिक वसूली के मद्देनजर उपर्युक्त व्यय में ₹ 7389.61 करोड़ का नकद व्यय होगा। (ख) लोक वितरण प्रणाली और क्षमता निर्माण, गुणता नियंत्रण, परामर्शी और अनुसंधान के सुदृढीकरण के लिए (₹ 0.06 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।	(vi) providing incentive to Sugar Mills (₹ 200 crore) under the scheme "Incentive on Marketing and Promotion Services of Raw Sugar Production" to enable the Sugar Mills to pay cane price arrears to the farmers. Taking into account the surrender of savings (₹ 192.71 crore) available in Capital Section of the Grant, and after utilising the savings (₹ 93.49 crore) within the same section of the Grant, and also matched by recoveries (₹ 803.77 crore) from the Sugar Development Fund, the above expenditure will entail net cash outgo of ₹ 7389.61 crore. (b) strengthening of Public Distribution System & Capacity Building, Quality Control, Consultancies and Research (₹ 0.06 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
---	---

संस्कृति मंत्रालय

MINISTRY OF CULTURE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 19 और वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 16 देखिये)
(See page 19 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015 and page 16 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2014-2015)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	2443.00	68.00	2511.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	0.04	...	0.04
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.02	...	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	2443.06	68.00	2511.06
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2205 - कला और संस्कृति	स्वीकृत: 2205 -Art and Culture	Voted: 0.01 (का)	0.01 (खb)	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grant is required for:

(क)	(i)	संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली को वाराणसी में संस्कृति उत्सव और अन्य कार्यक्रमों, इत्यादि के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1.50 करोड़)।	(a)	(i)	Sangeet Natak Akademi, New Delhi as Grants in aid – General for Sanskriti Festival in Varanasi and other programmes, etc (₹ 1.50 crore)
	(ii)	दिल्ली में रामायण उत्सव के लिए कलाक्षेत्र, चैन्नई को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.30 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।		(ii)	Kalakshetra, Chennai as Grants in aid – General for Ramayan Festival in Delhi (₹ 0.30 crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)	(i)	नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय, नई दिल्ली को अनिश्चित व्यय के भुगतान के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 2.00 करोड़)।	(b)	(i)	Nehru Memorial Museum and Library, New Delhi as Grant in aid – General for payment of contingency expenditure (₹ 2.00 crore)
	(ii)	ललित कला अकादमी, नई दिल्ली के संविदा स्टाफ को पेंशन और वेतन भुगतान के लिए और सामान्य रखरखाव के लिए सामान्य सहायता अनुदान (3.00 करोड़)।		(ii)	Lalit Kala Akademi, New Delhi as Grants in aid-General for payment of pension, payment of salary to contractual staff and for normal maintenance (₹ 3.00 crore)
	(iii)	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल को अनिश्चित व्यय, बिल्डिंग, अंदरूनी गलियारा और पेंशन के भुगतान के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.32 करोड़)		(iii)	Indira Gandhi Rashtriya Manav Sangrahalaya, Bhopal as Grant in aid-General for payment of contingency expenditure, building, Indoor gallery and payment of Pension (₹ 0.32 crore)
	(iv)	द एशिएटिक सोसाइटी, कोलकता के कर्मचारियों के वेतन के लिए वेतन के लिए सहायता अनुदान (₹ 2.50 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।		(iv)	The Asiatic Society, Kolkata as Grants in aid-Salaries for payment of Salaries to its employees (₹ 2.50 crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 20

रक्षा मंत्रालय

MINISTRY OF DEFENCE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 20 और वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 19 देखिये)
(See page 20 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015 and page 19 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2014-2015)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:	Charged:	0.51	...	0.51
	स्वीकृत:	Voted:	14956.64	1620.72	16577.36
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:	Voted:	3000.00	...	3000.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	भारित:	Charged:	0.58	6.73	7.31
	स्वीकृत:	Voted:	314.03	...	314.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		18271.76	1627.45	19899.21
	भारित:	Charged:	1.09	6.73	7.82
	स्वीकृत:	Voted:	18270.67	1620.72	19891.39
II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:					
II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:					
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2037 - सीमा शुल्क	स्वीकृत:	2037 -Customs	Voted:	...	134.74 (का) 134.74
2052 - सचिवालय-सामान्य सेवाएं	भारित:	2052 - Secretariat-General Services	Charged:	...	0.48 (खb) 0.48
	स्वीकृत:		Voted:	...	135.98 (गc) 135.98
2055 - पुलिस	भारित:	2055 - Police	Charged:	...	0.10 (घd) 0.10
	स्वीकृत:		Voted:	...	43.31 (ङe) 43.31
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		...	314.61	314.61
	भारित:		Charged:	...	0.58 0.58
	स्वीकृत:		Voted:	...	314.03 314.03
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4047 - अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	भारित:	4047 - Capital Outlay on Other Fiscal Services	Charged:	...	6.73 (चf) 6.73
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		...	321.34	321.34
	भारित:		Charged:	...	7.31 7.31
	स्वीकृत:		Voted:	...	314.03 314.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) 'वेतन', 'छोटे निर्माण', 'पूर्ति और सामग्री', 'पीओएल', 'व्यावसायिक सेवाएं', 'मशीनरी और उपस्कर के तहत इत्यादि के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 134.74 करोड़)। अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

(ख) कैट/न्यायालय के आदेशों से उत्पन्न अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 0.48 करोड़)। अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grant/appropriation are required for:

(a) meeting additional expenditure of ₹ 134.74 crore under 'Salaries', 'Minor Works', 'Supplies and Materials', 'POL', 'Professional Services', 'Machinery & Equipment' etc. As savings are available in the capital section of the grant, a technical supplementary is sought.

(b) meeting additional expenditure arising out of CAT/Court Orders (₹ 0.48 crore). As savings are available in the capital section of the grant, a technical supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2014-2015 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(ग) अधिकारी/स्टाफ के आने से रक्षा लेखा विभाग के 'वेतनों' के कारण और कैंटोनमेंट बोर्डों की वेतन और भत्ते की कानूनी उत्तरदायित्व भुगतान के लिए मुख्यतः (₹ 135.98 करोड़)। इसमें अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान (₹ 63.33 करोड़) भी शामिल है। अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।	(c) meeting additional expenditure of ₹ 135.98 crore mainly towards providing additional 'Grants-in-aid - General' (₹ 63.33 crore) to Cantonment Boards for payment of statutory liabilities of Pay & Allowances and 'Salaries' of Defence Accounts Department due to induction of officers/staff. As savings are available in the capital section of the grant, a technical supplementary is sought.
(घ) जम्मू और कश्मीर लाइट इंफैंट्री की ज़रूरत के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 0.10 करोड़)। अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।	(d) meeting additional expenditure (₹ 0.10 crore) towards requirement of Jammu & Kashmir Light Infantry. As savings are available in capital section of the grant, a technical supplementary is sought.
(ङ) जम्मू व कश्मीर लाइट इंफैंट्री (₹ 43.31 करोड़) संबंधी अतिरिक्त स्थापना व्यय को पूरा करने के लिए। अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।	(e) meeting additional expenditure towards establishment related expenditure of Jammu & Kashmir Light Infantry (₹ 43.31 crore). As savings are available in capital section of the grant, a technical supplementary is sought.
(च) मंडापम में आवासीय कॉम्प्लेक्स और कोस्ट गार्ड स्टेशन के निर्माण हेतु केरल के उच्च न्यायालय के आदेशों के तहत भूमि के अधिग्रहण के भुगतान के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 6.73 करोड़)। अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।	(f) meeting additional expenditure (₹ 6.73 crore) towards payment arising out of orders of High Court of Kerala for land acquisition for construction of Coast Guard Station and residential complex at Mandapam. As savings are available in capital section of the grant, a technical supplementary is sought.

रक्षा पेंशन

DEFENCE PENSIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 21 देखिये)

(See page 21 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:	Charged:	0.70	...	0.70
	स्वीकृत:	Voted:	50999.30	...	50999.30
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	भारित:	Charged:	9.30	...	9.30
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		51009.30	...	51009.30
	भारित:	Charged:	10.00	...	10.00
	स्वीकृत:	Voted:	50999.30	...	50999.30

II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2071 - पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति	भारित: 2071 - Pensions and other Retirement Benefits	Charged:	...	9.30	9.30

यह पूरक विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

न्यायालय निर्णयों के कारण बढ़े ₹ 9.30 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। चूंकि अनुदान के स्वीकृत भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः तकनीकी पूरक अपेक्षित है। इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary appropriation is required for:

meeting additional expenditure of ₹ 9.30 crore arising out of Court Orders. As savings are available in the voted section of the grant, a technical supplementary is sought. This will not entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 22

रक्षा सेवा - थल सेना

DEFENCE SERVICES-ARMY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 22 देखिये)

(See page 22 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:	Charged:	42.95	...	42.95
	स्वीकृत:	Voted:	95294.87	...	95294.87
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	भारित:	Charged:	336.00	...	336.00
	स्वीकृत:	Voted:	5340.47	...	5340.47
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		101014.29	...	101014.29
	भारित:	Charged:	378.95	...	378.95
	स्वीकृत:	Voted:	100635.34	...	100635.34

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

			आयोजना Plan	आयोजना- मिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2076 - रक्षा सेवाएं-थल सेना	भारित: 2076 - Defence Services - Army	Charged:	...	336.00 (का)	336.00
	स्वीकृत:	Voted:	...	5340.47 (खb)	5340.47

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) रैंक वेतन मामले में अदालत के आदेशों के कारण होने वाले भुगतान के लिए ₹ 336 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति। पूंजी भाग में उपलब्ध अतिरिक्त प्राप्तियों और बचतों को ध्यान में रखते हुए तकनीकी पूरक मांगा गया है।

(ख) 'वेतन और भत्ते' (₹ 1674 करोड़), 'परिवहन' (₹ 735.47 करोड़), 'पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य स्कीम' (₹ 1050 करोड़), 'निरीक्षण' (₹ 10 करोड़), 'भण्डार' (₹ 800 करोड़), 'निर्माण कार्य' (₹ 1055 करोड़), और पर्वतारोहण संस्थानों (हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान (दार्जिलिंग), नेहरू पर्वतारोहण संस्थान (उत्तरकाशी), जवाहर पर्वतारोहण संस्थान (पहलगाम) और पर्वतारोहण और सम्बंधित खेलों के राष्ट्रीय संस्थान के लिए सहायता अनुदान (₹ 16 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय के लिए ₹ 5340.47 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति। पूंजी भाग में उपलब्ध अतिरिक्त प्राप्तियों और बचतों को ध्यान में रखते हुए तकनीकी पूरक मांगा गया है।

The supplementary grant/appropriation is required for:

(a) meeting additional expenditure of ₹ 336 crore towards payment arising out of Court Orders in Rank Pay case. Taking into account the additional receipts and savings available in the capital section of the grant, a technical supplementary is sought.

(b) meeting additional expenditure of ₹ 5340.47 crore towards 'Pay & Allowances' (₹ 1674 crore), 'Transportation' (₹ 735.47 crore), 'Ex-Servicemen Contributory Health Scheme' (₹ 1050 crore), 'Inspection' (₹ 10 crore), 'Stores' (₹ 800 crore), 'Works' (₹ 1055 crore), and Grants-in-aid (₹ 16 crore) to Mountaineering Institutes (Himalayan Mountaineering Institute (Darjeeling), Nehru Institute of Mountaineering (Uttarkashi), Jawahar Institute of Mountaineering (Pahalgam) and National Institute of Mountaineering & Allied Sports). Taking into account additional receipts and savings available in the capital section of the grant, a technical supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 23

रक्षा सेवा - नौ सेना

DEFENCE SERVICES-NAVY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 23 देखिये)

(See page 23 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:	Charged:	18.19	...	18.19
	स्वीकृत:	Voted:	14157.60	...	14157.60
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	भारित:	Charged:	9.63	...	9.63
	स्वीकृत:	Voted:	350.37	...	350.37
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		14535.79	...	14535.79
	भारित:	Charged:	27.82	...	27.82
	स्वीकृत:	Voted:	14507.97	...	14507.97

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2077 - रक्षा सेवाएं-नौ सेना	भारित:	2077 - Defence Services - Navy	Charged:	...	9.63 (का)	9.63
	स्वीकृत:		Voted:	...	350.37 (खब)	350.37

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) रैंक वेतन मामला और अन्य मामलों में अदालत के आदेशों के कारण होने वाले भुगतान के लिए ₹ 9.63 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति। पूंजी भाग में उपलब्ध अतिरिक्त प्राप्तियों और बचतों को ध्यान में रखते हुए तकनीकी पूरक मांगा गया है।

(ख) वेतन और भत्ते (₹ 75 करोड़), निर्माण कार्य (₹ 215.91 करोड़), और संयुक्त स्टाफ (₹ 59.46 करोड़) के 350.37 करोड़ के व्यय को पूरा करने के लिए। पूंजी भाग में उपलब्ध अतिरिक्त प्राप्तियों और बचतों को ध्यान में रखते हुए तकनीकी पूरक मांगा गया है।

The supplementary grant/appropriation is required for:

(a) meeting additional expenditure of ₹ 9.63 crore towards payment arising out of Court Orders in Rank Pay case and other items. Taking into account the additional receipts and savings available in the capital section of the grant, a technical supplementary is sought.

(b) meeting additional expenditure of ₹ 350.37 crore towards pay & allowances (₹ 75 crore), works (₹ 215.91 crore), and Joint Staff (₹ 59.46 crore). Taking into account additional receipts and savings available in the capital section of the grant, a technical supplementary is sought.

रक्षा सेवा - वायु सेना

DEFENCE SERVICES-AIR FORCE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 24 देखिये)

(See page 24 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:	Charged:	4.70	...	4.70
	स्वीकृत:	Voted:	21202.14	...	21202.14
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	भारित:	Charged:	53.59	...	53.59
	स्वीकृत:	Voted:	1925.43	...	1925.43
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		23185.86	...	23185.86
	भारित:	Charged:	58.29	...	58.29
	स्वीकृत:	Voted:	23127.57	...	23127.57

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना		आयोजना-	जोड़
		Plan		भिन्न	Total
				Non-Plan	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2078 - रक्षा सेवाएं-वायु सेना	भारित:	2078 - Defence Services - Air Force	Charged:	...	53.59 (का) 53.59
	स्वीकृत:		Voted:	...	1925.43 (खब) 1925.43

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) रैंक वेतन मामला और अन्य मामलों में अदालत के आदेशों के कारण होने वाले भुगतान के लिए ₹ 53.59 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति। पूंजी भाग में उपलब्ध अतिरिक्त प्राप्ति और बचतों को ध्यान में रखते हुए तकनीकी पूरक मांगा गया है।
- (ख) वेतन और भत्ते (₹ 480.10 करोड़), भण्डार (₹ 1070.33 करोड़), और निर्माण कार्य (₹ 375 करोड़) के लिए अतिरिक्त 1925.47 करोड़ की पूर्ति। पूंजी भाग में उपलब्ध अतिरिक्त प्राप्ति और बचतों को ध्यान में रखते हुए तकनीकी पूरक मांगा गया है।

The supplementary grant/appropriation is required for:

- (a) meeting additional expenditure of ₹ 53.59 crore towards payment arising out of Court Orders in Rank Pay case. Taking into account the additional receipts and savings available in the capital section of the grant, a technical supplementary is sought.
- (b) meeting additional expenditure of ₹ 1925.43 crore towards pay & allowances (₹ 480.10 crore), stores (₹ 1070.33 crore), and works (₹ 375 crore). Taking into account the additional receipts and savings available in the capital section of the grant, a technical supplementary is sought.

रक्षा आयुध फैक्ट्रियां

DEFENCE ORDNANCE FACTORIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 25 देखिये)

(See page 25 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:	Charged:	8.00	...	8.00
	स्वीकृत:	Voted:	14308.65	...	14308.65
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		14316.66	...	14316.66
	भारित:	Charged:	8.00	...	8.00
	स्वीकृत:	Voted:	14308.66	...	14308.66
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2079 - रक्षा सेवाएं--आयुध कारखाने	स्वीकृत: 2079 -Defence Services - Ordnance Factories	Voted:	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

विजयंता सीनियर स्कूल, भारी वाहन कारखाना, अवादी को सहायता अनुदान के लिए ₹ 0.35 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति। अनुदान के उसी खंड में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा गया है।

The supplementary grant is required for:

meeting additional expenditure of ₹ 0.35 crore towards Grants-in-aid to Vijayanta Senior School, Heavy Vehicle Factory, Avadi. Taking into account the savings available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 26

रक्षा सेवाएं - अनुसंधान एवं विकास

DEFENCE SERVICES - RESEARCH AND DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 26 देखिये)

(See page 26 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:	Charged:	0.61	...	0.61
	स्वीकृत:	Voted:	6039.06	...	6039.06
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	320.03	...	320.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		6359.70	...	6359.70
	भारित:	Charged:	0.61	...	0.61
	स्वीकृत:	Voted:	6359.09	...	6359.09
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2080 - रक्षा सेवाएं- अनुसंधान और विकास	स्वीकृत: 2080 -Defence Services - Research and Development	Voted:	...	320.03	320.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

भण्डार (149.01 करोड़) और निर्माण कार्य (₹ 171.02 करोड़) के तहत अतिरिक्त व्यय ₹ 320.03 करोड़ की पूर्ति। पूंजी भाग में उपलब्ध अतिरिक्त प्राप्तियों और बचतों को ध्यान में रखते हुए तकनीकी पूरक मांगा गया है।

The supplementary grant is required for:

meeting additional expenditure of ₹ 320.03 crore under heads 'stores' (₹ 149.01 crore) and 'works' (₹ 171.02 crore). Taking into account additional receipts and savings available in the capital section of the grant, a technical supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 27

रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय

CAPITAL OUTLAY ON DEFENCE SERVICES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 27 देखिये)

(See page 27 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:	Charged:	...	330.95	330.95
	स्वीकृत:	Voted:	...	94257.00	94257.00
इस समय आवश्यक रकम का	Supplementary Estimate of the amount				
पूरक अनुमान:	now required:				
	भारित:	Charged:	...	0.01	0.01
	स्वीकृत:	Voted:	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		...	94587.97	94587.97
	भारित:	Charged:	...	330.96	330.96
	स्वीकृत:	Voted:	...	94257.01	94257.01

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4076 - रक्षा सेवाओं पर पूंजी	भारित: 4076 - Capital Outlay on Defence	Charged:	...	0.01 (क)	0.01
परिव्यय	Services				
	स्वीकृत:	Voted:	...	0.01 (ख)	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) अदालत के आदेशों के कारण होने वाले भुगतान के लिए संयुक्त स्टाफ (₹ 5.44 करोड़) द्वारा अतिरिक्त व्यय की पूर्ति। चूंकि बचत, अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध है, अतः सांकेतिक पूरक मांगा गया है।

(ख) सेना (थल) - ₹ 183 करोड़ और वायु सेना (निर्माण कार्य) - (₹ 23.54 करोड़) द्वारा अतिरिक्त व्यय की पूर्ति। चूंकि बचत, अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध है, अतः सांकेतिक पूरक मांगा गया है।

The supplementary grant/appropriation is required for:

(a) meeting additional expenditure by Joint Staff (₹ 5.44 crore) towards payment arising out of Court Orders. As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

(b) meeting additional expenditure by Army (Land)- ₹ 183 crore and Air Force (Works)- ₹ 23.54 crore. As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

पर्यावरण और वन मंत्रालय

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 31 और वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 22 देखिये)
(See page 31 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015 and page 22 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2014-2015)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:	Voted:	2404.39	106.11	2510.50
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:	Voted:	84.01	...	84.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		2488.41	106.11	2594.52
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2406 - वानिकी और वन्य जीवन	स्वीकृत: 2406 -Forestry and Wild Life	Voted:	0.01	...	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

निम्नलिखित के व्यय को पूरा करने के लिए (i) राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (प्रोजेक्ट टाइगर) को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1.50 करोड़) और (ii) भारतीय वन प्रबंधन संस्थान को वेतन सहायता अनुदान (₹ 3.65 करोड़)।
अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grant is required for:

For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General (₹ 1.50 crore) to National Tiger Conservation Authority (Project tiger) and (ii) Grants-in-aid salaries (₹ 3.65 crore) to Indian Institute of Forest Management.
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

विदेश मंत्रालय

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 32 और वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 23 देखिये)
(See page 32 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015 and page 23 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2014-2015)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:	Charged:	0.03	...	0.03
	स्वीकृत:	Voted:	11264.35	3466.01	14730.36
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	11264.40	3466.01	14730.41	
	भारित:	Charged:	0.03	...	0.03
	स्वीकृत:	Voted:	11264.37	3466.01	14730.38
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:					
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:					
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2061 - विदेशी मामले	स्वीकृत:	2061 -External Affairs	Voted:	...	0.01 (का) 0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) भारतीय अन्तर राष्ट्रीय विधि सोसाइटी को सामान्य अनुदान सहायता (₹ 0.15 करोड़)।
(ii) भारतीय वैश्विक कार्य परिषद को वेतन अनुदान सहायता (₹ 1.54 करोड़)।
(iii) 'स्पेशल डिप्लोमैटिक ऐक्सपेंडीचर' के तहत अतिरिक्त निधि प्रदान करना (₹ 120.00 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grant is required for:

- (a) (i) Grant-in-aid General to Indian Society of International Law (₹ 0.15 crore).
(ii) Grant-in-aid Salaries to Indian Council of World Affairs (₹ 1.54 crore).
(iii) providing additional funds under 'Special Diplomatic Expenditure' (₹ 120.00 crore).
Taking into account the savings available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 33

आर्थिक कार्य विभाग

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 33 और वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 24 देखिये)
(See page 33 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015 and page 24 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2014-2015)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	15719.27	6271.15	21990.42
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	4.92	6244.71	6249.63
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	433.33	...	433.33
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	16157.52	12515.86	28673.38
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2416 - कृषि वित्तीय संस्थान	स्वीकृत: 2416 -Agricultural Financial Institutions	Voted: ...	0.01 (कa)	0.01
3075 - अन्य परिवहन सेवाएं	स्वीकृत: 3075 -Other Transport Services	Voted: ...	0.01 (खb)	0.01
3466 - अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं	स्वीकृत: 3466 -International Financial Institutions	Voted: ...	433.29 (गc)	433.29
3475 - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	स्वीकृत: 3475 -Other General Economic Services	Voted: ...	0.01 (घd)	0.01
3605 - अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग	स्वीकृत: 3605 -Technical and Economic Co-operation with Other Countries	Voted: ...	0.01 (ङe)	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: ...	433.33	433.33

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (आईएफएडी) के अंशदान के लिए विनिमय दर के विचलन के कारण आने वाले अतिरिक्त खर्च (₹ 1.35 करोड़) को पूरा करने के लिए।
अनुदान के इसी भाग में धनराशि बची होने के कारण संकेतिक पूरक की मांग की जा रही है।
- (ख) रणनीतिक रेलवे लाइनों को चालू करने में रेलवे को हुए घाटे की प्रतिपूर्ति के लिए रेलवे को सब्सिडी देने हेतु ₹ 16.90 करोड़ का अतिरिक्त धन प्रदान करना। चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, सांकेतिक पूरक मांगा गया है।
- (ग) अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ में अंशदान करने के लिए ₹ 433.29 करोड़ के अतिरिक्त खर्च को पूरा करने के लिए। इसमें नकद राशि बाहर नहीं भेजी जायेगी क्योंकि इसको प्रतिभूति के रूप में होने वाली प्राप्ति से पूरा किया जायेगा।
- (घ) (i) विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार पर आने वाले ₹ 1.00 करोड़ के अतिरिक्त खर्च को पूरा करने के लिए।
(ii) फाइनैन्सियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) में ₹ 0.07 करोड़ के सदस्यता अंशदान, एड्स, टी.बी. मलेरिया के लिए विश्व कोष में ₹

The supplementary grants are required for:

- (a) meeting additional expenditure (₹ 1.35 crore) for contribution to International Fund for Agricultural Development (IFAD) on account of exchange rate variation.
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) providing additional funds of ₹ 16.90 crore for payment of subsidy to Railways for reimbursement of losses to railways on operating strategic Railway Lines. As savings are available within the same Section of the Grant, a token Supplementary is sought.
- (c) meeting additional expenditure of ₹ 433.29 crore towards contribution to International Development Association. There will be no cash outgo as this would be matched by receipts in the form of securities.
- (d) (i) meeting additional expenditure of ₹ 1.00 crore towards Advertisement and Publicity.
(ii) Membership contribution of ₹ 0.07 crore to Financial Action Task Force (FATF), contribution of ₹ 0.26 crore to

अनुदानों की पूरक मांगें, 2014-2015 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

0.26 करोड़ के लिए अंशदान ग्लोबल एलायन्स फार वैक्सीनेशन एण्ड इम्यूनाइजेशन (जी.ए.वी.आई.) में ₹ 0.22 करोड़ के अंशदान।	the Global Funds for AIDS, TB and Malaria, contribution of ₹ 0.22 crore to the Global Alliance for Vaccination and Immunization (GAVI).
अनुदान के इसी भाग में धनराशि बची रहने के कारण संकेतिक पूरक की मांग की जा रही है।	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ड) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव पर आने वाले ₹ 0.14 करोड़ के अतिरिक्त खर्च और ग्लोबल इन्विरोनमेन्ट फेसिलिटी ट्रस्ट फण्ड के ₹ 4.81 करोड़ का अंशदान करने के लिए।	(e) meeting additional expenditure of ₹ 0.14 crore for Resident Representative of United Nations Development Programme and contribution of ₹ 4.81 crore to Global Environment Facility Trust Fund.
अनुदान के इसी भाग में धनराशि बची रहने के कारण सांकेतिक पूरक की मांग की जा रही है।	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 34

वित्तीय सेवायें विभाग

DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 34 और वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 26 देखिये)
(See page 34 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015 and page 26 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2014-2015)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	8186.09	24650.01	32836.10
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	0.01	145.01	145.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	3559.15	0.01	3559.16
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	11745.25	24795.03	36540.28
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं	स्वीकृत: 2070 -Other Administrative Services	Voted: ...	0.01 (कa)	0.01
2235 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	स्वीकृत: 2235 -Social Security and Welfare	Voted: ...	0.01 (खb)	0.01
2416 - कृषि वित्तीय संस्थान	स्वीकृत: 2416 -Agricultural Financial Institutions	Voted: ...	3476.71 (गc)	3476.71
2885 - उद्योग और खनिजों पर अन्य व्यय	स्वीकृत: 2885 -Other Outlays on Industries and Minerals	Voted: ...	82.41 (घd)	82.41
3465 - सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थान	स्वीकृत: 3465 -General Financial and Trading Institutions	Voted: 0.01 (ङe)	...	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत: Total (Revenue Section)	Voted: 0.01	3559.14	3559.15
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4885 - उद्योगों और खनिजों पर अन्य पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4885 - Other Capital Outlay on Industries and Minerals	Voted: 0.01 (चf)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 0.02	3559.14	3559.16

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) पेंशन विधि नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के लिए सामान्य सहायता अनुदान हेतु ₹ 5.50 करोड़ और वेतन सहायता अनुदान के लिए ₹ 1.50 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान का रखा जाना। चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, सांकेतिक पूरक मांगा गया है।
- (ख) आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई) के तहत छात्रवृत्ति निधि के लिए ₹ 25.00 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान करना। चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, सांकेतिक पूरक मांगा गया है।
- (ग) किसानों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करने के लिए ब्याज सहायता के लिए ₹ 3476.71 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान करना। अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण पर विचार करने के मद्देनजर, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grants are required for:

- (a) making additional provision of ₹ 5.50 crore for Grants-in-aid-General and ₹ 1.50 crore for Grants-in-aid-Salaries for Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA). As savings are available within the same Section of the Grant, a token Supplementary is sought.
- (b) making additional provision of ₹ 25.00 crore towards replenishment of Scholarship Fund under Aam Aadmi Bima Yojana (AABY). As savings are available within the same Section of the Grant, a token Supplementary is sought.
- (c) making additional provision of ₹ 3476.71 crore for interest subvention for providing short term credit to farmers. After taking in to account the surrender of savings available under Capital Section of the Grant, it will not entail additional cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2014-2015 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(घ) दमित आस्ति स्थिरीकरण निधि (एसएसएसएफ) को निर्गमित प्रतिभूतियों के मोचन के लिए ₹ 250.00 करोड़ का व्यय पूरा करना। अनुदान के इसी भाग में ₹ 167.59 करोड़ की उपलब्ध बचत के उपयोग के उपरांत और अनुदान के पूंजी भाग के तहत ₹ 82.41 करोड़ बचत के अभ्यर्पण पर विचार करने पर, इसमें कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा।	(d) meeting expenditure of ₹ 250.00 crore towards redemption of securities issued to Stressed Assets Stabilization Fund (SASF). After utilising the savings of ₹ 167.59 crore available within the same Section of the Grant and taking into account surrender of savings of ₹ 82.41 crore under Capital Section of the Grant, it will not entail additional cash outgo.
(ङ) क्रेडिट गारंटी फंड फोर फैक्ट्रिंग के लिए ₹ 200.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय पूरा करना। चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, सांकेतिक पूरक मांगा गया है।	(e) meeting additional expenditure of ₹ 200.00 crore for Credit Guarantee Fund for Factoring. As savings are available within the same Section of the Grant, a token Supplementary is sought.
(च) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड (आईएफसीआई लिमि.) को सरकारी कंपनी बनाने के लिए हिस्सेदारी खरीदने के लिए ₹ 60.00 करोड़ की निधि प्रदान करना। चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, सांकेतिक पूरक मांगा गया है।	(f) providing funds of ₹ 60.00 crore towards purchasing preference shares of Industrial Finance Corporation of India Limited (IFCI Ltd.) to make it a Government company. As savings are available within the same Section of the Grant, a token Supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 37

सरकारी कर्मचारियों को ऋण, आदि

LOANS TO GOVERNMENT SERVANTS, ETC.

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 37 देखिये)

(See page 37 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	स्वीकृत:	Voted:	...	200.00	200.00
		Supplementary Estimate of the amount now required:			
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत:	Voted:	...	0.01	0.01
		Total (Original plus Supplementary)	...	200.01	200.01
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:			
			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
7610 - सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण	स्वीकृत:	7610 - Loans to Government Servants, etc.	Voted:	...	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

00.204-कंप्यूटरों की खरीद के लिए अग्रिम, 00.00.55-ऋण और अग्रिम के अंतर्गत व्यय पूरा करने के लिए (₹ 5.00 करोड़)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grant is required for:

meeting the expenditure under 00.204-Advances for purchase of Computers, 00.00.55-Loans & Advances (₹ 5.00 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

पेंशन

PENSIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 40 देखिये)

(See page 40 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित:	Charged: 95.00	...	95.00
	स्वीकृत:	Voted: 24683.00	...	24683.00
इस समय आवश्यक रकम का	Supplementary Estimate of the amount			
पूरक अनुमान:	now required:			
	भारित:	Charged: 35.00	...	35.00
	स्वीकृत:	Voted: 687.00	...	687.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	25500.00	...	25500.00
	भारित:	Charged: 130.00	...	130.00
	स्वीकृत:	Voted: 25370.00	...	25370.00

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2071 - पेंशन और अन्य	भारित: 2071 - Pensions and other Retirement	Charged: ...	35.00 (का)	35.00
सेवानिवृत्ति	Benefits			
	स्वीकृत:	Voted: ...	687.00 (खब)	687.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) सेवानिवृत्ति पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों के व्यय के लिए (₹ 0.50 करोड़), उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में राज्यों से वसूली योग्य पेंशनरी प्रभारों के लिए (₹ 30.00 करोड़), उच्च न्यायालय के संघ राज्यों क्षेत्रों के न्यायाधीशों के संबंध में पेंशनरी प्रभारों के लिए (₹ 2.00 करोड़), छुट्टी नकदीकरण (₹ 1.00 करोड़) और परिभाषित योगदान पेंशन स्कीम, (₹ 1.50 करोड़) के व्यय को पूरा करने के लिए।

उपर्युक्त व्यय पर नकद व्यय होगा।

(ख) सेवा-निवृत्ति पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों के व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 398.18 करोड़), नई परिभाषित पेंशन स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारी की मृत्यु/विकलांगता होने पर अतिरिक्त राहत (₹ 0.50 करोड़), परिवार पेंशन (₹ 143.55 करोड़), नई परिभाषित पेंशन स्कीम साधारण परिवार पेंशन के तहत सरकारी कर्मचारी की मृत्यु/विकलांगता होने पर अतिरिक्त राहत (₹ 7.00 करोड़), नई परिभाषित पेंशन स्कीम अधिक साधारण परिवार पेंशन (₹ 2.00 करोड़), छुट्टी नकदीकरण (एआइएस) (₹ 10.00 करोड़) और एसपीएमसीआईएल पेंशन नीधि को देय सरकारी योगदान (₹ 125.77 करोड़)।

उपर्युक्त व्यय पर नकद व्यय होगा।

The supplementary grant/appropriation is required for:

(a) the expenditure of Superannuation Pension and Retirement Benefits (₹ 0.50 crore), pensionary charges in respect of High Court Judges recoverable from States (₹ 30.00 crore), Pensionary charges in respect of High Court Judges of UTs (₹ 2.00 crore), Leave Encashment (₹ 1.00 crore) and Defined contribution pension Scheme (₹ 1.50 crore)

The above expenditure will entail a cash outgo;

(b) expenditure of Superannuation Pension and Retirement benefits (₹ 398.18 crore), Additional Relief on death/disability of Government servant covered by the New Defined Pension Scheme (₹ 0.50 crore), Family Pension (₹ 143.55 crore), Additional Relief on death/disability of Govt. Servant covered by the New Defined Pension Scheme Ordinary Family Pension (₹ 7.00 crore), Additional Relief on death/disability of Government servant covered by the New Defined Pension Scheme Extra Ordinary Family Pension (₹ 2.00 crore), Leave Encashment (AIS) (₹ 10.00 crore) and Government Contribution payable to SPMCIL Pension Fund (₹ 125.77 crore)

The above expenditure will entail a cash outgo;

भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 41 देखिये)

(See page 41 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:	Charged:	101.03	...	101.03
	स्वीकृत:	Voted:	3221.05	15.00	3236.05
इस समय आवश्यक रकम का	Supplementary Estimate of the amount now				
पूरक अनुमान:	required:				
	भारित:	Charged:	5.83	...	5.83
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		3327.91	15.00	3342.91
	भारित:	Charged:	106.86	...	106.86
	स्वीकृत:	Voted:	3221.05	15.00	3236.05

II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2016 - लेखा परीक्षा	भारित: 2016 - Audit	Charged:	...	5.83	5.83

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है !

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
2016 - लेखा परीक्षा	2016 - Audit		...	(-) 4.55	(-) 4.55

यह पूरक विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

अतिरिक्त स्थापना और वेतन संबंधी व्यय को पूरा करना (₹ 5.83 करोड़)। राजस्व स्वीकृत के तहत ₹ 1.28 करोड़ की बचतों के अभ्यर्पण के मद्देनजर और ₹ 4.55 करोड़ की अतिरिक्त वसूलियों को देखते हुए इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary appropriation is required for:

meeting additional establishment and salary related expenditure (₹ 5.83 crore). After taking into account the surrender of savings of ₹ 1.28 crore under Revenue Voted and the additional recoveries amounting to ₹ 4.55 crore, it will not entail cash out go.

मांग संख्या DEMAND NO. 42

राजस्व विभाग

DEPARTMENT OF REVENUE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 42 देखिये)

(See page 42 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

				(करोड़ रुपये Rupees in Crore)	
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:	Charged:	0.02	...	0.02
	स्वीकृत:	Voted:	726.88	106.01	832.89
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	11033.03	...	11033.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		11759.93	106.01	11865.94
	भारित:	Charged:	0.02	...	0.02
	स्वीकृत:	Voted:	11759.91	106.01	11865.92
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:					
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:					
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग मुख्य शीर्ष	REVENUE SECTION MAJOR HEAD				
2047 - अन्य राजकोषीय सेवाएं	स्वीकृत: 2047 -Other Fiscal Services	Voted:	...	0.01 (क)	0.01
2875 - अन्य उद्योग	स्वीकृत: 2875 -Other Industries	Voted:	...	30.05 (ख)	30.05
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत: 3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted:	...	10761.41 (ग)	10761.41
3602 - संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	स्वीकृत: 3602 -Grants-in-aid to Union Territory Governments	Voted:	...	241.56 (घ)	241.56
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted:	...	11033.03	11033.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

(क) प्रवर्तन निदेशालय के स्थापना संबंधी अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 3.48 करोड़)। चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की गई है।	(a) meeting additional establishment related expenditure of Enforcement Directorate (₹ 3.48 crore). As savings are available within the same Section of the Grant, a token Supplementary is sought.
(ख) (i) उत्तर प्रदेश के व्यापार कर विभाग को विक्रय कर संबंधी ब्याज के भुगतान के लिए अतिरिक्त व्यय हेतु (₹ 4.62 करोड़)।	(b) (i) meeting additional expenditure for payment of interest on Purchase Tax to the Trade Tax Department of Uttar Pradesh (₹ 4.62 crore).
(ii) नकद भिन्न मदों अर्थात् पूंजी पर ब्याज (₹ 6.71 करोड़)। और गाजीपुर एल्कलॉयड वर्क्स को अंतरित अफीम की लागत के भुगतान के लिए (₹ 20.47 करोड़)। अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु।	(ii) meeting additional expenditure towards non-cash items viz. Interest on Capital (₹ 6.71 crore) and for payment of cost of opium transferred to Ghazipur Alkaloid Works (₹ 20.47 crore).
(iii) अतिरिक्त प्रशासनिक व्यय पूरा करने के लिए (₹ 2.67 करोड़)।	(iii) meeting additional Administrative Expenses (₹ 2.67 crore).
अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण (₹ 25.32 करोड़) को ध्यान में रखते हुए और अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों (₹ 4.42 करोड़) का उपयोग करने के बाद इसमें ₹ 4.73 करोड़ का नकद खर्च होगा।	After taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant (₹ 25.32 crore) and utilising the savings within the same Section of the Grant (₹ 4.42 crore), this will entail cash outgo of ₹ 4.73 crore.
(ग) राज्य सरकारों को केन्द्रीय बिक्रीकर (सीएसटी) संबंधी क्षतिपूर्ति देने के लिए (₹ 10757.41 करोड़) और वैट संबंधी व्यय (₹ 4.00 करोड़) को पूरा करने के लिए अतिरिक्त निधियां प्रदान करने हेतु। इसमें नकद खर्च होगा।	(c) providing additional funds towards Central Sales Tax (CST) Compensation to the State Governments (₹ 10757.41 crore) and for meeting VAT related expenditure (₹ 4.00 crore). This will entail cash outgo.
(घ) संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को सीएसटी क्षतिपूर्ति देने के संबंध में अतिरिक्त निधियां प्रदान करने हेतु (₹ 241.56 करोड़)। इसमें नकद खर्च होगा।	(d) providing additional funds towards CST Compensation to the Union Territory Administration (₹ 241.56 crore). This will entail cash outgo.

प्रत्यक्ष कर

DIRECT TAXES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 43 देखिये)

(See page 43 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	4342.89	752.00	5094.89	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत:	Voted:	...	0.01	0.01	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	4342.89	752.01	5094.90	
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4059 - लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4059 - Capital Outlay on Public Works	Voted:	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

पठानकोट में कार्यालय की इमारत बनाने के लिए जमीन की खरीद हेतु (₹ 1.74 करोड़), जम्मू के रिहायशी क्वार्टरों के निर्माण हेतु (₹ 2.29 करोड़) और आयकर कार्यालयों के लिए, प्रोवोरियम, गोवा में रिहायशी क्वार्टरों के लिए जमीन खरीदने हेतु (₹ 10.00 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grant is required for:

purchase of land for construction of office building at Pathankot (₹ 1.74 crore), for construction of residential quarters at Jammu (₹ 2.29 crore) and also for purchase of land for residential quarter at Provorim, Goa (₹ 10.00 crore) for Income Tax Offices. As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

अप्रत्यक्ष कर

INDIRECT TAXES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 44 देखिये)

(See page 44 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:	Charged:	0.50	...	0.50
	स्वीकृत:	Voted:	4884.02	271.31	5155.33
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		4884.52	271.32	5155.84
	भारित:	Charged:	0.50	...	0.50
	स्वीकृत:	Voted:	4884.02	271.32	5155.34

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
--	--	--	----------------	------------------------------	---------------

पूंजी भाग

मुख्य शीर्ष

CAPITAL SECTION

MAJOR HEAD

4059 - लोक निर्माण कार्यो पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत:	4059 - Capital Outlay on Public Works	Voted:	...	0.01	0.01
--	----------	---------------------------------------	--------	-----	------	------

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grant is required for:

- क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, राष्ट्रीय सीमा उत्पाद शुल्क, एवं नारकोटिक्स अकादमी चैन्नई के निर्माण के लिए तमिलनाडु आवास बोर्ड (टीएनएचबी), चैन्नई से भूमि खरीद के लिए (₹ 55.00 करोड़)।
- राष्ट्रीय सीमा, उत्पाद शुल्क एवं नारकोटिक्स शुल्क, अकादमी बिल्डिंग और चारदिवारी, हिन्दुपुर, आंध्र प्रदेश में निर्माण के लिए भूमि खरीद के लिए (₹ 11.00 करोड़)।
- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग, चर्चगेट मुम्बई द्वारा अपने स्वामित्व वाली पुरानी बिल्डिंग की एक बार मरम्मत और नवीनीकरण के लिए (₹ 1.00 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

- purchase of land from Tamil Nadu Housing Board (TNHB), Chennai for construction of Regional Training Institute, National Academy of Customs, Excise and Narcotics at Chennai (₹ 55.00 crore).
- acquisition of land for construction of National Academy of Customs, Excise and Narcotics building and boundary wall at Hindupur, Andhra Pradesh (₹ 11.00 crore).
- one time major repairs and renovation of the old building owned by the Central Excise Department at Church Gate, Mumbai (₹ 1.00 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token Supplementary is sought.

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 46 और वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 28 देखिये)
(See page 46 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015 and page 28 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2014-2015)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	785.86	...	785.86
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.02	...	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	785.89	...	785.89
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2408 - खाद्य भंडारण और भाण्डागारण	स्वीकृत: 2408 -Food Storage and Warehousing	Voted: 0.01 (का)	0.01 (खb)	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) गुणवत्ता आश्वासन, कोडेक्स मानकों, अनुसंधान एवं विकास तथा अन्य प्रोत्साहन परक कार्यकलाप स्कीम के अन्तर्गत व्यावसायिक शुल्क का भुगतान (₹ 0.28 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ख) आईआईसीपीटी को अतिरिक्त सामान्य अनुदान सहायता उपलब्ध कराना (₹ 2.01 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grant is required for:

- (a) Payment of professional fees under Scheme for Quality Assurance, Codex Standards, R&D and other Promotional Activities (₹ 0.28 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Providing additional Grants-in-aid General to IICPT (₹ 2.01 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 47 और वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 29 देखिये)

(See page 47 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015 and page 29 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2014-2015)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	36481.30	1964.49	38445.79
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	0.07	0.02	0.09
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.04	0.01	0.05
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	36481.41	1964.52	38445.93
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2210 - चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	स्वीकृत: 2210 -Medical and Public Health	Voted: 0.01 (का)	...	0.01
2211 - परिवार कल्याण	स्वीकृत: 2211 -Family Welfare	Voted: 0.01 (खb)	...	0.01
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted: 0.01 (गc)	...	0.01
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत: 3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted: 0.01 (घd)	...	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत: Total (Revenue Section)	Voted: 0.04	...	0.04
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4210 - चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4210 - Capital Outlay on Medical and Public Health	Voted: 0.01 (डे)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 0.05	...	0.05

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान स्नाकोत्तर संस्थान, चण्डीगढ़ की अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 10.00 करोड़)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

(ख) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम प्रबंधन के सुदृढीकरण के अधीन अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 40.38 करोड़) के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए सहायता अनुदान (₹ 0.43 करोड़)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

(ग) (i) अवसंरचना रखरखाव केन्द्र (₹ 1.43 करोड़), राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम (₹ 2.00 करोड़), वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य देख-रेख (₹ 0.25 करोड़), एससीएसपी के अधीन अवसंरचना रख रखाव (₹

The supplementary grants are required for:

(a) Grants for creation of Capital Assets for meeting additional requirement under Post Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh (₹ 10.00 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) (i) Grant-in-aid general for meeting additional requirements under Strengthening National Programme Management of the NRHM (₹ 40.38 crore) and (ii) Grants-in aid general for meeting additional requirement under Routine Immunisation Programme (GC) (₹ 0.43 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(c) (i) Grant-in-aid general for meeting additional requirements under Infrastructure Maintenance – Sub-Centres (₹ 1.43 crore); National Blindness Control Programme (₹ 2.00

अनुदानों की पूरक मांगें, 2014-2015 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

1.37 करोड़), एससीएसपी के अंतर्गत समेकित रोग निगरानी परियोजन (₹ 0.56 करोड़), टीएसपी के अधीन राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (₹ 0.47 करोड़), टीएसपी के अधीन राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम जीसी (₹ 0.10 करोड़), टीएसपी के अधीन समेकित रोग निगरानी परियोजना (₹ 0.44 करोड़), टीएसपी के अधीन स्वास्थ्य देख-रेख (₹ 0.05 करोड़), टीएसपी के अधीन राष्ट्रीय मुख संबंधी देख-रेख स्वास्थ्य कार्यक्रम (₹ 0.14 करोड़)। के संबंध में अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान।	crore); Health care for Elderly (₹ 0.25 crore); Infrastructure Maintenance under SCSP (₹ 1.37 crore); Integrated Disease Surveillance Project under SCSP (₹ 0.56 crore); National Urban Health Mission under TSP (₹ 0.47 crore); National Leprosy Control Programme – GC under TSP (₹ 0.10 crore); Integrated Disease Surveillance Project under TSP (₹ 0.44 crore); Health care for Elderly under TSP (₹ 0.05 crore); National Oral Health Programme under TSP (₹ 0.14 crore)
(ii) टीएसपी के अधीन वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 0.06 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।	(ii) Grants for creation of capital assets – for meeting additional requirement under the scheme Health care for Elderly under TSP (₹ 0.06 crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(घ) नई चिकित्सीय पुनर्वास योजना के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 8.00 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।	(d) Grants-in-aid General for meeting additional requirement under the scheme – Medical Rehabilitation (₹ 8.00 crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ड) बीजीसी वैक्सीन लेबोरेट्री गिण्डी चैन्नई के लिए लाइयोफिलीज़र मशीन की खरीद के लिए अतिरिक्त लागत को पूरा करने के लिए (₹ 7.17 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।	(e) For meeting additional cost towards procurement of Lyophilizer Machine for BCG Vaccine Laboratory, Guindy, Chennai (₹ 7.17 crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा तथा होम्योपैथी विभाग (आयुष)

DEPARTMENT OF AYURVEDA, YOGA & NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 48 देखिये)

(See page 48 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
-------------------	------------------	---------------

I. मूल अनुदान:

I. ORIGINAL GRANT:

स्वीकृत:	Voted:	1252.05	20.10	1272.15
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.04	...	0.04
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1252.09	20.10	1272.19

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
----------------	------------------------------	---------------

राजस्व भाग

REVENUE SECTION

मुख्य शीर्ष

MAJOR HEAD

2210 - चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	स्वीकृत:	2210 -Medical and Public Health	Voted:	...	0.01 (का)	0.01
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01 (खb)	...	0.01
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत:	3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted:	0.01 (गc)	...	0.01
3602 - संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	स्वीकृत:	3602 -Grants-in-aid to Union Territory Governments	Voted:	0.01 (घd)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.03	0.01	0.04

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

(क) (i) स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान, माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार राज्यों में चुनाव कराने हेतु सीसीआईएम चुनावों के आयोजन हेतु अनुदान (₹ 0.28 करोड़)।	(a) (i) Grants in aid General under the scheme, Grants for conducting CCIM Elections for holding election in the States as directed by Hon'ble Court. (₹ 0.28 crore)
(ii) निम्न स्कीमों के तहत वेतन सहायता अनुदान क) स्कीम के तहत राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर को स्टाफ को वेतन और पेंशनरी लाभों के लिए (₹ 3.24 करोड़) की अतिरिक्त जरूरत पूरी करने के लिए (ख) केन्द्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद स्कीम के तहत वेतन और पेंशनरी लाभों (₹ 17.00 करोड़) की अतिरिक्त जरूरत पूरी करने के लिए (ग) स्कीम के तहत केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद की वेतन और पेंशनरी लाभों (₹ 1.82 करोड़) की अतिरिक्त जरूरत पूरी करने के लिए। (घ) केन्द्रीय यूनानी औषधि परिषद, स्कीम के तहत, की स्टाफ को वेतन और पेंशनरी लाभों (₹ 9.70 करोड़) की अतिरिक्त जरूरत पूरी करने के लिए	(ii) Grants in aid – Salaries under the following schemes:- (a) to meet the additional requirement of ₹ 3.24 crore for salary and pensionary benefits to the staff under the Scheme, National Institute of Ayurveda, Jaipur, (b) To meet the additional requirement of ₹ 17.00 crore for salary and pensionary benefits to the staff under the Scheme, Central Council for Research in Ayurvedic Sciences, (c) To meet the additional requirement of ₹ 1.82 crore for salary and pensionary benefits to the staff under the scheme, Central Council for Research in Homoeopathy and (d) To meet the additional requirement of ₹ 9.70 crore for salary and pensionary benefits to the staff under the scheme, Central Council for Research in Unani Medicine.
अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख) (i) राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) स्कीम के तहत नव निर्मित स्कीम के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजनार्थ सामान्य सहायता अनुदान (₹ 7.50 करोड़)।	(b) (i) Grants-in-aid-General under the scheme, National AYUSH Mission (NAM) for newly re-structured scheme (₹ 7.50 crore).

अनुदानों की पूरक मांगें, 2014-2015 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(ii)	राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) स्कीम के तहत नव निर्मित स्कीम के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजनार्थ सामान्य सहायता अनुदान (₹ 9.18 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।	(ii)	Grants for creation of capital assets under the scheme, National AYUSH Mission (NAM) for newly re-structured scheme (₹ 9.18 crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग)	(i) नव निर्मित स्कीम अर्थात् राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 32.63 करोड़)।	(c)	(i) Grants in aid – General under the newly re-structured scheme viz., National AYUSH Mission (NAM) (₹ 32.63 crore)
(ii)	नव निर्मित स्कीम के तहत राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए सहायता अनुदान (₹ 12.69 करोड़)।	(ii)	Grants for creation of capital assets under the newly re-structured scheme viz., National AYUSH Mission (NAM) (₹ 12.69 crore)
(iii)	नव निर्मित स्कीम अर्थात् राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के तहत एससीएसपी घटक के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1.03 करोड़)।	(iii)	Grants in aid – General under the SCSP Component of the newly re-structured scheme viz., National AYUSH Mission (NAM) (₹ 1.03 crore)
(iv)	नव निर्मित स्कीम अर्थात् राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के तहत एससीएसपी के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 1.03 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।	(iv)	Grants for creation of capital assets under the SCSP component of the newly re-structured scheme viz. National AYUSH Mission (NAM) (₹ 1.03 crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(घ)	(i) नव निर्मित स्कीम अर्थात् राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1.25 करोड़)।	(d)	(i) Grants in aid General under the newly re-structured scheme viz., National AYUSH Mission (NAM) (₹ 1.25 crore)
(ii)	नव निर्मित स्कीम अर्थात् राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 1.21 करोड़)।	(ii)	Grants for creation of capital assets under the newly re-structured scheme viz., National AYUSH Mission (NAM) (₹ 1.21 crore)
अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.	

भारी उद्योग विभाग

DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 51 और वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 37 देखिये)

(See page 51 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015 and page 37 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2014-2015)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 672.56	571.06	1243.62
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	भारित:	Charged: ...	25.08	25.08
	स्वीकृत:	Voted: 409.70	90.02	499.72
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत:	Voted: 57.30	0.01	57.31
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1139.56	686.17	1825.73
	भारित:	Charged: ...	25.08	25.08
	स्वीकृत:	Voted: 1139.56	661.09	1800.65
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted: 57.30 (का)	...	57.30
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
6858 - अभियांत्रिक उद्योगों के लिए ऋण	स्वीकृत: 6858 - Loans for Engineering Industries	Voted: ...	0.01 (खब)	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 57.30	0.01	57.31

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) कचार पेपर मिल (सीपीएम), हिंदुस्तान पेपर कारपोरेशन लि. की एक यूनिट, को सीसीईए के अनुमोदन के अनुसार परिवहन सब्सिडी के रूप में एनईआर हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹ 185 करोड़), अतिरिक्त, आवश्यकताओं को पूरा करना। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध ₹ 127.70 करोड़ की बचत और अनुदान के पूंजी भाग से ₹ 15.92 करोड़ के अभ्यर्पण राशि के मद्देनजर इसमें ₹ 41.38 करोड़ नकद व्यय होगा।
- (ख) सीसीईए के दिनांक 20.02.2014 के अनुमोदन के अनुसार सितम्बर 2012 से मार्च 2013 तक के सांविधिक भुगतान हेतु एचएमटी मशीन टूल्स लि. (₹ 26.34 करोड़) को आयोजना-भिन्न ऋण के रूप में ताकि अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा किया जा सके। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grants are required for:

- (a) meeting the additional requirement to Cachar Paper Mill (CPM) a unit of Hindustan Paper Corporation Limited as Grants-in-aid General for NER (₹ 185 crore) as transport subsidy as per CCEA approval. Savings of ₹ 127.70 crore is available under the same section of the Grant and an amount of ₹ 15.92 crore would be surrendered from Capital Section of the Grant, this would entail net Cash outgo of ₹ 41.38 crore.
- (b) meeting the additional requirement as non-plan loan to HMT Machine Tools Ltd. (₹ 26.34 crore) for payment of statutory dues from September, 2012 to March 2013 as per the approval of CCEA dated 20.02.2014. Taking into account the savings available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

गृह मंत्रालय

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 53 देखिये)

(See page 53 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	1534.44	110.23	1644.67	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1534.45	110.23	1644.68	
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	

राजस्व भाग

REVENUE SECTION

मुख्य शीर्ष

MAJOR HEAD

2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं	स्वीकृत:	2070 -Other Administrative Services	Voted:	...	0.01	0.01
------------------------------	----------	-------------------------------------	--------	-----	------	------

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

राष्ट्रीय मानवधिकार आयोग की अतिरिक्त जरूरत पूरी करने (₹ 2.70 करोड़), व्यावसायिक सेवाएं - अन्य गैर कानूनी कार्यकलाप (रोकथाम) अधिकरण के बकाया दावों के भुगतान हेतु (₹ 0.59 करोड़), लघु निर्माण कार्य-संरक्षणकर्ताओं के आवास पर निर्माण संबंधी सुरक्षा हेतु अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना (₹ 2.00 करोड़)।

The supplementary grant is required for:

Grants in aid-General- For meeting additional requirement for National Human Rights Commission (₹ 2.70 crore), Professional Services- For payment of outstanding claims for Other Unlawful Activities (Prevention) Tribunal for NI(₹ 0.59 crore), Minor Works – For meeting additional requirement for security related works at the residence of Protectees (₹ 2.00 crore)

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मंत्रिमंडल

CABINET

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 54 और वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 39 देखिये)

(See page 54 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015 and page 39 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2014-2015)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 433.52	...	433.52
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 0.01	...	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत:	Voted: 25.01	...	25.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	458.54	...	458.54
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2013 - मंत्री परिषद	स्वीकृत: 2013 -Council of Ministers	Voted: ...	24.47 (का)	24.47
2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं	स्वीकृत: 2070 -Other Administrative Services	Voted: ...	0.54 (खब)	0.54
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: ...	25.01	25.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) मंत्रिमंडल मंत्रियों के विदेश यात्रा व्यय के अन्तर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (₹ 48.96 करोड़), (ii) ऊपरी खर्च की प्रतिपूर्ति के नार्दन रेलवे (सामान्य सहायता अनुदान) के लंबित दावों को निपटाने के लिए (₹ 1.59 करोड़) और (iii) मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा व्यावसायिक सेवाओं के अन्तर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (₹ 0.42 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों के देखते हुए उपर्युक्त व्यय में नकद व्यय होगा (₹ 24.47 करोड़)।

(ख) स्वागत सत्कार पर राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा किए गए व्यय (₹ 0.54 करोड़) को पूरा करना। इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary grants are required for:

(a) (i) meeting additional expenditure under Foreign Travel Expenditure of Cabinet Ministers (₹ 48.96 crore), (ii) clearing pending claims of Northern Railway (Grants-in-aid-general) towards reimbursement of overhead charges (₹ 1.59 crore); and (iii) meeting additional expenditure under Professional Services by Cabinet Secretariat (₹ 0.42 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, the above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 24.47 crore.

(b) For meeting expenditure by President's Secretariat on Hospitality (₹ 0.54 crore). This will entail a cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 55

पुलिस
POLICE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 55 और वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 40 देखिये)
(See page 55 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015 and page 40 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2014-2015)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
भारित:	Charged:	12.84	7.92	20.76
स्वीकृत:	Voted:	50019.52	9863.48	59883.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	0.02	0.02	0.04
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	1011.87	0.01	1011.88
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	51044.25	9871.43	60915.68
भारित:	Charged:	12.84	7.92	20.76
स्वीकृत:	Voted:	51031.41	9863.51	60894.92
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2055 - पुलिस	स्वीकृत: 2055 - Police	Voted: ...	1011.87 (क)	1011.87
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4055 - पुलिस पर पूंजी परियोजना	स्वीकृत: 4055 - Capital Outlay on Police	Voted: ...	0.01 (ख)	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: ...	1011.88	1011.88

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) निम्नलिखित का अतिरिक्त व्यय पूरा करना (i) केंद्रीय सैन्य पुलिस बलों के कार्मिकों को 1.4.2013 से 31.7.2014 की अवधि के बकाया सहित राशन की लागत (₹ 975.45 करोड़); (ii) राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के गौण निर्माण कार्य (₹ 3.00 करोड़); (iii) भारत-बंगलादेश सीमा निर्माण कार्य के गौण निर्माण कार्य (₹ 10.00 करोड़); (iv) भारत-पाक सीमा निर्माण कार्य के गौण कार्य (₹ 10.00 करोड़), (v) दिल्ली पुलिस (₹ 50 करोड़)। चूंकि उपरोक्त व्यय आंशिक रूप से अनुदान के राजस्व भाग में ₹ 36.58 करोड़ को पुनः विनियोग से पूरा किया जाएगा, शेष धनराशि के लिए पूरक मांगा गया है। इसके अलावा, अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध ₹ 1011.87 करोड़ के बराबर बचत अभ्यर्पित की जाएगी, इससे कोई नकद व्यय नहीं होगा।

(ख) निम्नलिखित का व्यय पूरा करने के लिए (i) विशेष सुरक्षा समूह के रिहाइश आवास निर्माण (₹ 1.95 करोड़); (ii) अनुसंधान (₹ 276 करोड़) तथा असम राइफल्स (₹ 20 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा गया है।

The supplementary grants are required for:

(a) meeting additional expenditure towards (i) Cost of Ration (975.45) including arrears for the period 1.4.2013 to 31.7.2014 to personnel of Central Armed Police Forces; (ii) Minor Works of National Police Academy (₹ 3 crore); (iii) Minor Works of Indo Bangladesh Border Works (₹ 10 crore); (iv) Minor Works of Indo Pak Border Works (₹ 10 crore); (v) Delhi Police (₹ 50 crore) As the above expenditure will be partly met by re-appropriation of ₹ 36.58 crore in the Revenue Section of the Grant, supplementary is sought for the balance amount. Further matching savings of ₹ 1011.87 crore available in the Capital Section of grant will be surrendered, this will not entail cash outgo.

(b) meeting additional expenditure towards (i) Residential Building of Special Protection Group (₹ 1.95 crore); (ii) Research (₹ 276 crore) and (iii) Assam Rifles (₹ 20 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

गृह मंत्रालय के अन्य व्यय

OTHER EXPENDITURE OF THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 56 देखिये)

(See page 56 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:	Charged:	0.03	...	0.03
	स्वीकृत:	Voted:	2230.26	259.54	2489.80
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		2230.30	259.54	2489.84
	भारित:	Charged:	0.03	...	0.03
	स्वीकृत:	Voted:	2230.27	259.54	2489.81
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं	स्वीकृत: 2070 -Other Administrative Services	Voted:	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

संघ राज्य क्षेत्रों के नवगठित वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को वेतन भुगतान हेतु मंजूर भारतीय आकस्मिकता निधि से अग्रिम प्राप्ति (रिकूपमेंट)(₹ 0.09 करोड़)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grant is required for:

Recoupment of Contingency Fund of India advance sanctioned for payment of salaries to Chairperson and other Members of newly appointed Finance Commission of UTs (₹ 0.09 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 58 और वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 41 देखिये)

(See page 58 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015 and page 41 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2014-2015)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	6008.62	...	6008.62
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	0.03	...	0.03
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.03	...	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	6008.68	...	6008.68
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2216 - आवास	स्वीकृत: 2216 -Housing	Voted: 0.01 (का)	0.01 (खb)	0.02
2217 - शहरी विकास	स्वीकृत: 2217 -Urban Development	Voted: 0.01 (गc)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 0.02	0.01	0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) "सभी के लिए घर-नए मिशन" के लिए प्रावधान में बढ़ोतरी (₹ 9.99 करोड़)। अन्य प्रशासनिक व्यय- ₹ 0.49 करोड़, विज्ञापन एवं प्रचार- ₹ 1.00 करोड़, तथा सामान्य सहायता अनुदान- ₹ 8.50 करोड़)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

- (ख) जून 1997 में जबलपुर में भूकंप प्रभावित क्षेत्रों के पीड़ित व्यक्तियों को उपलब्ध कराई गई सहायता के कारण ब्याज सब्सिडी बकाया के रूप में आवास तथा शहरी विकास कारपोरेशन को भुगतान करना (₹ 4.98 करोड़)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

- (ग) (i) जवाहर लाल नेहरू नेशनल अर्बन रेन्युअल मिशन (व्यावसायिक सेवाएं- ₹ 11.58 करोड़, सामान्य सहायता अनुदान- ₹ 17.98 करोड़) तथा (ii) राजीव आवास योजना (व्यावसायिक सेवाएं- ₹ 6.00 करोड़) के अन्तर्गत वृद्धि प्रावधान (₹ 35.56 करोड़)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grants are required for:

- (a) augmenting provision (₹ 9.99 crore) for "New Mission for Housing for All" (Other Administrative Expenses - ₹ 0.49 crore, Advertisement and Publicity - ₹ 1.00 crore and Grants in aid General - ₹ 8.50 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (b) making payment to Housing and Urban Development Corporation as Interest Subsidy arrear on account of relief provided to the victims of earthquake affected areas at Jabalpur in June 1997 (₹ 4.98 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (c) augmenting provisions (₹ 35.56 crore) under (i) Jawahar Lal Nehru National Urban Renewal Mission (Professional Services - ₹ 11.58 crore, Grants-in-aid-General - ₹ 17.98 crore) and (ii) Rajiv Awas Yojana (Professional Services - ₹ 6.00 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग

DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION AND LITERACY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 59 और वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 42 देखिये)
(See page 59 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015 and page 42 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2014-2015)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	82695.10	...	82695.10
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	0.02	...	0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.02	...	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	82695.14	...	82695.14

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2202 - सामान्य शिक्षा	स्वीकृत: 2202 -General Education	Voted: 0.01 (का)	0.01 (खb)	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grant is required for:

- | | |
|---|--|
| <p>(क) (i) सुलभता और साम्यता-न्यायालय के आदेश के अनुसार सोसायटियों को भुगतान करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1.42 करोड़)</p> <p>(ii) मदरसों/अल्पसंख्यकों को शिक्षा प्रदान करने की लिए स्कीम- (एसपीक्यूईएम) वकीलों को भुगतान हेतु अन्य प्रभार और यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता आदि (₹ 0.30 करोड़)।
अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।</p> <p>(ख) केंद्रीय विद्यालय संगठन के नए भर्ती शिक्षकों की अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु (₹ 63.35 करोड़)।
अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।</p> | <p>(a) (i) Grants-in-aid General under Access & Equity, to make the payment to societies as per Court's decree (₹ 1.42 crore).</p> <p>(ii) Other Charges to make payment to advocates and TA/DA etc under the scheme of Education to Madrassas / Minorities (SPQEM) – (₹ 0.30 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p> <p>(b) Meeting additional requirement of newly recruited teachers of Kendriya Vidyalaya Sangathan (₹ 63.35 crores)
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p> |
|---|--|

उच्चतर शिक्षा विभाग

DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 60 और वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 43 देखिये)

(See page 60 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015 and page 43 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2014-2015)

				(करोड़ रुपये Rupees in Crore)	
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:	Voted: 27656.00	...	27656.00	
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:	Voted: 0.03	...	0.03	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted: 0.05	...	0.05	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	27656.08	...	27656.08	
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:					
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:					
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2202 - सामान्य शिक्षा	स्वीकृत: 2202 -General Education	Voted: 0.01 (का)	0.01 (खb)	0.02	
2203 - तकनीकी शिक्षा	स्वीकृत: 2203 -Technical Education	Voted: 0.01 (गc)	0.01 (घd)	0.02	
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted: 0.01 (ङe)	...	0.01	
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 0.03	0.02	0.05	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) पुस्तकों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय बुक ट्रस्ट/ संस्थानों की अनुदान स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 9.00 करोड़) और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की अनुदान स्कीम के तहत पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 175.00 करोड़) ।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों के देखते हुए, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

(ख) पेंशन और पेंशन लाभों के भुगतान को सामान्य सहायता अनुदान (i) केन्द्रीय विश्वविद्यालय को अनुदान (₹ 168.36 करोड़) और (ii) मानवीय और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पहल (₹ 1.17 करोड़) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्कीम के तहत वेतन सहायता अनुदान के अतिरिक्त जरूरत को पूरा करने के लिए (₹ 40.59 करोड़) ।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों के देखते हुए, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

(ग) (i) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 90.00 करोड़), (ii) प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, बाम्बे, कोलकाता, कानपुर, चैन्नई और कोलकाता, स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.52 करोड़), (iii) भारतीय विज्ञान शिक्षा संस्थान (आईआईएससी) और भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान शिक्षा संस्थानों (आईआईएसआईआर) स्कीम के तहत, वेतन सहायता अनुदान (₹ 18.00 करोड़), (iv) भारतीय प्रबंधन संस्थानों के तहत वेतन सहायता अनुदान (₹ 20.00 करोड़), (v) राष्ट्रीय तकनीकी संस्थानों (एनआईटी) की स्कीम के

The supplementary grants are required for:

(a) Grants-in-aid-General under the scheme of Grants of National Book Trust /Institutions for Book Promotion (₹ 9.00 crore) and Grants for creation of capital assets under the scheme of Grants to Central Universities (₹ 175.00 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) Grants-in-aid-General for the payment of pension and pensionary benefits for (i) Grants to Central Universities (₹ 168.36 crore) & (ii) National Initiative for Excellence in humanities and social sciences (₹ 1.17 crore) and Grants-in-aid-Salaries for meeting additional requirement under the scheme of University Grants Commission (₹ 40.59 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(c) (i) Grants-in-aid-General under the scheme of All India Council for Technical Education (₹ 90.00 crore), (ii) Grants-in-aid-General under the scheme of Board of Apprenticeship Training, Bombay, Calcutta, Kanpur and Chennai, Kolkata (₹ 0.52 crore), (iii) Grants-in-aid-Salaries under the scheme support to Indian Institute of Science (IISc) and Indian Institute (s) of Science Education & Research (IISER) Education (₹ 18.00 crore), (iv) Grants-in-aid-Salaries under the Indian Institutes of

अनुदानों की पूरक मांगें, 2014-2015 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

तहत पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 100.00 करोड़), (vi) प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, बाम्बे, कोलकाता, कानपुर, चैन्नई और कोलकाता, स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान ((₹ 0.20 करोड़) और (vii) सीमांत प्रशिक्षण और अनुसंधान स्कीम के तहत पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 17.58 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के तहत, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

- (घ) 'भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी)' स्कीम के तहत पेंशन और पेंशनरी लाभों के भुगतान की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान हेतु (₹ 53.83 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के तहत, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

- (ङ) (i) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान स्कीम के तहत पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 100.00 करोड़)। (ii) एसएलआईआईटी, एनईआरआईएसटी, एनआईएफएफटी रांची, सीआईटी कोकराझार जैसे संस्थानों को सहायता स्कीम के तहत पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु (₹ 20.00 करोड़) (iii) भारतीय प्रबंधन संस्थान स्कीम के तहत पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु (₹ 10.00 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के तहत, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

Management (₹ 20.00 crore), (v) Grants for creation of capital assets under the scheme of National Institutes of Technology (NITs) (₹ 100.00 crore), (vi) Grants for creation of capital assets under the scheme of Board of Apprenticeship Training, Bombay, Calcutta, Kanpur and Chennai, Kolkata (₹ 0.20 crore) and (vii) Grants for creation of capital assets under the scheme of Training & Research in Frontier Areas (₹ 17.58 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (d) Grants-in-aid-General for the payment of pension and pensionary benefits under the scheme of 'Indian Institutes of Technology (IITs)' (₹ 53.83 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (e) (i) Grants for creation of capital assets under the scheme of Grants to Central Universities (₹ 100.00 crore), (ii) Grants for creation of capital assets under the scheme of Assistance to other institutes including SLIET, NERIST, NIFFT Ranchi, CIT Kokrajhar (₹ 20.00 crore) and (iii) Grants for creation of capital assets under the scheme of Indian Institutes of management (₹ 10.00 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 61

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 61 देखिये)

(See page 61 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	3287.15	28.85	3316.00	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत:	Voted:	0.03	3.21	3.24	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	3287.18	32.06	3319.24	
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2251 - सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	स्वीकृत: 2251 -Secretariat-Social Services	Voted: 0.01 (का)	...	0.01	
2220 - सूचना और प्रचार	स्वीकृत: 2220 -Information and Publicity	Voted: ...	0.01 (खb)	0.01	
2221 - प्रसारण	स्वीकृत: 2221 -Broadcasting	Voted: ...	0.01 (गc)	0.01	
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत: Total (Revenue Section)	Voted: 0.01	0.02	0.03	
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4220 - सूचना और प्रचार पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4220 - Capital Outlay on Information and Publicity	Voted: 3.21 (घd)	...	3.21	
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 3.22	0.02	3.24	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

- | | |
|---|--|
| <p>(क) 'विदेश और भारत में फिल्म बाजारों और फिल्म उत्सव' के जरिए भारतीय सिनेमा का प्रोत्साहन योजना स्कीम के तहत 'राष्ट्रीय/ अन्तराष्ट्रीय चिल्ड्रन फेस्टीवल' के लिए अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 1.50 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।</p> <p>(ख) चिल्ड्रन फिल्म सोसाएटी ऑफ इंडिया को वेतनों के अतिरिक्त सहायक अनुदानों के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 1.85 करोड़), चिल्ड्रन फिल्म सोसाएटी ऑफ इंडिया (₹ 0.04 करोड़), सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट (₹ 0.83 करोड़)। भारतीय जनसंचार संस्थान (₹ 0.80 करोड़) और भारतीय प्रेस परिषद (₹ 0.18 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।</p> <p>(ग) प्रसार भारती को अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने (₹ 1.98 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹ 110 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 111.98 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।</p> <p>(घ) श्री फोर्ट काम्पलेक्स (₹ 0.40 करोड़) का उन्नयन के लिए अतिरिक्त व्यय (₹ 5.70 करोड़), फिल्मों के प्रभाग की अवसंरचना के निर्माण हेतु (₹ 0.50 करोड़) और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया निगरानी केन्द्र (₹ 4.80 करोड़)। इसी भाग में उपलब्ध (₹ 2.49 करोड़ की बचत को देखते हुए, (₹ 3.21 करोड़ की शेष राशि का तकनीकी पूरक प्रार्थित है क्योंकि अनुदान के राजस्व भाग में समान मात्रा में बचतें उपलब्ध हैं।</p> | <p>(a) meeting additional expenditure of ₹ 1.50 crore towards providing additional Grants-in-aid -General for 'National/International Children's Film Festival' under the plan scheme 'Promotion of Indian Cinema through Film Festival and Film Markets in India and abroad'. As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.</p> <p>(b) meeting additional expenditure of ₹ 1.85 crore towards providing additional Grants-in-aid -Salaries to Children's Film Society of India (₹ 0.04 crore), Satyajit Ray Film and Television Institute (₹ 0.83 crore), Indian Institute of Mass Communication (₹ 0.80 crore) and Press Council of India (₹ 0.18 crore). As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.</p> <p>(c) meeting additional expenditure of ₹ 111.98 crore towards providing additional Grants-in-aid -General (₹ 1.98 crore) and Grants-in-aid-Salaries (₹ 110 crore) to Prasar Bharati. As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.</p> <p>(d) meeting additional expenditure of ₹ 5.70 crore for upgradation of Siri Fort Complex (₹ 0.40 crore), building infrastructure of Films Division (₹ 0.50 crore) and Electronic Media Monitoring Centre (₹ 4.80 crore). Taking into account the savings of ₹ 2.49 crore available in the same section, a technical supplementary for the balance amount of ₹ 3.21 crore is sought as equivalent savings are available in the revenue section of the grant.</p> |
|---|--|

श्रम और रोजगार मंत्रालय

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 62 और वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 44 देखिये)

(See page 62 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015 and page 44 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2014-2015)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	5783.78	19.53	5803.31
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	0.03	...	0.03
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	5783.82	19.53	5803.35
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3602 - संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	स्वीकृत: 3602 -Grants-in-aid to Union Territory Governments	Voted: 0.01	...	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

कौशल विकास मिशन स्कीम के अन्तर्गत लंबित बिलों के भुगतान हेतु संघ राज्य क्षेत्र सरकार को निधियां जारी करना। अनुसूचित जातियों (एससीएसपी) तथा आदिवासी क्षेत्र उपयोजना (टीएसपी) घटकों हेतु सामान्य विशेष घटक योजना (₹ 18.00 करोड़) के लिए सामान्य अनुदान सहायता।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grant is required for:

release of funds to UT Government towards payment of pending bills under the Scheme of Skill Development Mission, Grants-in-aid General (General Special Component Plan for Scheduled Castes (SCSP) and Tribal Area Sub Plan (TSP) components (₹ 18.00 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

निर्वाचन आयोग

ELECTION COMMISSION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 63 देखिये)

(See page 63 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूँजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	68.00	1.00	69.00	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत:	Voted:	1.00	...	1.00	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	69.00	1.00	70.00	
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2015 - चुनाव	स्वीकृत: 2015 -Elections	Voted:	...	1.00	1.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

वेतन संबंधी अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (₹ 1.00 करोड़)।

उपर्युक्त में नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for:

Meeting additional expenditure on Salaries (₹ 1.00 crore)

The above expenditure will entail a cash outgo;

भारत का उच्चतम न्यायालय

SUPREME COURT OF INDIA

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 65 देखिये)

(See page 65 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. विनियोग:	I. ORIGINAL APPROPRIATION:			
भारित:	Charged:	134.36	...	134.36
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
भारित:	Charged:	15.64	...	15.64
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	150.00	...	150.00
II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2014 - न्याय प्रशासन	भारित: 2014 - Administration of Justice	Charged: ...	15.64	15.64

यह पूरक विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

न्यायाधीशों तथा कर्मिकों के वेतन, चिकित्सा उपचार तथा घरेलू यात्रा व्यय तथा कार्यालय व्यय (₹ 15.64 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।

उपर्युक्त, व्यय में कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary appropriation is required for:

meeting additional expenditure on Salaries, Medical Treatment and Domestic Travel Expenses to the Hon'ble Judges and the Officials and also required in Office Expenses (₹ 15.64 crore)

The above expenditure will entail a cash outgo;

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 66 और वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 46 देखिये)
(See page 66 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015 and page 46 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2014-2015)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:	Voted:	3693.48	8.80	3702.28
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	0.02	...	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		3693.51	8.80	3702.31
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01 (क)	...	0.01
2851 - ग्रामीण एवं लघु उद्योग	स्वीकृत: 2851 -Village and Small Industries	Voted:	0.01 (ख)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted:	0.02	...	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) एनईआर के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु लंबित प्रस्तावों के भुगतान हेतु अनुदान के रूप में अवसंरचना विकास व क्षमता निर्माण(₹ 2.00 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु। चूंकि अनुदान के उसी मांग में बचत उपलब्ध है अतः सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

(ख) खादी अनुदान (₹ 90 करोड़) (₹ 10.80 करोड़ एससीएसपी के लिए तथा ₹ 7.39 करोड़ टीएसपी के लिए, शामिल है) के सामान्य सहायता अनुदान की अतिरिक्त जरूरत को पूरा करना ताकि एमडीए खादी तथा 2012-13, 2013-14 तथा 2014-15, की अपूर्ण देयता को पूरा किया जा सके और एनएसआईसी द्वारा रेटिंग यूनिट हेतु परफॉर्मेंस एण्ड क्रेडिट रेटिंग स्कीम (₹ 20 करोड़) प्रमोशनल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन्स एंड प्रोग्रैम (₹ 0.50 करोड़) तथा अवसंरचना विकास एवं क्षमता निर्माण(₹ 20.88 करोड़) (एससीएसपी के लिए ₹ 12.63 करोड़ तथा टीएसपी के लिए ₹ 8.25 करोड़) के लंबित प्रस्तावों के निपटान हेतु। चूंकि अनुदान के उसी मांग में बचत उपलब्ध है अतः सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grants are required for:

(a) meeting the additional requirement for Infrastructure Development & Capacity Building (₹ 2.00 crore) as Grants for Creation of Capital Assets for NER towards payment of pending proposals. As savings are available within the same section of the grant, a token supplementary is sought.

(b) meeting the additional requirement as Grants-in-aid General for Khadi Grant (₹ 90 crore)(including ₹ 10.80 crore for SCSP and ₹ 7.39 crore for TSP)towards payment of eligible amount of MDA-Khadi and unmet liability of 2012-13, 2013-14 and 2014-15, Performance & Credit Rating Scheme (₹ 20 crore)towards rating of units by NSIC, Promotional Services Institutions & Programme (₹ 0.50 crore) and Infrastructure Development and Capacity Building (₹ 20.88 crore) (including ₹ 12.63 cr. for SCSP and ₹ 8.25 cr. for TSP) for clearing the pending proposals. As savings are available within the same section of the grant, a token supplementary is sought.

खान मंत्रालय

MINISTRY OF MINES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 67 देखिये)

(See page 67 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:	Charged:	0.05	...	0.05
	स्वीकृत:	Voted:	1010.99	93.22	1104.21
इस समय आवश्यक रकम का	Supplementary Estimate of the amount				
पूरक अनुमान:	now required:				
	भारित:	Charged:	0.08	...	0.08
	स्वीकृत:	Voted:	0.02	...	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		1011.14	93.22	1104.36
	भारित:	Charged:	0.13	...	0.13
	स्वीकृत:	Voted:	1011.01	93.22	1104.23

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

			आयोजना Plan		आयोजना- भिन्न Non-Plan		जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2853 - अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	भारित:	2853 - Non-Ferrous Mining and Metallurgical Industries	Charged:	...	0.08	(का)	0.08
	स्वीकृत:		Voted:	0.01 (खb)	0.01	(गc)	0.02

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grant/appropriation is required for:

- | | |
|---|---|
| <p>(क) न्यायालय के आदेश के अनुसार, प्रतिपूर्ति के लिए भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) के तहत अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 0.08 करोड़)। अनुदान के स्वीकृत भाग में उपलब्ध समान राशि की बचत के अभ्यर्पण पर विचार करते हुए तकनीकी पूरक मांगा गया है। उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद खर्च नहीं होगा।</p> <p>(ख) खनिज अन्वेषण निगम लिमि. के प्रोन्नति कार्य के लिए सामान्य सहायता अनुदान के तहत अतिरिक्त जरूरत के तहत अतिरिक्त जरूरत पूरी करने के लिए (₹ 1 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है। उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।</p> <p>(ग) राष्ट्रीय चट्टान यांत्रिकी संस्थान (₹ 4.32 करोड़), जेएनएआरडीडीसी (₹ 2.05 करोड़) को वेतन सहायता अनुदान के तौर पर अतिरिक्त आवश्यकता और आन्ध्र प्रदेश सरकार को सुरक्षा सेवा संविदा बिलों, खनिज देयों के संबंध में भारत स्वर्ण खनन लिमिटेड, बंगलूर को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 2.86 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है। उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।</p> | <p>(a) The additional requirement under Geological Survey of India (₹ 0.08 crore) towards compensation as per the Court Order. Taking into account the surrender of savings of the equivalent amount available in the voted section of the Grant, a technical supplementary is sought. The above expenditure will not entail any additional cash outgo.</p> <p>(b) For Meeting additional requirement under Grants-in-aid General (₹ 1 crore) towards Promotional work for Mineral Exploration Corporation Ltd. Taking into account the savings in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought. The above expenditure will not entail any additional cash outgo.</p> <p>(c) Additional requirement as Grants-in-aid Salaries to the National Institute of Rock Mechanics (₹ 4.32 crore), Jawaharlal Nehru Aluminum Research Development and Design Centre (JNARDDC) (₹ 2.05 crore) and the Grants-in-aid General to the Bharat Gold Mines Limited, Bangalore (₹ 2.86 crore) towards expenditure relating to security services contract bills, lease payment dues to Andhra Pradesh Government. Taking into account the savings in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought. The above expenditure will not entail any additional cash outgo.</p> |
|---|---|

अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 68 और वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 47 देखिये)
(See page 68 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015 and page 47 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2014-2015)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:	Voted:	3614.01	120.00	3734.01
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:	Voted:	0.04	...	0.04
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		3614.06	120.00	3734.06
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2225 - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	2225 -Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities	Voted:	0.01	...	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- इस वर्ष 'छात्रवृत्ति' के अंतर्गत योग्यता-सह साधन छात्रवृत्तियों की संख्या में वृद्धि होने के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 50.00 करोड़)।
- सामान्य सहायता अनुदान (₹ 4.04 करोड़), व्यावसायिक सेवाएं (₹ 0.01 करोड़) और अल्पसंख्यक समुदायों की समृद्ध विरासत के संरक्षण के लिए 'हमारी धरोहर' योजना के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए अनुदान (₹ 0.45 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grant is required for:

- meeting the additional expenditure towards increase in number of scholarships under the scheme of Merit-cum-Means Scholarship during this year under 'Scholarship' (₹ 50.00 crore).
- Grants-in-Aid General (₹ 4.04 crore), Professional Services (₹ 0.01 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 0.45 crore) under 'Hamari Dharohar' Scheme to preserve rich heritage of minority communities. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 73

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 73 और वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 52 देखिये)

(See page 73 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015 and page 52 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2014-2015)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
भारित:	Charged:	2.50	3.00	5.50
स्वीकृत:	Voted:	941.99	122.92	1064.91
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	4.74	...	4.74
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	949.24	125.92	1075.16
भारित:	Charged:	2.50	3.00	5.50
स्वीकृत:	Voted:	946.74	122.92	1069.66

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

					जोड़ Total
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan		
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2051 - लोक सेवा आयोग	स्वीकृत: 2051 -Public Service Commission	Voted: ...	2.74 (का)		2.74
2055 - पुलिस	स्वीकृत: 2055 -Police	Voted: ...	2.00 (खb)		2.00
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: ...	4.74		4.74

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

- | | |
|--|--|
| <p>(क) कर्मचारी चयन आयोग को व्यावसायिक सवाओं का भुगतान हेतु (₹ 18.50 करोड़)। चूंकि अनुदान के इसी भाग में ₹ 15.76 करोड़ की बचत उपलब्ध है और संतुलित राशि के लिए, तकनीकी की पूरक मांग की गई है। यह अनुदान के पूंजी भाग में समतुल्य बचत से समान किया जाएगा। उपर्युक्त व्यय में अतिरिक्त नकद प्रवाह नहीं होगा।</p> <p>(ख) सीबीआई/शाखाओं कार्यालयों के व्यापक आधुनिकीकरण (₹ 2.00 करोड़)। पूंजी भाग में समान बचत अभ्यर्पित होगी। उपर्युक्त व्यय में अतिरिक्त नकद प्रवाह नहीं होगा।</p> | <p>(a) Payment for professional services of Staff Selection Commission (₹ 18.50 crore). As savings to the extent of ₹ 15.76 crore are available within the same section of the Grant a technical supplementary is sought for the balance amount. This will be matched by equivalent savings in the Capital Section of the grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.</p> <p>(b) Comprehensive Modernization of CBI branches/offices (₹ 2.00 crore). Further matching savings in the Capital Section will be surrendered, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.</p> |
|--|--|

संख्या NO. 74 (विनियोग)(APPROPRIATION)

केंद्रीय सतर्कता आयोग

CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 74 देखिये)

(See page 74 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूँजी Capital	जोड़ Total
I. विनियोग:	I. ORIGINAL APPROPRIATION:				
भारित:	Charged:	20.35	...	20.35	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
भारित:	Charged:	1.00	...	1.00	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	21.35	...	21.35	
	II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2062 - सतर्कता	भारित: 2062 - Vigilance	Charged:	...	1.00	1.00

यह पूरक विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(i) चिकित्सा व्यय हेतु अतिरिक्त मांग को पूरा करना (₹ 0.25 करोड़) (ii) अधिवक्ताओं, परामर्श दाताओं तथा डाटा एन्ट्री आपरेटरों के लंबित बिलों का निपटान करने के लिए अपेक्षित व्यावसायिक सेवाओं हेतु अतिरिक्त मांग को पूरा करना (₹ 0.25 करोड़) (iii) कार्यालय व्यय के लिए अतिरिक्त मांग को पूरा करना (₹ 0.50 करोड़)।

उपर्युक्त में नकद व्यय होगा।

The supplementary appropriation is required for:

(i) meeting additional demand for medical expenditure (₹ 0.25 crore) (ii) meeting additional demand for professional services required to meet the pending bills for advocates, consultants, and for Data Entry Operators (₹ 0.25 crore). (iii) meeting additional demand for Office Expenses (₹ 0.50 crore)

The above expenditure will entail a cash outgo;

मांग संख्या DEMAND NO. 75

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 75 और वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 53 देखिये)
(See page 75 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015 and page 53 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2014-2015)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:	Voted:	63542.00	1.00	63543.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	0.01	2399.00	2399.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		63542.02	2400.00	65942.02
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2802 - पेट्रोलियम	स्वीकृत: 2802 -Petroleum	Voted:	...	0.01 (का)	0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4802 - पेट्रोलियम पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4802 - Capital Outlay on Petroleum	Voted:	2399.00 (खब)	...	2399.00
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted:	2399.00	0.01	2399.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) पूर्वोक्त क्षेत्र प्राकृतिक गैस की आपूर्ति हेतु तेल कंपनियों को सब्सिडी उपलब्ध कराना (₹ 24 करोड़)।
अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ख) रणनीतिक तेल भण्डार हेतु इण्डियन स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व लि. (आईएसपीआरएल) को भुगतान हेतु अतिरिक्त निधियों उपलब्ध कराना। (₹ 2399.00 करोड़)
अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए उपर्युक्त में कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grants are required for:

- (a) providing subsidy to Oil Companies for supply of natural gas to North East region (₹ 24 crore).
Taking into account the savings available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) providing additional funds for payment to Indian Strategic Petroleum Reserve Limited (ISPR) for Strategic Oil Reserve (₹ 2399.00 crore).
Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

योजना मंत्रालय

MINISTRY OF PLANNING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 76 और वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 54 देखिये)
(See page 76 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015 and page 54 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2014-2015)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	1828.36	778.50	2606.86
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	...	7.99	7.99
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.02	...	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1828.38	786.49	2614.87
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3475 - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	स्वीकृत: 3475 -Other General Economic Services	Voted: 0.01 (का)	0.01 (खb)	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) "असमानता को दूर करने के लिए मानव विकास हेतु यूएनडीपी सहायता" स्कीम में अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹ 2.42 करोड़)।
- (ii) विकेन्द्रीकृत आयोजना हेतु यूएनडीपी समर्थित परियोजना सुदृढीकरण क्षमताओं में अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.43 करोड़)।
- अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ख) नेशनल लेबर इकोनॉमिक्स एण्ड स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट (पहले आईएएमआर) में अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने हेतु सहायता अनुदान - वेतन (₹ 2.00 करोड़)।
- अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grant is required for:

- (a) (i) Grants-in-aid General to meet the additional requirement in the scheme "UNDP Assistance for Human Development towards bridging inequalities" (₹ 2.42 crore)
- (ii) Grants-in-aid General to meet the additional requirement in UNDP assisted Project-Strengthening Capacities for decentralized Planning (₹ 0.43 crore)
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Grants-in-aid - Salaries to meet the additional requirement in National Labour Economics and Skill Development Institute (formerly IAMR) (₹ 2.00 crore)
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

विद्युत मंत्रालय

MINISTRY OF POWER

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 77 और वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 55 देखिये)

(See page 77 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015 and page 55 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2014-2015)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	7738.30	2986.50	10724.80
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	398.01	...	398.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	91.85	0.01	91.86
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	8228.16	2986.51	11214.67
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2801 - विद्युत	स्वीकृत: 2801 -Power	Voted: ...	91.85 (का)	91.85
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
6801 - विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण	स्वीकृत: 6801 - Loans for Power Projects	Voted: 0.01 (खb)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 0.01	91.85	91.86

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) लोन के इक्विटी में अंतरण के कारण टिहरी हाइड्रो विकास कार्पोरेशन (टीएचडीसी) द्वारा चुकाए गए अतिरिक्त ब्याज से बकाया के व्यवस्थापन के लिए आवश्यक लेखांकन समायोजन करना (₹ 91.85 करोड़)।

इसे प्राप्ति से पूरा किया जाएगा, अतः इसमें नकद व्यय नहीं होगा।

(ख) अनुदान के समान भाग में प्रतिकूल शेष को निष्प्रभावी करने के लिए सलाल हाइड्रो चरण-I परियोजना के संबंध में राष्ट्रीय हाइड्रो इलेक्ट्रिक विद्युत कार्पोरेशन (एनएचपीसी) को ऋण के पूंजीगत व्यय के अंतरण के कारण विगत अवधि का लेखांकन समायोजन (पीपीए) करना (₹ 310.60 करोड़), जिससे नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grants are required for:

(a) carrying out necessary accounting adjustment for settlement of outstanding loan against excess interest paid by Tehri Hydro Development Corporation (THDC) due to conversion of loan into equity (₹ 91.85 crore).

This will be matched by receipts, hence, it will not entail cash outgo.

(b) carrying out past period accounting adjustment (PPA) on account of conversion of Capital Expenditure into loan to National Hydro-electric Power Corporation (NHPC) in respect of Salal Hydro Stage-I Project (₹ 310.60 crore) in order to neutralize the adverse balances in same Section of the Grant, which will not entail any cash outgo.

संख्या NO. 78 (विनियोग)(APPROPRIATION)

राष्ट्रपति के कर्मचारीवृंद, आवास और भत्ते

STAFF, HOUSEHOLD AND ALLOWANCES OF THE PRESIDENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 78 देखिये)

(See page 78 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. विनियोग:	I. ORIGINAL APPROPRIATION:				
	भारित:	Charged:	38.25	...	38.25
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	भारित:	Charged:	3.75	...	3.75
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		42.00	...	42.00
	II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:				
			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2012 - राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति/राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	भारित: 2012 - President, Vice President/Governor, Administrator of Union Territories	Charged:	...	3.75	3.75

यह पूरक विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

स्थापना संबंधी अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए नामतः (i) वेतन (₹ 0.04 करोड़), (ii) चिकित्सा उपचार (₹ 0.13 करोड़) (iii) हाउस होल्ड वेतन (₹ 0.36 करोड़), (iv) कार्यालय व्यय ₹ 1.25 करोड़, (v) समारोह संबंधी व्यय (₹ 0.23 करोड़), (vi) मोटर कारों आदि की खरीद (₹ 1.42 करोड़) and (vii) अन्य प्रभार (आईटी) (₹ 0.32 करोड़)।

उपर्युक्त व्यय में नकद व्यय होगा।

The supplementary appropriation is required for:

meeting establishment related additional Expenditure viz. (i) Salaries (₹ 0.04 crore), (ii) Medical Treatment (₹ 0.13 crore), (iii) Household Salaries (₹ 0.36 crore), (iv) Office Expenses (₹ 1.25 crore), (v) Expenses on functions (₹ 0.23 crore), (vi) For purchase of Motor cars etc. (₹ 1.42 crore) and (vii) Other Charges (IT) (₹ 0.32 crore).

The above expenditure will entail a cash outgo;

राज्य सभा

RAJYA SABHA

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 80 देखिये)

(See page 80 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:	Charged:	1.07	...	1.07
	स्वीकृत:	Voted:	317.56	...	317.56
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	1.60	...	1.60
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		320.23	...	320.23
	भारित:	Charged:	1.07	...	1.07
	स्वीकृत:	Voted:	319.16	...	319.16

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

राजस्व भाग

मुख्य शीर्ष

2011 - संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के विधान मंडल

REVENUE SECTION

MAJOR HEAD

2011 -Parliament/State/Union Territory Legislatures

आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
----------------	------------------------------	---------------

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

वेतन और भत्तों के भुगतान के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 1.60 करोड़)।

उपर्युक्त व्यय में नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for:

meeting the additional expenditure towards payment of Salary and Allowances (₹ 1.60 crore)

The above expenditure will entail a cash outgo;

संख्या NO. 81 (विनियोग)(APPROPRIATION)

संघ लोक सेवा आयोग

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 81 देखिये)

(See page 81 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. विनियोग:	I. ORIGINAL APPROPRIATION:				
	भारित:	Charged:	170.81	...	170.81
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	भारित:	Charged:	18.00	...	18.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		188.81	...	188.81
	II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:				
			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2051 - लोक सेवा आयोग	भारित: 2051 - Public Service Commission	Charged:	...	18.00	18.00

यह पूरक विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं, भर्ती परीक्षाओं और चयन प्रक्रियाओं हेतु तथा वेतन के संबंध में अतिरिक्त/ वृद्धि व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 18.00 करोड़)। इसमें से ₹ 8.81 करोड़ भारत की संचित निधि से संस्वीकृत किए गए, जिसे पूरक अनुदान पारित हो जाने के बाद भारत की संचित निधि में जमा कर दिया जाएगा।

उपर्युक्त व्यय में नकद खर्च होगा।

The supplementary appropriation is required for:

meeting additional/increased expenditure on Salaries, Examinations, Recruitment Tests and Selections conducted by Union Public Service Commission (₹ 18.00 crore). Out of which, ₹ 8.81 crore was sanctioned from the Contingency Fund of India, which shall be recouped to the Contingency Fund of India after the supplementary grant is passed.

The above expenditure will entail a cash outgo;

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 83 और वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 56 देखिये)
(See page 83 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015 and page 56 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2014-2015)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित:	Charged:	...	56.00
	स्वीकृत:	Voted:	19603.37	37436.27
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted:	500.01	...
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			500.01
	स्वीकृत:	Voted:	0.01	...
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	20103.39	37492.27	57595.66
	भारित:	Charged:	...	56.00
	स्वीकृत:	Voted:	20103.39	37436.27

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3054 - सड़क और पुल	स्वीकृत: 3054 -Roads and Bridges	Voted:	...	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

बार्डर रोड डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा भूटान के भीतर सड़क निर्माण के लक्ष्य और मंजूरी में बढ़ोतरी के कारण अतिरिक्त व्यय (₹ 5.00 करोड़) पूरा करना।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grant is required for:

meeting additional expenditure (₹ 5.00 crore) due to increase in target and sanction of works of roads inside Bhutan by Border Roads Development Board.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 86 देखिये)

(See page 86 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:	Charged:	0.02	...	0.02
	स्वीकृत:	Voted:	3546.02	21.08	3567.10
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		3546.05	21.08	3567.13
	भारित:	Charged:	0.02	...	0.02
	स्वीकृत:	Voted:	3546.03	21.08	3567.11
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3425 - अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	स्वीकृत: 3425 -Other Scientific Research	Voted:	0.01	...	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

सामान्य सहायता अनुदान के प्रति (i) प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम (₹ 7 करोड़) और (ii) विज्ञान में औरतों के लिए दिशा कार्यक्रम (₹ 4.75 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grant is required for:

Grants-in-aid general towards (i) Technology Development Programme (Rs 7 crore) and (ii) Disha Programme for Women in Science (₹ 4.75 crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 87

वैज्ञानिक और औद्योगिक विभाग

DEPARTMENT OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 87 देखिये)

(See page 87 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	3671.15	36.00	3707.15	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत:	Voted:	0.02	...	0.02	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	3671.17	36.00	3707.17	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

	आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
--	----------------	------------------------------	---------------

राजस्व भाग

REVENUE SECTION

मुख्य शीर्ष

MAJOR HEAD

3425 - अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	स्वीकृत:	3425 -Other Scientific Research	Voted:	0.01 (का)	0.01 (खb)	0.02
--------------------------------	----------	---------------------------------	--------	-----------	-----------	------

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grant is required for:

- | | |
|--|--|
| <p>(क) (i) प्रशासन के अन्तर्गत सीएसआईआर के लिए वेतन अनुदान सहायता (₹ 0.30 करोड़) और (ii) राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के अन्तर्गत सीएसआईआर के लिए सामान्य अनुदान सहायता (₹ 61.75 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।</p> <p>(ख) (i) "प्रशासन" के तहत (₹ 144.67 करोड़) और राष्ट्रीय प्रयोगशाला के तहत (₹ 26.88 करोड़) के लिए सीएसआईआर को सामान्य सहायता अनुदान और (ii) "प्रशासन" के तहत (₹ 4.50 करोड़) तथा राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के तहत (₹ 17 करोड़) के लिए सीएसआईआर को वेतन सहायता अनुदान। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।</p> | <p>(a) (i) Grants-in-aid Salaries for CSIR under Administration (₹ 0.30 crore) and (ii) Grants-in-aid General for CSIR under 'National Laboratories' (₹ 61.75 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p> <p>(b) (i) Grants-in-aid General for CSIR under "Administration" (₹ 144.67 crore) and under 'National Laboratories' (₹ 26.88 crore) and (ii) Grants-in-aid Salaries for CSIR under "Administration" (₹ 4.50 crore) and under 'National Laboratories' (₹ 17 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p> |
|--|--|

जैव प्रौद्योगिकी विभाग

DEPARTMENT OF BIOTECHNOLOGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 88 और वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 57 देखिये)

(See page 88 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015 and page 57 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2014-2015)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	1517.21	...	1517.21
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.02	...	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1517.24	...	1517.24
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted: 0.01 (क)	...	0.01
3425 - अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	स्वीकृत: 3425 -Other Scientific Research	Voted: 0.01 (ख)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 0.02	...	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) सामान्य सहायता अनुदान (i) बायोइन्फार्मेटिक्स (₹ 0.77 करोड़) (ii) अनुसंधान और विकास-कृषि बायोइन्फार्मेटिक्स (₹ 10 करोड़) (iii) अनुसंधान और विकास-बायोरिसोर्स विकास (₹ 0.50 करोड़) (iv) अनुसंधान और विकास-मैडीकल बायोटेक्नालाजी (₹ 10 करोड़). अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

(ख) (i) मानव संसाधन विकास के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 8.81 करोड़) (ii) मानव संसाधन विकास कार्यक्रम के तहत पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 2 करोड़) (iii) बायोइन्फार्मेटिक्स के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 3 करोड़ रुपये) (iv) अनुसंधान और विकास-मैडीकल बायोटेक्नालाजी (₹ 16 करोड़) (v) अन्तरराष्ट्रीय सहकारिता को सहयोग के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 4 करोड़) और (vi) अन्तरराष्ट्रीय सहकारिता के लिए पूंजी सृजन हेतु अनुदान (₹ 5 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grants are required for:

(a) (i) Grants-in-aid General towards (i) Bioinformatics (₹ 0.77 crore) (ii) Research & Development- Agricultural Biotechnology (₹ 10 crore) (iii) Research & Development- Bioresource Development & Utilisation (₹ 0.50 crore) (iv) Research & Development- Medical Biotechnology (₹ 10 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) (i) Grants-in-aid General towards Human Resources Development (₹ 8.81 crore) (ii) Grants for creation of Capital Assets under the programme Human Resource Development (₹ 2 crore) (iii) Grants-in-aid General towards for Bioinformatics (₹ 3 crore) (iv) Grants-in-aid General towards Research & Development- Medical Biotechnology (₹ 16 crore) (v) Grants-in-aid General towards assistance for International Cooperation (₹ 4 crore) and (vi) Grants for Creation of Capital Assets towards International Cooperation (₹ 5 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 89

नौवहन मंत्रालय

MINISTRY OF SHIPPING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 89 और वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 58 देखिये)
(See page 89 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015 and page 58 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2014-2015)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	1258.66	516.08	1774.74
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	0.01	0.01	0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.03	...	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1258.70	516.09	1774.79
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2852 - उद्योग	स्वीकृत: 2852 -Industries	Voted: ...	0.01 (कa)	0.01
3052 - नौवहन	स्वीकृत: 3052 -Shipping	Voted: 0.01 (खb)	...	0.01
3056 - अंतर्देशीय जल परिवहन	स्वीकृत: 3056 -Inland Water Transport	Voted: ...	0.01 (गc)	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 0.01	0.02	0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) हुगली डाक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स लि. द्वारा आय कर देयता का भुगतान (₹ 48.00 करोड़)।
अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ख) आन-बोर्ड शिप ट्रेनिंग पूरी होने पर इंडियन मर्चेंट कैडेट/ट्रेनी को सहायता अनुदान उपलब्ध कराना (₹ 10.00 करोड़)।
अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ग) सेंट्रल इनलैण्ड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन के कर्मिकों के लिए समुन्नत स्वैच्छिक सेवानिवृत्त स्कीम का कार्यान्वयन (₹ 44 करोड़)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grants are required for:

- (a) payment of Income Tax liability by Hooghly Dock & Port Engineers Ltd. (₹ 48.00 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) providing Grants-in-aid to Indian Merchant Cadet/trainees for completion of their on-board ship training (₹ 10.00 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) implementation of improved Voluntary Retirement Scheme for employees of Central Inland Water Transport Corporation (₹ 44 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 90 और वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 59 देखिये)
(See page 90 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015 and page 59 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2014-2015)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	5750.74	462.00	6212.74
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	...	200.00	200.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.03	...	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	5750.77	662.00	6412.77
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2225 - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	स्वीकृत: 2225 -Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities	Voted: 0.01 (का)	0.01 (खb)	0.02
2235 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	स्वीकृत: 2235 -Social Security and Welfare	Voted: 0.01 (गc)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 0.02	0.01	0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

(क) (i) अन्य पिछड़े वर्गों (₹ 11.88 करोड़) लड़के और लड़कियों के छात्रावास और अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए छात्रावास (₹ 4.00 करोड़) स्कीम के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन सहायता अनुदान।	(a) (i) releasing Grant-in-aid for Creation of Capital Assets in the scheme of Boys and Girls Hostel for Other Backward Classes (₹ 11.88 crore), Girls Hostel for Scheduled Castes (₹ 4.00 crore).
(ii) केन्द्र शासित राज्य चण्डीगढ़ में अनुसूचित जाति के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति स्कीम (₹ 2.50 करोड़) के लिए सामान्य सहायता अनुदान का निर्गमन करना। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।	(ii) releasing Grant in-aid General to Union Territory Chandigarh for Post Matric Scholarship Scheme for Scheduled Castes (₹ 2.50 crore). Taking into account the savings available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख) (i) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के वेतन हेतु सहायता अनुदान का निर्गमन करना (₹ 0.10 करोड़)।	(b) (i) releasing Grants-in-aid Salaries to National Commission for Backward Classes (₹ 0.10 crore).
(ii) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को सामान्य सहायता अनुदान का निर्गमन करना (₹ 0.45 करोड़)।	(ii) releasing Grants-in-aid General to National Commission for Backward Classes (₹ 0.45 crore).
(iii) विमुक्त जाति के राष्ट्रीय आयोग की स्थापना के लिए अतिरिक्त निधियां प्रदान करना (₹ 0.10 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।	(iii) providing additional funds for setting up of National Commission for Denotified Tribes (₹ 0.10 crore). Taking into account the savings available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग) राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थानों के वेतन हेतु सहायता अनुदान का निर्गमन करना (₹ 0.18 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।	(c) releasing Grants-in-aid Salaries to National Institutes of Social Defence (₹ 0.18 crore). Taking into account the savings available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

निशक्तता विभाग

DEPARTMENT OF DISABILITY AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 91 देखिये)

(See page 91 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	595.89	37.00	632.89	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत:	Voted:	0.02	...	0.02	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	595.91	37.00	632.91	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

	आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
--	----------------	------------------------------	---------------

राजस्व भाग

REVENUE SECTION

मुख्य शीर्ष

MAJOR HEAD

2235 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	स्वीकृत:	2235 -Social Security and Welfare	Voted:	0.01 (का)	0.01 (खb)	0.02
----------------------------------	----------	-----------------------------------	--------	-----------	-----------	------

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grant is required for:

(क) (क) राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति संस्थान के वेतन के लिए सहायता अनुदान जारी करना (₹ 2.50 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।	(a) releasing Grant-in-aid Salaries to National Institutes for Disabled Persons (₹ 2.50 crore). Taking into account the savings available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख) (i) (ख) राष्ट्रीय अशक्त व्यक्ति संस्थानों के वेतन हेतु सहायता अनुदान जारी करना (₹ 4.00 करोड़)। (ii) राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति संस्थानों को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.35 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।	(b) (i) releasing Grant-in-aid Salaries to National Institutes for Disabled Persons (₹ 4.00 crore). (ii) releasing Grant-in-aid General to National Institutes for Disabled Persons (₹ 0.35 crore). Taking into account the savings available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 92

अंतरिक्ष विभाग

DEPARTMENT OF SPACE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 92 और वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 60 देखिये)
(See page 92 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015 and page 60 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2014-2015)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)				
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total		
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:					
	भारित:	Charged:	0.50	0.40	0.90	
	स्वीकृत:	Voted:	3583.56	3653.58	7237.14	
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:					
	स्वीकृत:	Voted:	0.02	...	0.02	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:					
	स्वीकृत:	Voted:	...	3.00	3.00	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	3584.08	3656.98	7241.06		
	भारित:	Charged:	0.50	0.40	0.90	
	स्वीकृत:	Voted:	3583.58	3656.58	7240.16	
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:						
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:						
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total		
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
5402 - अंतरिक्ष अनुसंधान पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत:	5402 - Capital Outlay on Space Research	Voted:	...	3.00	3.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

अंतरिक्ष कोरपोरेशन लि. द्वारा जारी वोनस शेयरों के रूप में अतिरिक्त इक्विटी निवेश।
चूंकि उपरोक्त व्यय पूंजीगत प्राप्तियों से किया जाएगा, इसमें नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grant is required for:

Additional equity investment in the form of Bonus Shares issued by Antrix Corporation Limited. As the above expenditure will be matched by Capital Receipts, this will not entail cash outgo.

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 93 देखिये)

(See page 93 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:		Voted:	4905.78	18.10	4923.88
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत:		Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		4905.79	18.10	4923.89
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
3454 - जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	स्वीकृत:	3454 -Census Surveys and Statistics	Voted:	...	0.01
				0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कोलकाता को वेतन के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु वेतन सहायता अनुदान (₹ 9.91 करोड़)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grant is required for:

Grants-in-aid Salary to meet the additional expenditure for Salary to Indian Statistical Institute, Kolkata (₹ 9.91 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

इस्पात मंत्रालय

MINISTRY OF STEEL

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 94 देखिये)

(See page 94 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूँजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	92.92	...	92.92	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	92.93	...	92.93	
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2852 - उद्योग	स्वीकृत: 2852 -Industries	Voted:	0.01	...	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

"नवप्रवर्तनीय लौह/इस्पात निर्माण प्रक्रिया/ तकनीक (मौजूदा तकनीक के तहत नई परियोजनाओं) अनुसंधान और विकास स्कीम में अतिरिक्त जरूरत पूरी करना (₹ 4.50 करोड़) अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grant is required for:

Meeting the additional requirement (₹ 4.50 crore) in R&D scheme "Development of innovative iron/Steel making Process/Technology (new project under existing scheme). Taking into account the savings available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

कपड़ा मंत्रालय

MINISTRY OF TEXTILES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 95 और वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 61 देखिये)
(See page 95 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015 and page 61 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2014-2015)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित:	Charged: ...	35.34	35.34
	स्वीकृत:	Voted: 5547.70	114.39	5662.09
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	भारित:	Charged: 20.51	...	20.51
	स्वीकृत:	Voted: 0.03	...	0.03
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत:	Voted: 0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	5568.25	149.73	5717.98
	भारित:	Charged: 20.51	35.34	55.85
	स्वीकृत:	Voted: 5547.74	114.39	5662.13
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- मिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2851 - ग्रामीण एवं लघु उद्योग	स्वीकृत: 2851 -Village and Small Industries	Voted: 0.01	...	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

पूंजीगत परिसंपत्तियों (₹ 5 करोड़) के सृजन के लिए अनुदानों हेतु अवसंरचना एवं प्रौद्योगिकी विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत प्रतिबद्ध देयताओं की अतिरिक्त आवश्यकता। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grant is required for:

Additional requirement towards committed liabilities under Infrastructure and Technology Development Projects for Grants for Creation of Capital Assets (₹ 5 crore). Taking into account savings available within the same section of the grant, a token supplementary is sought.

MINISTRY OF TOURISM

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 96 देखिये)

(See page 96 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत:	Supplementary Estimate of the amount now required:	Voted:	1965.21	1.50	1966.71
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:					
स्वीकृत:		Voted:	0.01	10.80	10.81
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		1965.22	12.30	1977.52
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत: 3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted:	0.01 (का)	...	0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
5452 - पर्यटन पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 5452 - Capital Outlay on Tourism	Voted:	10.80 (खब)	...	10.80
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted:	10.81	...	10.81

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) डेस्टेशन और सर्किट के लिए अवसंरचना विकास के तहत चल रही परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त राशि प्रदान करना (₹ 129.00 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

(ख) (i) नई दिल्ली में बहु-स्तरीय पार्किंग कम आफिस को बनाने हेतु (₹ 10.00 करोड़)।

(ii) अजंता एलोरा संरक्षण और पर्यटन विकास परियोजना के भुगतान के लिए (₹ 0.80 करोड़)।

अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण के मद्देनजर, उपरोक्त में कोई नकद नयय नहीं होगा।

The supplementary grants are required for:

(a) providing additional funds for ongoing projects under Infrastructure Development for Destination and Circuits (₹ 129.00 crore).

Taking into account the savings available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) (i) construction of multi level parking-cum-office at New Delhi (₹ 10.00 crore).

(ii) payment towards Ajanta Ellora Conservation and Tourism Development Project (₹ 0.80 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

जनजातीय कार्य मंत्रालय

MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 97 देखिये)

(See page 97 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
-------------------	------------------	---------------

I. मूल अनुदान:

I. ORIGINAL GRANT:

भारित:	Charged:	3913.63	...	3913.63
स्वीकृत:	Voted:	514.33	70.00	584.33

इस समय आवश्यक रकम का पूरक

Supplementary Estimate of the amount now required:

अनुमान:

स्वीकृत:	Voted:	3.07	...	3.07
----------	--------	------	-----	------

जोड़ (मूल और पूरक)

Total (Original plus Supplementary)	4431.03	70.00	4501.03
-------------------------------------	---------	-------	---------

भारित:	Charged:	3913.63	...	3913.63
--------	----------	---------	-----	---------

स्वीकृत:	Voted:	517.40	70.00	587.40
----------	--------	--------	-------	--------

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
----------------	------------------------------	---------------

राजस्व भाग

REVENUE SECTION

मुख्य शीर्ष

MAJOR HEAD

2251 - सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	स्वीकृत:	2251 -Secretariat-Social Services	Voted:	...	1.48	(कa)	1.48
2225 - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	स्वीकृत:	2225 -Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities	Voted:	0.01	(खb)	1.58	(गc)
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.01	3.06	3.07	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

(क) विभिन्न संस्थापना शीर्षों के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करना: (₹ 1.48 करोड़) (वेतन- ₹ 0.85 करोड़, घरेलू यात्रा व्यय- ₹ 0.20 करोड़, कार्यालय व्यय- ₹ 0.24 करोड़, किराया दरें, और कर- ₹ 0.15 करोड़ तथा अन्य प्रशासनिक व्यय- ₹ 0.04 करोड़)

(a) meeting additional expenditure (₹ 1.48 crore) under different establishment heads (Salaries- ₹ 0.85 crore, Domestic Travel Expenses- ₹ 0.20 crore, Office Expenses- ₹ 0.24 crore, Rent, Rates and Taxes- ₹ 0.15 crore and Other Administrative Expenditure- ₹ 0.04 crore)

उपर्युक्त में नकद व्यय होगा।

The above expenditure will entail a cash outgo.

(ख) (i) "कोचिंग एवं सहबद्ध स्कीम एवं निदर्शनात्मक सेवा सहित अनुसूचित जनजाति के लिए एजीओ को अनुदान सहायता" के अन्तर्गत सामान्य सहायता अनुदान उपलब्ध कराना (₹ 9.50 करोड़)।
(ii) "अम्ब्रेला स्कीम फार एजुकेशन आफ एसटी चिल्ड्रन स्कीम के अन्तर्गत सामान्य सहायता अनुदान उपलब्ध कराना" (₹ 12.00 करोड़)।(b) (i) providing Grants-in-aid-General under the scheme "Grant in aid to NGO for STs including Coaching and Allied Scheme and Award for Exemplary Service" (₹ 9.50 crore).
(ii) providing Grants-in-aid-General under the scheme "Umbrella Scheme for Education of ST Children" (₹ 12.00 crore).

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(ग) विभिन्न स्थापना शीर्षों के अन्तर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (₹ 1.58 करोड़) (वेतन- ₹ 0.63 करोड़, मजदूरी- ₹ 0.02 करोड़, विदेश यात्रा व्यय- ₹ 0.05 करोड़, कार्यालय व्यय- ₹ 0.55 करोड़, किराया, दर एवं कर- ₹ 0.13 करोड़, प्रकाशन- ₹ 0.07 करोड़ एवं व्यावसायिक सेवा- ₹ 0.13)।

(c) meeting additional expenditure (₹ 1.58 crore) under different establishment heads (Salaries- ₹ 0.63 crore, Wages- ₹ 0.02 crore, Foreign Travel Expenses- ₹ 0.05 crore, Office Expenses- ₹ 0.55 crore, Rent, Rates & Taxes- ₹ 0.13 crore, Publication- ₹ 0.07 crore and Professional Services - ₹ 0.13).

अनुदान के राजस्व/भारित भाग में उपलब्ध बचत (₹ 0.14 करोड़) को देखते हुए उपर्युक्त में, ₹ 1.44 करोड़ का नकद व्यय होगा।

Taking into account the savings (₹ 0.14 crore) available in the Revenue/Charged Section of the Grant will be surrendered, the above expenditure will entail cash outgo of ₹ 1.44 crore.

मांग संख्या DEMAND NO. 98

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह

ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 98 और वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 63 देखिये)
(See page 98 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015 and page 63 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2014-2015)

				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)				
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:					
	भारित:	Charged:	0.01	...	0.01	
	स्वीकृत:	Voted:	3046.77	566.60	3613.37	
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:					
	स्वीकृत:	Voted:	85.96	0.01	85.97	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:					
	स्वीकृत:	Voted:	0.03	0.04	0.07	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		3132.77	566.65	3699.42	
	भारित:	Charged:	0.01	...	0.01	
	स्वीकृत:	Voted:	3132.76	566.65	3699.41	
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:						
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:						
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय		Ministry of Health and Family Welfare				
2210 - चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	स्वीकृत:	2210 -Medical and Public Health	Voted:	0.01 (का)	...	0.01
ग्रामीण विकास मंत्रालय		Ministry of Rural Development				
2515 - अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	स्वीकृत:	2515 -Other Rural Development Programmes	Voted:	0.01 (खb)	...	0.01
नौवहन मंत्रालय		Ministry of Shipping				
3052 - नौवहन	स्वीकृत:	3052 -Shipping	Voted:	...	0.01 (गc)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत:	Total (Revenue Section)	Voted:	0.02	0.01	0.03
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय		Ministry of Road Transport and Highways				
5054 - सड़क और पुलों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत:	5054 - Capital Outlay on Roads and Bridges	Voted:	0.01 (घd)	...	0.01
ग्रामीण विकास मंत्रालय		Ministry of Rural Development				
4215 - जलापूर्ति और स्वच्छता पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत:	4215 - Capital Outlay on Water Supply and Sanitation	Voted:	0.01 (ङe)	...	0.01
शहरी विकास मंत्रालय		Ministry of Urban Development				
4055 - पुलिस पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत:	4055 - Capital Outlay on Police	Voted:	0.01 (चf)	...	0.01
4202 - शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत:	4202 - Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture	Voted:	0.01 (छg)	...	0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	स्वीकृत:	Total (Capital Section)	Voted:	0.04	...	0.04
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.06	0.01	0.07

अनुदानों की पूरक मांगें, 2014-2015 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:	The supplementary grants are required for:
(क) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्था (एएनआईएमईआरएस) को जीआईए के लिए व्यय को पूरा करने हेतु (₹ 9.50 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।	(a) Meeting the expenditure towards GiA to Andaman and Nicobar Island Medical Education and Research Society (ANIMERS)(₹9.50 crores) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख) जिला परिषद के संबंध में (₹ 0.90 करोड़) और पंचायत समिति (₹ 0.85 करोड़) के जीआईए वेतन के व्यय को पूरा करने के लिए। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।	(b) Meeting the expenditure towards GiA Salary in respect of Zila Parishad (₹ 0.90 crore) and Panchayat Samity (₹ 0.85 crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग) भारतीय पोत परिवहन निगम के बकाया राशि के भुगतान हेतु (₹ 76.29 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।	(c) Making payment of outstanding dues to Shipping Corporation of India (₹ 76.29 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(घ) एटीआर के अलावा चालू निर्माण कार्य हेतु (₹ 5.85 करोड़), ग्रामीण सड़कों के सुधार हेतु (₹ 2.00 करोड़) और टीएसपी के तहत सड़कों के निर्माण (₹ 1.90 करोड़) के लिए अतिरिक्त राशि की जरूरत। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।	(d) Additional amount is required for ongoing construction work of other than ATR (₹ 5.85 crore), improvement of rural roads (₹ 2.00 crore) and construction of roads under TASP (₹ 1.90 crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ङ) ग्रामीण जल आपूर्ति भाग में चालू निर्माण कार्यों के लिए अतिरिक्त राशि की जरूरत (₹ 8.54 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।	(e) Additional amount is required for ongoing construction works in rural water supply section (₹ 8.54 crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(च) पुलिस स्टेशन के चालू निर्माण कार्यों के लिए अतिरिक्त राशि की जरूरत (₹ 2.99 करोड़) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।	(f) Additional amount is required for ongoing Construction works of Police Station, out Post (₹ 2.99 crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(छ) स्टेडियम के चालू निर्माण कार्यों के लिए अतिरिक्त राशि की जरूरत (₹ 0.20 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।	(g) Additional amount is required for ongoing construction works of Stadium (₹ 0.20 crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

चंडीगढ़

CHANDIGARH

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 106 देखिये)

(See page 106 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित:	Charged: 19.80	...	19.80
	स्वीकृत:	Voted: 3044.70	478.75	3523.45
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	भारित:	Charged: 3.51	...	3.51
	स्वीकृत:	Voted: ...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	3068.01	478.76	3546.77
	भारित:	Charged: 23.31	...	23.31
	स्वीकृत:	Voted: 3044.70	478.76	3523.46
II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
गृह मंत्रालय	Ministry of Home Affairs			
2014 - न्याय प्रशासन	भारित: 2014 - Administration of Justice	Charged: ...	2.51 (का)	2.51
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	Ministry of Road Transport and Highways			
3055 - सड़क परिवहन	भारित: 3055 - Road Transport	Charged: ...	1.00 (खb)	1.00
जोड़ (राजस्व भाग)	भारित: Total (Revenue Section)	Charged: ...	3.51	3.51
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
शहरी विकास मंत्रालय	Ministry of Urban Development			
4217 - शहरी विकास पर पूंजी	स्वीकृत: 4217 - Capital Outlay on Urban	Voted: ...	0.01 (गc)	0.01
परिव्यय	Development			
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	3.52	3.52
	भारित:	Charged: ...	3.51	3.51
	स्वीकृत:	Voted: ...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में माननीय जजों की संख्या में वृद्धि के कारण और स्थापना संबंधी व्यय में बढ़ोतरी होने के कारण, अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 2.51 करोड़)।

अनुदान के राजस्व/पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, उपर्युक्त व्यय में अतिरिक्त नकद प्रवाह नहीं होगा।

- (ख) मोटर ऐक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल द्वारा घोषित की गई धनराशि के भुगतान के व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 1.00 करोड़)।

अनुदान के राजस्व/पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, उपर्युक्त व्यय में अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

- (ग) माननीय जिला न्यायालय/उच्चतम न्यायालय के आदेश को ध्यान में रखते हुए, भूमि स्वामियों को बढ़े हुए मुआवजे के भुगतान के व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 1.00 करोड़)।

The supplementary grant/appropriation are required for:

- (a) Meeting the additional expenditure due to increase in the strength of Hon'ble Judges in the Punjab and Haryana High Court, Chandigarh and increase in the establishment related expenditure (₹ 2.51 crore)

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue/Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

- (b) Meeting the expenditure for clearing the payments of award announced by the Motor accident claims Tribunal (₹ 1.00 crore)

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue/Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

- (c) Meeting the expenditure for making payment of enhanced compensation to the land owners on account of the decision of the Hon'ble District Court/High Court (₹ 100 crore)

मांग संख्या DEMAND NO. 101

दमन व द्वी

DAMAN AND DIU

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 119 देखिये)

(See page 119 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:	Charged:	0.02	...	0.02
	स्वीकृत:	Voted:	1291.03	348.07	1639.10
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	...	0.04	0.04
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		1291.05	348.11	1639.16
	भारित:	Charged:	0.02	...	0.02
	स्वीकृत:	Voted:	1291.03	348.11	1639.14
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
पूंजी भाग मुख्य शीर्ष कृषि मंत्रालय	CAPITAL SECTION MAJOR HEAD Ministry of Agriculture				
4401 - फसल कार्य पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4401 - Capital Outlay on Crop Husbandry	Voted:	0.01 (घद)	...	0.01
शहरी विकास मंत्रालय	Ministry of Urban Development				
4058 - लेखन सामग्री और छपाई पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4058 - Capital Outlay on Stationery and Printing	Voted:	0.01 (का)	...	0.01
4059 - लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4059 - Capital Outlay on Public Works	Voted:	0.01 (खब)	...	0.01
4215 - जलापूर्ति और स्वच्छता पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4215 - Capital Outlay on Water Supply and Sanitation	Voted:	0.01 (गक)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted:	0.04	...	0.04

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) स्टेशनरी और प्रिन्टिंग से संबंधित जारी कार्यों को पूरा करने हेतु और जारी कार्यों के लिए, ठेकेदार को भुगतान के लिए मुख्य कार्यों के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 0.07 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

(ख) लोक कार्यों से संबंधित जारी कार्यों के लिए ठेकेदार को भुगतान के लिए मुख्य कार्यों के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने और ऐसे कार्य जो प्रगति पर हैं, के लिए ठेकेदार को भुगतान के लिए (₹ 17.26 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

(ग) जल आपूर्ति और स्वच्छता से संबंधित जारी कार्यों को पूरा करने और प्रगति कर रहे तथा जारी कार्यों के लिए ठेकेदार को भुगतान हेतु पूंजी व्यय के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु (₹ 26.00 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

(घ) फसल कटाई से संबंधित जारी कार्यों को पूरा करने और जारी कार्यों के लिए ठेकेदार को भुगतान के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 0.62 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grants are required for:

(a) Meeting the additional expenditure under Major Works to complete the ongoing works related to Stationery and Printing and to make the payment to contractor for the works under progress (₹ 0.07 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) Meeting the additional expenditure under Major Works to complete the ongoing works related to Public Works and to make the payment to contractor for the works under progress (₹ 17.26 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(c) Meeting the additional expenditure under other Capital Expenditure to complete the ongoing works related to Water Supply and Sanitation and to make the payment to contractor for the works under progress (₹ 26.00 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(d) Meeting the additional expenditure to complete the ongoing work relating to Crop Husbandry and to make the payment to contractor for the works under progress (₹ 0.62 crores)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

लक्षद्वीप

LAKSHADWEEP

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 125 और वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 64 देखिये)
(See page 125 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015 and page 64 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2014-2015)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	837.74	227.90	1065.64
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	0.05	...	0.05
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.02	...	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	837.81	227.90	1065.71
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	Ministry of Health and Family Welfare			
2210 - चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	स्वीकृत: 2210 -Medical and Public Health	Voted: ...	0.01 (का)	0.01
गृह मंत्रालय	Ministry of Home Affairs			
3054 - सड़क और पुल	स्वीकृत: 3054 -Roads and Bridges	Voted: ...	0.01 (खb)	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: ...	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) पंचायती राज संस्थान के तहत काम कर रहे स्वास्थ्य सेवाएं विभाग के स्टाफ को वेतन और भत्ते के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 2.57 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

(ख) पंचायती राज संस्थान के तहत काम कर रहे विद्युत विभाग के स्टाफ को वेतन और भत्ते के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 0.27 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grants are required for:

(a) For meeting the additional expenditure for pay and allowances of staff of Department of Health Services working under Panchayat Raj Institution. (₹ 2.57 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) For meeting the additional expenditure for pay and allowances of staff of Department of Electricity working under Panchayat Raj Institution, etc. (₹ 0.27 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

शहरी विकास विभाग

DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 131 और वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 66 देखिये)

(See page 131 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015 and page 66 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2014-2015)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित:	Charged: 61.80	107.00	168.80
	स्वीकृत:	Voted: 8633.60	8826.20	17459.80
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	भारित:	Charged: 2.37	41.50	43.87
	स्वीकृत:	Voted: 0.03	0.02	0.05
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत:	Voted: 80.01	...	80.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	8777.81	8974.72	17752.53
	भारित:	Charged: 64.17	148.50	212.67
	स्वीकृत:	Voted: 8713.64	8826.22	17539.86

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2217 - शहरी विकास	स्वीकृत: 2217 -Urban Development	Voted: 80.00 (का)	...	80.00
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत: 3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted: 0.01 (खb)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 80.01	...	80.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आयोजना बोर्ड को अंशदान के सन्दर्भ में, पूंजी भाग से राजस्व भाग, व्यय की बुकिंग हेतु वर्गीकरण सुधार (₹ 80.00 करोड़)।

अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए उपर्युक्त में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

(ख) आन्ध्रप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 की धारा 94(3) के अनुपालन में आन्ध्रप्रदेश की शहरी अवसंरचना हेतु एकमुश्त विशेष (₹ 1000 करोड़)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित।

The supplementary grants are required for:

(a) correcting the classification for booking of expenditure in respect of Contribution to the National Capital Region Planning Board from Capital Section to Revenue Section (₹ 80.00 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

(b) One time special assistance for Urban infrastructure to Andhra Pradesh in compliance of Section 94(3) of A.P. Reorganization Act 2014 (₹ 1000 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

जल संसाधन मंत्रालय

MINISTRY OF WATER RESOURCES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 134 और वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 70 देखिये)

(See page 134 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015 and page 70 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2014-2015)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित:	Charged: ...	4.00	4.00
	स्वीकृत:	Voted: 15143.11	228.63	15371.74
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	भारित:	Charged: 13.26	...	13.26
	स्वीकृत:	Voted: 0.03	...	0.03
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत:	Voted: 0.03	...	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	15156.43	232.63	15389.06
	भारित:	Charged: 13.26	4.00	17.26
	स्वीकृत:	Voted: 15143.17	228.63	15371.80

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

							जोड़ Total
		आयोजना Plan		आयोजना- भिन्न Non-Plan			
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2701 - वृहत और मध्यम सिंचाई	स्वीकृत:	2701 -Major and Medium Irrigation	Voted:	0.01 (का)	0.01 (खb)		0.02
3435 - पारिस्थितिकी और पर्यावरण	स्वीकृत:	3435 -Ecology and Environment	Voted:	0.01 (गc)	...		0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.02	0.01		0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

- | | |
|--|---|
| <p>(क) सर्वेक्षण उपक्रमाँ की मूल्यवृद्धि, अन्तर-राज्य और अंतरा-राज्य लिंक की परियोजना रिपोर्टें तैयार करने के लिए और स्थापना संबंधी व्ययों के लिए 'नदी बेसिन प्रबंधन' के अंतर्गत जल संसाधन विकास योजनाओं की जांच के लिए सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए (₹ 2.00 करोड़)।</p> <p>अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।</p> <p>(ख) स्थापना संबंधी व्यय को पूरा करने के लिए नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ हायड्रोलजी को सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए (₹ 0.42 करोड़)।</p> <p>अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।</p> <p>(ग) जल परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए (₹ 230.00 करोड़)।</p> <p>अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।</p> | <p>(a) providing Grant-in-aid General for 'Investigation of Water Resources Development Schemes' under 'River Basin Management' on account of price escalation of survey instruments, preparation of project reports of Inter-State and Intra State links and establishment related expenses. (₹ 2.00 crore)</p> <p>Taking into account the savings available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.</p> <p>(b) providing Grant-in-aid General to National Institute of Hydrology for meeting establishment related expenses (₹ 0.42 crore).</p> <p>Taking into account the savings available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.</p> <p>(c) providing Grant-in-aid for Creation of Capital Assets to National Capital Territory of Delhi for Water projects (₹ 230.00 crore).</p> <p>Taking into account the savings available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.</p> |
|--|---|

ANNEXURE

अनुबंध

वर्ष 2013-14 के दौरान संसद में प्रस्तुत की जाने वाली उन मदों का विवरण जिनमें पुनर्विनियोग अनुमोदित सीमाओं से अधिक हो जाता है।
(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	योजना	बजट अनुमान	पुनर्विनियोग की राशि	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6
2013-14					
1. भारी उद्योग विभाग					
		6858.60.190.09.00.55 हिंदुस्तान केबिल्स लि. (एचसीएल) को ऋण	0.00	78.05	एचसीएल के कर्मचारियों के बकाया वेतन/मजदूरी और सांविधिक देयताओं के भुगतान हेतु व्यय के निमित्त ऋण एवं अग्रिम।
		6858.60.190.19.00.55 हिंदुस्तान मशीन टूल लि. (एचएमटी) को ऋण	0.00	160.28	कार्यशील पूंजी ऋण और एचएमटी के कर्मचारियों के बकाया वेतन/मजदूरी और सांविधिक देयताओं के भुगतान हेतु व्यय के निमित्त ऋण एवं अग्रिम।
		6858.60.190.14.00.55 हेवी इंजीनियरिंग कोरपोरेशन लि. (एचईसी) को ऋण	0.00	47.89	एचईसी के कर्मचारियों के बकाया वेतन/मजदूरी और सांविधिक देयताओं के भुगतान हेतु व्यय के निमित्त ऋण एवं अग्रिम।
		6858.60.190.25.00.55 तुंगभद्र स्टील प्राइवेट लि. (टीएसपीएल) को ऋण	0.00	1.73	टीएसपीएल के कर्मचारियों के बकाया वेतन/मजदूरी और सांविधिक देयताओं के भुगतान हेतु व्यय के निमित्त ऋण एवं अग्रिम।
		6860.05.190.01.00.55 नेपा लि. को ऋण	0.00	34.91	नेपा लि. के कर्मचारियों के बकाया वेतन/मजदूरी और सांविधिक देयताओं के भुगतान हेतु व्यय के निमित्त ऋण एवं अग्रिम।
		6858.05.190.02.00.55 एनपीपीसी के लिए हिंदुस्तान पेपर कारपो. लि. को ऋण	0.00	6.18	एचपीसी लि. की सहायक कंपनी एनपीपीसी लि. के कर्मचारियों के बकाया वेतन/मजदूरी और सांविधिक देयताओं के भुगतान हेतु व्यय के निमित्त ऋण एवं अग्रिम।
		6858.60.190.09.00.55 हिंदुस्तान फोटो फिल्म्स लि. को ऋण	0.00	12.53	एचपीएफ लि. के कर्मचारियों के बकाया वेतन/मजदूरी और सांविधिक देयताओं के भुगतान हेतु व्यय के निमित्त ऋण एवं अग्रिम। उत्तर-पूर्व क्षेत्र और सिक्किम में स्थित राज्य सरकारों के लिए सहायता अनुदान
2014-15					
2. संस्कृति मंत्रालय					
		एम एच-2205 विश्व धरोहर निधि को सहयोग 2205.00.798.01.00.32	0.08	0.0920	2013 से आगे भारत के बढ़ते मूल्यांकन सहयोग के कारण
		एम एच-2205 भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण (i) 2205.00.106.08.00.50- अन्य खर्च	3.45	4.10	निर्मित धरोहर और स्थलों के प्रलेखन और पुरावशेष प्रलेखन, आउटसोर्सिंग एजेंसियों का भुगतान और अनुसंधान संबंधी कार्य और जागरूकता कार्यक्रम से संबंधित अतिरिक्त गतिविधियों/कार्यों का निष्पादन करने के लिए।

ANNEXURE

Statement showing items requiring report to Parliament where re-appropriation exceeded the approved limits during 2013-14.

<i>(Rupees in Crore)</i>					
Sl. No.	Name of the Ministry/ Department	Scheme	Budget Estimates	Amount of Re-appropriation	Remarks
1	2	3	4	5	6
2013-14					
1.	Department of Heavy Industry	6858.60.190.09.00.55 Loan to Hindustan Cables Ltd. (HCL)	0.00	78.05	Loans & Advances to augment the expenditure towards payment of outstanding salaries/wages and statutory dues to the employees of HCL.
		6858.60.190.19.00.55 Loans to Hindustan Machine Tools Ltd. (HMT)	0.00	160.28	Loans & Advances to augment the expenditure towards payment of outstanding salaries/wages and statutory dues to the employees of HMT and for working capital loan.
		6858.60.190.14.00.55 Loans to Heavy Engineering Corporation Limited (HEC)	0.00	47.89	Loans & Advances to augment the expenditure towards payment of outstanding salaries/wages and statutory dues to the employees of HEC.
		6858.60.190.25.00.55 Loans to Thungbhadra Steel Products Ltd. (TSPL)	0.00	1.73	Loans & Advances to augment the expenditure towards payment of outstanding salaries/wages and statutory dues to the employees of TSPL.
		6860.05.190.01.00.55 Loans to NEPA Ltd.	0.00	34.91	Loans & Advances to augment the expenditure towards payment of outstanding salaries/wages and statutory dues to the employees of NEPA Ltd.
		6858.05.190.02.00.55 Loans to Hindustan Paper Corporation Ltd. for (NPCC)	0.00	6.18	Loans & Advances to augment the expenditure towards payment of outstanding salaries/wages and statutory dues to the employees of NPCC Ltd. subsidiary of HPC Ltd.
		6858.60.190.09.00.55 Loans to Hindustan Photo Films Ltd.	0.00	12.53	Loans & Advances to augment the expenditure towards payment of outstanding salaries/wages and statutory dues to the employees of HPF Ltd.
2014-15					
2.	Ministry of Culture	MH 2205 Contribution to World Heritage Fund 2205.00.798.01.00.32	0.08	0.0920	Due to increased India's assessed contribution from 2013 onwards.
		MH 2205 Archaeological Survey of India (i) 2205.00.106.08.00.50- Other Charges	3.45	4.10	To carry additional activities/works related to the documentation of built Heritage & Sites and documentation of Antiquities, payment of outsourcing agencies and awareness programmes and research related works etc.

(करोड़ रुपये)					
1	2	3	4	5	6
		(ii) 2205.00.106.01.99.13- कार्यालय व्यय	3.50	1.50	सात पुरातत्व स्थल संग्रहालय में जतन साफ्टवेयर को लगाना/प्रसारित करना, ई-अटैनडेन्स का इंतजाम और सूचना प्रौद्योगिकी मदों को खरीदना।
3.	पर्यावरण, वन और मौसम परिवर्तन का मंत्रालय	2406.01.003.12 वन विभाग कर्मचारियों की विदेशी प्रशिक्षण	0.40	0.60	अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को संचालित करना।
4.	राज्यों और संघ शासित राज्य सरकारों को हस्तांतरण	3601.02.101.12.00.35- विशिष्ट योजना सहयोग (पूँजीगत परिसंपत्तियों के लिए सहायता अनुदान) विदेशी प्रशिक्षण	6837	850	माननीय प्रधानमंत्री द्वारा खाद्य सहायता और पुनरुद्धार के लिए जम्मू-कश्मीर राज्य को परियोजना-संबंधी निधियों का निर्गमन।
5.	प्रत्यक्ष कर	एमएच 2020- आय पर कर संग्रह तथा व्यय (प्रमुख शीर्ष)/00.0001.01 निर्देश एवं प्रशासन (लघु शीर्ष) आयुक्त एवं उनके कार्यालय 01.01.14-किराया दरें एवं कर	154.29	12.92	विभाग के पुनर्गठन/विस्तार के परिणाम स्वरूप जहां किराया, दर तथा कर बढ़ गए हैं और सक्षम प्राधिकारी द्वारा मंजूर किए गए हैं, के लिए 12.92 करोड़ रुपये की अतिरिक्त निधियां अपेक्षित हैं। यह प्रतिबद्ध दायित्व है।
6.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	3601-अन्य पिछड़े जनजाति के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति 4225-कमजोर तबके के लिए राष्ट्रीय वित्त विकास	704.50 99.76	66.06 12.24	उत्तर-पूर्व क्षेत्र और सिक्किम में स्थित राज्य सरकारों के लिए सहायता अनुदान उत्तर-पूर्व क्षेत्र और सिक्किम के लाभार्थियों के लिए इक्वटी का निर्गमन
7.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह क-गृह मंत्रालय	एमएच-2055 पुलिस 104.04.01 भारतीय रिजर्व पलटन	33.42	6.18	वेतनों के व्यय को पूरा करना।
	क-गृह मंत्रालय	एमएच-2055 पुलिस 109.13.01 जिला पुलिस प्रतिष्ठान	85.92	11.27	वेतनों के व्यय को पूरा करना।
	विद्युत मंत्रालय	एमएच-2801 विद्युत 04.103.01 विद्युत संयंत्र और सहायक कार्य	167.28	17.51	एचएसडी के खरीद के व्यय को पूरा करना।
	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	एमएच-2210 चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य 05.105.52 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह चिकित्सा और अनुसंधान संस्था	0.50	9.50	एएनआईएमईआरएस को जीआईए के व्यय को पूरा करने के लिए
	ग्रामीण विकास मंत्रालय	एमएच-4215 जल आपूर्ति और स्वच्छता पर पूँजी परिव्यय 01.102.03 ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति	30.00	8.54	विभिन्न चालू कार्यों पर होने वाले व्यय को पूरा करना.
	पोत परिवहन मंत्रालय	एसएच-3052 पोत परिवहन सेवाएं 02.103.03 एससीआई को भुगतान	164.00	35.40	एससीआई के बकाया देयताओं के भुगतान हेतु

(Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
		(ii) 2205.00.106.01.99.13- Office Expenses	3.50	1.50	To implement/deploy the Jatan Software/hardware at seven Archaeological Site Museum, procurement of e-attendance and purchase other IT items.
3.	Ministry of Environment, Forests and Climate Change	2406.01.003.12 Foreign Training of Forestry Personnel	0.40	0.60	For conducting the international training programme.
4.	Transfers to State and Union Territory Governments	3601.02.101.12.00.35-Special Plan Assistance (Grant-in-Aid for creation of Capital Assets)	6837	850	For release of Project-linked funds to the State of J&K as announced by Honorable Prime Minister for Flood Relief and Rehabilitation.
5.	Direct Taxes	MH-2020 Collection of Taxes on Income & Expenditure (Major Head)/00.0001.01 Direction and Administration (Minor Head) Commissioner and their offices 01.01.14-Rent Rates and Taxes	154.29	12.92	Additional funds to the tune of Rs. 12.92 Crore are required consequent to re structuring/ expansion of the department where rent, rate & taxes have been increased and duly sanctioned by competent authority. This is a committed liability.
6.	Department of Social Justice & Empowerment	3601- Post Matric Scholarship for OBCs`	704.50	66.05	For releasing Grants-in-aid to State Governments located in NE Region and Sikkim
		4225- National Finance Development Corporation for Weaker Sections	99.76	12.24	For releasing equity for the beneficiaries of NE Region and Sikkim.
7.	Andaman and Nicobar Islands				
	A-Ministry of Home Affairs	MH-2055 Police 104.04.01 India Reserve Battalion	33.42	6.18	To meet the expenditure for salaries.
	A-Ministry of Home Affairs	MH-2055 Police 109.13.01 District Police Establishment	85.92	11.27	To meet the expenditure for salaries.
	D-Ministry of Power	MH-2801 Power 04.103.01 Power Plant and Ancillary Works	167.28	17.51	To meet the expenditure on purchase of HSD
	I-Ministry of Health and Family Welfare	MH-2210-Medical and Public Health 05.105.52 Andaman & Nicobar Islands Medical Education and Research Society	0.50	9.50	To meet the expenditure for GIA to ANIMERS
	C-Ministry of Rural Development	MH 4215 Capital Outlay on Water Supply and Sanitation 01.102.03 Water Supply in Rural Areas	30.00	8.54	To meet the expenditure on various ongoing works.
	S-Ministry of Shipping	MH 3052 Shipping Services 02.103.03 payment to SCI	164.00	35.40	For making payment to SCI towards outstanding dues.